राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का ३१वां दिवस [संख्या २१

शुक्रवार, २४ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ३४४

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भैरोंसिंह

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४५

श्री तनसिंह (प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४६

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३४७

श्री नाथीसिंह (प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, के पुल का जीर्णोद्धार

३४८. **श्रीबहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे :

(क) धौलपुर से बाड़ी बसेड़ी जाने वाली सड़क की स्थिति क्या है ? क्या यह सच है कि इस सड़क के अन्दर पत्थर निकल आये हैं और वे उखड़ भी रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी मरम्मत कराना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(ख) क्या धौलपुर से पक्का मार्ग का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या पार्वती नदी पर पुल है ? यदि नहीं तो क्यों और सरकार कब तक बनवाने का विचार रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कुछ हिस्से की दशा सन्तोषजनक नहीं है। इस वर्ष व अगले वर्ष में मरम्मत की जावेगी।

(ख) हां, मार्ग निर्माण हो चुका है। नहीं, योजना में नहीं है।

श्री बहादुरसिंह : क्या पुल बनाना नहीं चाहती सरकार ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बनाना तो चाहती है, पर इस योजना में नहीं है।

राजस्थान नहर का कार्य कराने का मुख्य कार्यालय

३४९. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.2

(श्री धर्मपाल पंवार)

(क) क्या राजस्थान केनाल का कार्य शुरू कर दिया गया है ? यदि हां, तो वह कार्य कौन कौन सी तहसीलों में शुरू किया गया है और कितना अमला नियुक्त किया गया है और इस नहर का मुख्य कार्यालय कहां रक्खा गया है ?

(ख) क्या भाखरा के और राजस्थान केनाल के डाइरेक्टरों की तनख्वाह बराबर मिल रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(ग) उपरोक्त नहर का कार्य सूरतगढ़ तक कब पूरा हो जावेगा ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि योजना की अभी भारत सरकार से स्वीकृत नहीं हुई है। निर्माण कार्य के लिये कोई अमला अभी तक नियुक्त नहीं किया है। सर्वे के लिये निम्न अमला रक्खा गया है :

ऑफिसर ओन स्पेशल ड्यूटी	२
एग्जीक्युटिव इन्जीनियर	१
असिस्टेन्ट इन्जीनियर	३

मुख्य कार्यालय का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) भाखरा में डाइरेक्टर, कोलोनाइज़ेशन नियुक्त है तथा राजस्थान केनाल में कोलोनाइज़ेशन ऑफिसर रक्खा है। पद के अनुसार तनख्वाह में भी अन्तर है।

(ग) कार्य शुरू होने के पांच वर्ष बाद सूरतगढ़ तक वर्क पूरा हो जायगा।

श्री धर्मपाल पंवार : जल्दी स्वीकृति लेने में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री भीखाभाई : रोज रिमाइन्डर भेजे जा रहे हैं।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या वहां से संतोसजनक उत्तर मिल रहा है ?

श्री भीखाभाई : जरूर मिलेगा।

श्री भीमसेन : कौन सी तारीख को रिमाइन्डर भेजा गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : तारीख तो नहीं बतलाई जा सकती है। सारी योजना की जांच की जा रही है, लम्बा काम है।

कृषि अनुसन्धानशाला प्रारम्भ करने की योजना

३५० श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रांत में एक कृषि अनुसन्धानशाला प्रारम्भ करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो कब से और अब तक; इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) प्लान तैयार हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पिछले साल से है।

श्री भैरोंसिंह : कब तक यह विचाराधीन रहकर कार्य रूप में परिणित हो जायगा ?

Page No.3

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तो कई प्लान तैयार हो रहे हैं। २.०७ लाख का प्रोविजन है और थोड़ी सी लोकेशन की डिफिकल्टी थी वह भी करीब करीब फाइनेलाइज्ड करली है। जल्दी ही काम शुरू हो जावेगा।

राजस्थान की बन्द ग्लास फैक्ट्रियों को पुनः चालू करने की योजना

३५१. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ग्लास फैक्ट्रियां कितनी और कहां हैं, तथा उनमें से कितनी चल रही हैं और कितनी कहां कहां बन्द हैं ?

(ख) जो ग्लास फैक्ट्रियां बन्द हैं क्या उनके बन्द रहने के कारणों की जांच की गई ? यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

(ग) जो ग्लास फैक्ट्रियां चल रही हैं क्या उनको कोई कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनको क्या सहायता दी गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) इस प्रश्न का उत्तर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ख) हां, जांच से यह मालूम हुआ कि मेज पर रखी गई तालिका में दिये हुये कारणों के दूर हुये बिना ये फैक्ट्रियां पुनः चालू नहीं हो सकतीं।

(ग) धौलपुर ग्लास फैक्ट्री चालू है। उसके अधिकारी रियायती दर पर बिजली चाहते हैं। राज्य सरकार ने इस फैक्ट्री को ७ जनवरी, १९५४ से रियायती दर पर अर्थात् तीन आना प्रति यूनिट की दर से बिजली देने का निर्णय ले लिया।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दलीपसिंह : क्या कोटा में भी ग्लास फैक्ट्री बन्द पड़ी है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : वह जीत ग्लास फैक्ट्री के नाम से थी, पर अब वहां से बिलकुल ही उठ चुकी है।

श्री दलीपसिंह : क्या इस की मशीनें वगैरह सब हटा ली गई हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, टीन वगैरह जो थे वे भी हट चुके हैं।

श्री धर्मपाल : बीकानेर में जो ग्लास फैक्ट्री थी सरकार उसको पुनः चलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मिल मालिकों का आपसी झगड़ा है। जब तक वे अपने आपसी झगड़ों को न निपटा लें और सरकार के पास में मिलकर न आएं और कोई शिकायत के रूप में या अन्य कोई तकलीफ उनको हो, उसके बारे मे न कहें तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती।

श्री धर्मपाल : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि जो मिल या बड़ा धन्धा झगड़े में हो उसे सरकार अपने हाथ में लेकर उसका राष्ट्रीयकरण कर दे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां।

श्री भीमसेन : क्या सरकार को यह मालूम है कि बीकानेर की फैक्ट्री का झगड़ा

(श्री भीमसेन)

निपट गया है और वहां के मालिक उसे चलाने को तैयार हैं। उन्होंने सरकार से मांग भी की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : उनकी तरफ से तो मांग नहीं आई, पर दूसरों की तरफ से सुझाव जरूर आये हैं।

झील राजसमन्द में नौका नयन की व्यवस्था

३५२. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या परिवहन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार झील राजसमन्द में नौकानयन की कोई व्यवस्था कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

(ग) सरकार यह व्यवस्था किसके माध्यम द्वारा करेगी ?

श्री अध्यक्ष : परिवहन मन्त्री।

परिवहन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यह प्रश्न लोकल सैल्फ गवर्नमेंट से संबन्धित है, उनको भेजा गया है।

श्री मनोहर कोठारी : लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के अन्तर्गत यह कैसे आवेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नौकानयन का काम लोकल सैल्फ के जिम्मे है।

(आगे की तारीख को उत्तर देने हेतु स्थगित हुआ)

कला संस्थान जयपुर में पढ़ाये जाने वाले विषय

३५३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कला संस्थान, जयपुर में किन किन विषयों का शिक्षण होता है ?

(ख) आर्ट्स विभाग को संगीत के आधीन करने से पूर्व शिक्षार्थियों की कितनी संख्या प्रतिवर्ष रहती थी और अब कितनी रहती है ?

(ग) क्या यह सही है कि कला संस्थान का आर्ट्स विभाग किसी विश्व विद्यालय से सम्बन्धित नहीं है ? यदि हां तो क्यों ?

(घ) आर्ट्स विभाग के विद्यार्थियों को आज से ६ वर्ष पूर्व क्या सुविधाएं दी जाती थीं और आज क्या दी जा रही हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) कला संस्थान में दो विभाग शिक्षण के है : (१) आर्टस विभाग में पेन्टिंग, ड्राइंग, क्ले मोडलिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर विषय सिखाये जाते हैं।

संगीत में गायन, सितार, बेला, तबला, बांसुरी और नृत्य सिखाया जाता है।

(ख) छात्र संख्या निम्न प्रकार से रही है :

सन् ५२-५३ में संगीत २२३ आर्ट्स १३०

सन् ५३-५४ में संगीत २०२ आर्ट्स ३४

सन् ५४-५५ में संगीत १७७ आर्ट्स २७

सन् ५५-५६ में संगीत २२२ आर्ट्स २६

सन ५६-५७ में संगीत ३२६ आर्ट्स १८

Page No.5

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(ग) जी हां, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(घ) छात्रों को अध्ययन सम्बन्धी सामग्री मुफ्त दी जाती थी तथा उत्तम कार्य करने वालों को पारितोषिक व छात्रवृत्ति भी दी जाती थी । वे सुविधाएं अब भी दी जाती हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या कारण है कि आर्ट्स के विद्यार्थियों की इस स्कूल में संख्या बराबर घटती जा रही है ?

श्री पूनमचन्द : ऐसा मालूम होता है कि आर्ट्स में विद्यार्थियों की रुचि कम होती जा रही है ।

श्री दयाकृष्ण : क्या यह सही है कि जो शिक्षण का समय है सुबह १० से ४।। का, उस समय में आर्ट्स पढ़ने वाले विद्यार्थीगण कठिनाई अनुभव करते हैं और चाहते हैं कि रात्रि का समय रख दिया जावे ताकि वे दिन में प्राइवेट काम कर सकें और सायं शिक्षण ले सकें ।

श्री पूनमचन्द : उनको जो सुविधा दी जाती थी और जो समय पहले दिया जाता था उतना ही अब भी दिया जाता है । ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि समय बदला जावे या ज्यादा दिया जावे ।

श्री दयाकृष्ण : संगीत की शिक्षा सुबह के समय होती है या रात्रि के समय ?

श्री पूनमचन्द : रात्रि के समय ।

श्री दयाकृष्ण : क्या यह सही है, कि इस समय आर्ट्स और क्राफ्टस् अलग अलग कर दिये गये हैं; इससे भी कठिनाई अनुभव की जा रही है । पहले आर्ट्स और क्राफ्टस् शामिल थे और एक दूसरे के लिए रंग डिजाइन के मोडल टैयार किये जाते थे, जैसे क्राफ्टस् के कार्विंग के लिए किसी डिजाइनकी जरूरत महसूस हुई तो आर्टस वाले उनकी सहायता कर देते थे, किसी तरह से आर्ट्स वालों की सहायता, क्राफ्टस् वाले कर दिया करते थे । लेकिन अब क्राफ्ट्स को इस संगीत से मिलाकर और आर्ट्स से अलग करके दुविधा पैदा कर दी गई है तो क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : यह तो मैं समझता हूं आपकी राय है, आर्ट्स को अलग करने से सुविधा होगी । आर्ट्स में अलग हैं विद्यार्थी और उनमें सुविधा है तथा क्राफ्टस में अलग हैं और उनमें भी सुविधा है एवं विद्यार्थियों की तादाद भी ज्यादा है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस कला संस्थान के जो प्रिंसिपल हैं वे आर्टस् के विषय में समझते हैं; जैसे चित्रकला आदि ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां ।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं माननीय मन्त्रीजी की जानकारी के लिए बताऊं कि इस संस्थान के जो प्रिंसिपल हैं वे संगीत के विशेषज्ञ हैं, चित्रकला आदि के नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके साथ दूसरे एक्सपर्ट्स भी हैं, आर्ट्स वगैरह के पढ़ाने में मदद देते हैं । यह जरूरी नहीं है कि एक प्रिंसिपल दूसरे नीचे के जो विषय पढ़ाये जायं उनके विशेषज्ञ हों ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कमला श्रोत्रिय ।

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता

३५४. **श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा) : क्या मुख्यमंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को अब तक सरकार ने कितनी, किस प्रकार की और किन किन को सहायता प्रदान की ?

मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान राजनैतिक पीड़ित सहायता नियम, १९५६ के लागू होने से पूर्व १६ व उसके पश्चात् ५ राजनैतिक पीड़ितों को सहायता प्रदान की, जिनकी सूची व पूरा विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

नई पाठ्य पुस्तकों की घोषणा एवं प्रकाशन

१५५. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षामंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

नई पाठ्य पुस्तकों की घोषणा एवं प्रकाशन का कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

मुख्य मंत्री श्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : कक्षा १ से ५ तक होने वाली राष्ट्रीयकरण पुस्तकों की घोषणा एवं प्रकाशन जुलाई १९५७ में पूर्ण होने की संभावना है व कक्षा ६ से ८ तक की पुस्तकें १९५७-५८ सेशन के लिये वही रहेंगी जो पहले थी, जिसके लिए प्रकाशकों को माह अप्रैल सन् ५७ में ही सूचित किया जा चुका है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन नई पाठ्य पुस्तकों के लिए चित्र वगैरह के लिए क्या व्यवस्था की गई है ? जिन कक्षाओं की पुस्तकों के लिये राष्ट्रीयकरण हो रहा है तो क्या उन कक्षाओं की पुस्तकों में चित्र वगैरह की व्यवस्था हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चित्र तैयार हो गये हैं, पुस्तकें छप रही हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकरण की गई पुस्तकें जो लिखाई जा रही हैं तो क्या उनको सरकारी अधिकारियों द्वारा ही लिखाया जा रहा है ? क्या सरकारी विभाग में जो लेखक हैं उनको ही इसके लिए बुलाया गया है या गैर सरकारी लेखकों को भी इसमें बुलाया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके बारे में निश्चित नहीं कह सकता हूं। नोटिस चाहिए जिससे मैं पूर्णतया सूचना दे पाऊं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

भूतपूर्व किलेजात व तोपखाना विभाग के कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल्स

३५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के भूतपूर्व किलेजात तथा तोपखाना विभाग के कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल्स के अनुसार तनख्वाह के एरियर्स नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो क्या ?

(ख) इस विभागको किसी दूसरे विभागमें इन्टीग्रेट किया गया या इस विभागका खुद का

(श्री भैरोंसिंह)

ही एक इन्टीग्रेटेड सेटअप माना गया है ?

(ग) इस विभाग को कब डिस्बेन्ड किया गया तथा डिस्बेन्ड करने से पहिले इनका फिक्सेशन हुआ था या नहीं और नहीं तो क्यों ?

(घ) यदि फिक्सेशन बाकी है तो अब यह काम कब तक समाप्त होगा तथा एरियर्स कब तक मिल जायेंगे ?

(ङ) क्या यह सही है कि ए० जी० राजस्थान ने इस विभाग के कर्मचारियों के फिक्सेशन के कारण बने एरियर्स के रूप में ६६,२६० रुपये स्वीकृत कर दिये थे ? यदि हां, तो यह रकम अब तक इनको क्यों नहीं मिली और इस रकम का क्या हुआ ?

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, यहां की रेगुलर व्यवस्था पुलिस विभाग के हिस्से में नहीं थी।

(ख) विभाग पूरी तरह दूसरे विभाग से इन्टीग्रेटेड नहीं किया गया और न इसके खुद को इन्टीग्रेटेड सेटअप माना गया।

(ग) २१-३-५४ से फिक्सेशन का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इसे एक रेगुलर युनिट माना गया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह सत्य नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान के एकाउन्टेन्ट जनरल ने एरियर्स के लिए रकम निर्धारित कर दी थी और पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको ड्रा भी कर लिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सत्य है कि एरियर बिल बना लिया गया था और उसको ड्रा भी कर लिया गया था। चूंकि यह सही नहीं था इसलिए उसको वापिस जमा कर दिया था।

श्री भैरोंसिंह : पहले से इसको डिपार्टमेंट का इन्टीग्रेटेड सेटअप माना गया या इन्ट्रीग्रेशन का विचार किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने अर्ज किया कि इन्टीग्रेटेड सेटअप नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : फिर बिल कैसे बना ?

श्री रामकिशोर व्यास : गलती से बना।

श्री भैरोंसिंह : किसकी गलती थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सब इन्सपेक्टर की और कुछ ऑफिसर्स की।

श्री भैरोंसिंह : गलती हुई तो क्या सब इन्सपेक्टर्स से ऊपर के अधिकारियों ने इसकी सिफारिश की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले ऑडिट सिस्टम था, ट्रेज़री से ले लिया, फिर ऑफिसर्स के पास यह बात गई तो उस रकम को वापिस कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : इस डिपार्टमेंट का फिर क्या हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिस्बेन्ड हुआ।

प्रश्न संख्या ३५७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३५८

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल।

(प्रश्न कर्ता अनुपस्थित)

श्री धर्मपाल : यह प्रश्न बीकानेर से सम्बन्ध रखता है इसलिए मुझे पूछने का अधिकार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर से सम्बन्ध रखता है या किसी से भी रखता हो हालांकि उनके पास कोई ओथोरिटी नहीं लेकिन मैं उनको यह जानकारी दूं कि भारत सरकार से अभी कोई सूचना नही आयी है।

श्री अध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

तिलवाड़ा पशु-मेले में पहले वर्ष से अधिक वारदातें

३५६. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि इस वर्ष तिलवाड़ा पशु मेले में पहले वर्ष की अपेक्षा छोटी बड़ी चोरियाँ और मारपीट की वारदातें ज्यादा हुई हैं ? कृपया तुलनात्मक आंकड़े बतावें ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी नहीं। गत वर्ष वारदातों की संख्या ५ थी इस वर्ष ४ है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

उदासर, बीकानेर सागर व नापासर से बीकानेर तक सड़कें

३६०. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या बीकानेर से उदासर, बीकानेर सागर एवं नापासर स्टेशन से कस्बे तक सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत हैं ? अगर हां तो क्या उनकी मरम्मत कराने का सरकार इरादा रखती है ?

(ब) अगर नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अजी हां, साधारण मरम्मत कराई जाती है और विशेष मरम्मत विचाराधीन है।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीमसेन : क्या यह सरकार के ध्यान में है कि नापासार की सड़क टूट-फूट गयी है तो इसकी मरम्मत के लिए कब तक विचार करेंगी ?

श्री नाथूराम : मैंने यह जवाब दिया कि विशेष मरम्मत विचाराधीन है।

(प्रश्न संख्या ३६१)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री नाथीसिंह।

कामां से पहाड़ी तक की सड़क का जीर्णोद्धार

३६२. **श्री नाथीसिंह** (कामां) : Will the Minister for P. W. D. be pleased to state:—

(a) Has the metalled road from Kaman to Pahari not been repaired for the last 15 years ?

(b) If so, why and how long will it take to have it repaired ?

श्री अध्यक्ष : पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर।

Page No.9

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्रीनाथूराम मिर्धा । (a) Ordinary repairs are regu- larly carried out.

(b) Special repairs by the end of next year i. e. 1958-59.

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल ।

जोधपुर से राजबाग तक बिजली की लाइन

३६३ श्री सूरजमल (फलौदी) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जोधपुर से राजबाग तक बिजली की लाइन जाती है ?

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी बत्तियों के पोइन्ट्स दिये हुए हैं ?

(ग) क्या इस गांव की आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार अधिक कनेक्शन देने का विचार करती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न हीनहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री तनसिंह : क्या माननीय मन्त्री जो यह बतायेंगे कि जोधपुर से सूरसागर तक कोई लाइन जाती है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : जाती है ।

श्री तनसिंह : तो माननीय मन्त्रीजी को मालूम होना चाहिये कि राजबाग सूरसागर से पहले आता है । वहां पहले से बत्ती लगी हुई है । आप कहते हैं कि नहीं है, अजीब सी बात है ।

श्री भीखाभाई : पहले जैसे मैंने बताया कि पहले यह सवाल इसलिए दिया था कि गांव मान कर दिया गया था । यह इन्क्वायरी पर पता चला कि यह तो मोहल्ला है । जो लाइन जाती है पॉवरहाउस से, इन्जन की प्रोडक्शन की शक्ति कम है इसलिए नए कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ।

श्री नाथीसिंह : क्या यह सही है कि जनसंख्या को देखते हुए यह बत्ती कम है ?

श्री भीखाभाई : I did not follow the question, Sir.

श्री तनसिंह : वहां की आबादी कितनी है ? आप उसको मोहल्ला बताते हैं, वह गांव है ।

श्री भीखाभाई : जो इन्जन है उसकी क्षमता कम है और प्लांट लगाने की बात चल रही है ।

श्री तनसिंह : कितनी है बतायें ?

श्री भीखाभाई : इसके सम्बन्ध में अलग सवाल बना कर पूछें तो अच्छा हो ।

श्री तनसिंह : यह भी मालूम है कि पर्याप्त बिजली है ?

श्री भीखाभाई : यह तो सवाल सब आर्गुमेंट के हो रहे है ।

श्री रामचन्द्र : उसके पास ही सूरसागर है, वहां कितनी बत्तियां लगी हैं ?

(विराम)

मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें ।

(घंटी)

Page No.10

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह

पीपाड़ शहर मेड़ता तक फेयरवेदर सड़क

३६४ भैरोंसिंह खेजड़ला (बिलाड़ा) : Will the P. W. D. Minister be pleased to state :

(a) When the fair weather road from Pipar city to Merta was constructed and how much amount was incurred for the repairs of this road during the last three years ending 31st March, 1957 ?

(b) Whether the road is in good condition at present ?

(c) Does the Government contemplate to make it a metal road? If so, when ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (a) In the year 1950-51. Rs. 5011/-

(b) Yes.

(c) No.

अध्यापकों का फिक्सेशन

३६५. श्री लच्छूराम (मंडावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तमाम अध्यापकों का फिक्सेशन हो चुका है ?

(२) यदि नहीं तो कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनका अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? क्या सरकार उन अध्यापकों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखेगी ?

(३) पिछले चार वर्षों में सरकार ने कुल कितनी स्कूलों को अपनी व्यवस्था के अधीन लिया है ?

(४) ऐसी स्कूलों में इस समय कुल कितने अध्यापक हैं और उनमें से कितनों का फिक्सेशन हो चुका है ?

(५) अध्यापकों के फिक्सेशन का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां, करीब करीब तमाम अध्यापकों के फिक्सेशन केसेज़ पूर्ण करके अकाउन्टेन्ट जनरल के यहां पास होने के लिए भेज दिए गये हैं ।

(२) केवल उन्हीं अध्यापकों का फिक्सेशन नहीं हुआ है जिनके या तो सर्विस रेकार्ड उपलब्ध नहीं हैं या जिनका दुबारा फिक्सेशन हो रहा है । ऐसे मामले प्रत्येक जिले में कुछ ही हो सकते हैं । उनकी सूची शिक्षा अध्यक्ष, बीकानेर से मंगाई गई है, आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(३) ३६० स्कूलों को ।

(४) इन स्कूलों में १३५० अध्यापक हैं जिनमें से १००० का तो फिक्सेशन पूर्ण हो चुका है ।

(५) फिक्सेशन का कार्य अगस्त के अन्तिम तक पूर्ण होने की पूरी आशा है ।

एमर्जेन्सी आर. ए. एस. की भर्ती में शिड्यूल कास्ट के उम्मीदवार

३६६. श्री धर्मपाल पंवार (नोहर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.11

(श्री धर्मपाल पंवार)

(क) इस साल जो ऐमरजेंन्सी आर० ए० एस० की भर्ती की गई है, उनमें शिड्यूल कास्ट के कितने उम्मीदवार लिए गये हैं ?

(ख) कितने उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आई तथा कितने लिखित परीक्षा में पास हुए और कितनों का इन्टरव्यू लिया गया ?

(ग) क्या जो शिड्यूल कास्ट के लिए १२॥ प्रतिशत स्थानों का रिज़र्वेशन है उसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त स्थानों की पूर्ति की गई है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) एमर्जेंसी रिक्रूटमेन्ट द्वारा आर० ए० एस० में कोई नियुक्ति नहीं की गई है। केवल सफल उम्मीदवारों का नतीजा २१ अप्रैल को घोषित किया गया है, उनमें शिड्यूल कास्ट के दो उम्मीदवार है।

(ख) शिडयूल कास्ट के १७ उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आई थी जिनमें से ७ को लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया था, किन्तु इन्टरव्यू के लिए १० उम्मीदवारों को बुलाया गया था।

(ग) हां।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि जो ४३ लोग एमर्जेन्सी आर. ए. एस. में सफल घोषित हुए हैं उनमें से अशिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के स्थान पर लिया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ, मेरा उत्तर बहुत स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट की बात चल रही है, उनमें दो नाम हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि ८ आदमियों को अशिडयूल्ड कास्ट में से शिडयूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व स्थानों पर लिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री धर्मपाल : जिन दो आदमियों को लिया गया है उनके नाम क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके नाम हैं श्री कंवारिया और श्री भंवरलाल।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : According to the Goverment Quota, कुल कितने आदमी लिये जाने चाहिये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यदि सूटेबल केन्डिडेट्स हों तो १२॥ पर्सेन्ट तक लिये जाने चाहिये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अब तक नहीं लिये जाने का क्या कारण है जबकि बहुतसी दरख्वास्ते थीं। उनको जान बूझ कर नहीं लिया गया, क्या यह सही है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : एक सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन। पहले ३६८ का उत्तर दे दिया जाय क्योंकि नाम कॉल कर लिया है।

राजस्थान में अनुसूचित जाति के सब इन्सपेक्टर्स

३६८. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

Page No.12

(श्री भीमसेन)

(१) राजस्थान में अनुसूचित जाति के कितने पुलिस सब इन्सपेक्टर्स हैं और वे कहां कहां तैनात हैं ?

(२) इनमें कितने ऐसे हैं जिनको थाना इन्चार्ज नहीं बनाया गया है ?

(३) कितनों को ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद इन्चार्ज थाना बना दिया गया है तथा कितनों को नहीं ?

(४) इसका क्या कारण है, ट्रेनिंग समाप्त होने पर भी कई सब-इन्सपेक्टर्स को इन्चार्ज थाना नहीं बनाया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(१) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे सब इन्पेक्टर्स की संख्या १० है । ५ भरतपुर में, २ जयपुर में, १ बीकानेर में, १ अलवर में, १ पाली में और १ नागौर में ।

(२) चार को।

(३) ६ को थाना इन्चार्ज बनाया गया है । केवल एक व्यक्ति को थाना इन्चार्ज नहीं बनाया गया है । वह योग्य है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है ।

मंडोर में अफोरेस्टेशन के लिये गोचर भूमि का उपयोग

३६७. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर-प्रथम) : क्या कृषि व यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम मंडोर, तहसील जोधपुर में वन विभाग ने अफोरेस्टेशन के लिये तार खींच कर सारी गोचर भूमि अपने कब्जे में ले ली है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्राम निवासियों के लिये गोचर भूमि की दूसरी व्यवस्था की है ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या वहां पर कोई जमीन एफोरेस्टेशन के लिये ली गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां । दो एरियाज; एक तो मंडोर के आगे बेरी के पास और दूसरा कायलाने के पास कुछ एरिया को अफोरेस्टेशन के लिये रिजर्व किया गया है । इसमें से कायलाना वाला एरिया फोरेस्ट के नीचे था और बेरी के पास वाला एरिया रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के अन्डर में था । उन दोनों को रिलीज़ करवा कर अफोरेस्टेशन के काम में लिया गया है ।

श्री आनन्दसिंह : मेरा प्रश्न यह था कि गोचर की भूमि को अफोरेस्टेशन के काम में लिया गया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह जवाब दिया है कि गोचर की जमीन को नहीं लिया गया है । रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के नीचे जो जमीन थी वह भी गोचर की नहीं थी और कायलाने-वाली फोरेस्ट के कब्जे में थी ।

Page No.13

श्री आनन्दसिंह : इनमें से गोचर भूमि कौन सी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गोचर भूमि के बारे में राजस्व मन्त्रीजी से दर्याफ्त कीजिये ।

जोधपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल खोलने सम्बन्धी योजना

३६९. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या जोधपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल खोलने की सरकार की योजना थी ? यदि हां, तो कब तक खुल जाने की आशा है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : जी हां, जोधपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल जुलाई ५७ तक खुलजाने की आशा की जाती है ।

आर. ए. सी. की नयी बटेलियन की भर्ती

३७०. **श्री सज्जनसिंह** (बूंदी): क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि आर. ए. सी. (राजस्थान आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी) की एक और नई बटालियन की भर्ती की जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें राजस्थान निवासी अवकाश प्राप्त सैनिक ही भर्ती किये जावेंगे या बाहर के भी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समदड़ी से करमावास तक सड़क का निर्माण

३७१. **श्री अनोपसिंह** (बलोत्तरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

क्या यह सच है कि जिला बाड़मेर में समदड़ी गांव तक लूनी नदी के पार दोनों गांवों की जनता की मांग पर सड़क निर्माण हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई थी ? अगर हां, तो उसके निर्माण का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ और अब कब तक शुरू होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा : (क) दूसरी योजना में यह कार्य सम्मिलित नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनोपसिंह : इसकी तजबीज के लिये आगे और विचार किया गया है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझ नहीं पाया ।

श्री अध्यक्ष : इसको दूसरी योजना में सम्मिलित करने के लिये विचार किया जा रहा है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब की बार तो मामला मुश्किल मालूम पड़ता है । अब तृतीय योजना में इसको देखेंगे ।

श्री अनोपसिंह : क्या इसका सर्वे हो चुका है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां सर्वे और अलाइनमेन्ट हुआ था । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिये रकम का प्रोविजन रखा गया था तब सर्वे करवाया गया था, इसलिये कि इसको द्वितीय योजना में शामिल करेंगे लेकिन बाद में अमाउन्ट कम मिला तो यह सड़क स्थान नहीं पा सकी ।

Page No.14

श्री अनोपसिंह : क्या इसका तखमीना बना है कि कितने रुपये खर्च होंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं अभी एग्ज़ेक्ट अमाउन्ट नहीं बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : एस्टीमेंट पूछ रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एग्ज़ेक्ट एस्टिमेट इस समय मेरे पास नहीं।

कृषि अनुसन्धान में शिक्षा प्राप्त करने के लिये बजट

३७२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि अनुसन्धान में शिक्षा प्राप्त करने के लिये गत ५ वर्षों में कितना कितना बजट रखा गया और प्रत्येक वर्ष में कितना कितना खर्च हुआ ?

(ख) इस हैड में यदि कम खर्च हुआ है तथा रकम लेप्स हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) कृषि अनुसन्धान शाखा के कितने कर्मचारी रिसर्च स्कीम्स में कार्य कर रहे हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि ऐसे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है ? यदि नहीं, तो गत वर्ष की एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कष्ट करें कि किस किस माह की तनख्वाह किस किस कर्मचारी को कौन सी तारीख को मिली है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) कोई राशि नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता।

(ग) ४५।

(घ) हां, नहीं मिली।

अधिकारियों को तनख्वाह मिलने की तारीख की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : तनख्वाह समय पर क्यों नहीं मिलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कई दफा सेक्शन में डिले हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सेंक्शन हर महीने अलग से ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं। हर महीने अलग नहीं ली जाती है लेकिन मान लीजिये किसी का ६ महीने का ही टर्म है तो उसके लिये सेंक्शन है और उसमें देरी लग जाती है तो डिले होती है।

श्री भैरोंसिंह : ६ महीनों में तो हर साल मिल जाती है न ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई स्पेशल केस हो तो जानकारी करके बता सकता हूं. वरना आम तौर से मिल जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार विचार कर रही है कि जल्दी से जल्दी तनख्वाह मिल जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आशा यही की जाती है, शिकायत बहुत कम आई है और आगे भी कम होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या एग्रीकल्चरल इन्सटीट्यूट में भेजने की संख्या निर्धारित है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बतलाया था न कि ४५.

श्री भैरोंसिंह : क्या हर साल पूर्ति हो जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, हो जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस वर्ष केवल ७ को रिसर्च इन्सटीट्यूट में भेजा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, मेरे नोटिस में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स-टीट्यूट में राजस्थान के लिये कितनी सीट्स हैं ।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न रिचर्स स्कीम के बारे में है या रिसर्च इन्सटिट्यूट के बारे में ? मन्त्रीजी ने स्कीम के बारे में बताया और आप पूछ रहे हैं इस इन्सटीट्यूट में कितने विद्यार्थी हैं ।

समदड़ी (जि० बाडमेर) में भेड़ पालन हेतु आदर्श केन्द्र खोलने की योजना।

२७३. **श्री अनोपसिंह** (बलोतरा) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या समदड़ी (जिला बाडमेर) में १ वर्ष पूर्व भेड़-पालन के लिये कोई आदर्श केन्द्र खोलने की सरकारी योजना थी ?

(ख) यदि हां, तो कब तक इस केन्द्र के खुल जाने की संभावना है ।

उप उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) समदड़ी, जिला बाडमेर में एक वर्ष पूर्व भेड़ पालन के लिये आदर्श केन्द्र की कोई योजना नहीं बनी थी ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस स्थान पर ऐसे किसी केन्द्र के खुलने की योजना नहीं है ।

श्री अनोपसिंह : ऐसी योजना बनी थी, जिसे किसी वजह से कार्यान्वित नहीं किया गया, हश अप (hush up) किया गया, उस वजह का पता नहीं । एक योजना बनी थी और ब्लॉक डेवलपमेंट की मीटिंग हुई थी, उसमें उसे तय किया था ।

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : ऐसी योजना नहीं बनी, एक शीयरियरिंग सेंटर के बारे में कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट के अन्दर काम करने का रखा गया था, इसलिए आपका यह कहना कि आदर्श केन्द्र खोलने की योजना बनी, वह नहीं बनी ।

श्री अनोपसिंह : क्या आप यह बतला सकते हैं कि ऐसी योजना आगे बनाने के लिए सरकार का विचार है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इसका जवाब दे दिया गया है, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में आदर्श केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है ।

श्री मदनसिंह : क्यों नहीं है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : नहीं है, इसलिए नहीं है ।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : आखिर ऐसी योजना किस वजह से नहीं है ? क्या वह जगह इसके काबिल नहीं है ? क्या वहां भेड़ें नहीं रहती हैं ?

एक माननीय सदस्य : इतने टैक्स लगाने के बाद भी नहीं है ।

Page No.16

श्री मोहनलाल सुखाडिया (उद्योग मन्त्री) : वहां भेडें काफी रहती हैं लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं बनी। कई जगह की सारी स्थितियों को देखते हुए यह तय करना है कि कहां कहां यह योजना लागू की जाय।

श्री अनोपसिंह : वूल डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ देखने आये थे, और उन्होंने उस जगह को एप्रूव किया है कि यह जगह लायक है। ऐसे आदर्श केन्द्र में, जैसे भेडें रखने वाले हैं, वे वहा काफी तादाद में हैं ?

श्री मदनसिंह : क्या वहां आदर्श केन्द्र खोलने की उम्मीद रखते हैं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : एक का जवाब दे दूं, फिर आप पूछ लीजिये। मैंने निवेदन किया कि शीपरियरिंग सेंटर के बारे में योजना बनी थी, आदर्श केन्द्र खोलने के बारे में कोई योजना नहीं है। आदर्श केन्द्र किस किस जगह पर खोले जायेंगे, यह चीज दरपेश है। इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कहां कहां खोले जायेंगे।

श्री मदनसिंह : आपने 'ना' दिया है, यह कब तक 'ना' रहेगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जब तक 'हां' न हो जाय।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : हां, कब तक होगी ?

(हंसी)

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अनोपसिंह : यह शीप रियरिंग सेन्टर खोलने की योजना है, वह कब तक खोल दिया जायगा ?

श्री जनार्दनराय नागर : क्या कोई भेड़ों का प्रतिनिधि मंडल आप से मिला था ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: इस मामले पर जोर क्यों दिया जा रहा है ?

राव राजा श्री सरदारसिंह : उदयपुर में भेडें हैं। क्या वहां आदर्श केन्द्र खोला जायगा।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नजर नहीं आती है।

(हंसी)

त० शेरगढ़ व फलोदी के माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय

३७४. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील शेरगढ़ व फलोदी में कुल कितने मिडिल व प्राइमरी स्कूल्स हैं।

(ख) उपरोक्त स्कूलों में कितने अध्यापक हैं और उनमें से पिछड़ी हुई जातियों के अध्यापक कितने हैं ?

(ग) क्या इन स्कूलों में बुनाई-कताई की शिक्षा भी दी जाती है। यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) तहसील शेरगढ़ में २ माध्यमिक शालाएं तथा ४३ प्राथमिक राजकीय शालाएं हैं। तहसील फलोदी में ४ माध्यमिक शालाएं तथा ३७ प्राथमिक शालाएं हैं।

(ख) ३१० अध्यापक हैं तथा पिछड़ी जाति का कोई भी नहीं है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(ग) जी हां।

श्री सूरजमल : पिछड़ी जाति का क्यों नहीं है।

श्री पूनमचद बिश्नोई : योग्य व्यक्तियों ने अर्जी नहीं दी, इसलिए नहीं है।

श्री सूरजमल : काफी मात्रा में लोग बेकार फिरते हैं, उन्हें नौकरी क्यों नहीं दी जाती है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यदि योग्य व्यक्ति प्रार्थना पत्र देते हैं, तो जो पर्सेन्टेज़ मिलता है, वह मिलता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : योग्य और अयोग्य की क्या डेफीनेशन है ?

श्री पूनमचन्द : डिपार्टमेंट की तरफ से किसी स्कूल के लिए किसी मास्टर की आवश्यकता होती है तो विज्ञप्ति में योग्यता लिखी जाती है।

श्री अनोपसिंह : शिड्यूल्ड कास्ट के कई योग्य व्यक्तियों ने अर्जी दी थी ?

श्री पूनमचन्द : उनमें जो योग्य व्यक्ति थे, उन्हें ले लेंगे।

श्री तनसिंह : क्या जो कताई-बुनाई की शिक्षा दी जाती है, वह सभी स्कूलों में दी जाती है ?

श्री पूनमचन्द : काफी स्कूलों में दी जाती है।

श्री तनसिंह : यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या इन स्कूलों में बुनाई-कताई की शिक्षा भी दी जाती है? उसके उत्तर में आपने 'जी हां' कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सभी स्कूलों में यह शिक्षा दी जाती है ?

श्री पूनमचन्द : ऑर्डिनरिली सब में दी जाती है। सब में है, यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता।

श्री सूरजमल : जो साढ़े बारह परसेंन्ट रिज़र्व सीट्स रखी जाती हैं, वे मास्टरों के लिए भी रखी जायेंगी।

श्री पूनमचन्द : यदि अर्जियां आयेंगी तो उन्हें ले लिया जायगा।

श्री सूरजमल : यदि एप्लिकेशन्स आपके द्वारा भिजवायें तो क्या उन्हें लिये जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : हमारे पास एप्लीकेशन भेजने की आवश्यकता नहीं है। नियम बने हुए हैं, उन्हें अधिकारियों के पास भेजना चाहिए।

श्री सूरजमल : क्या पिछड़ी हुई जाति का एक भी अध्यापक नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी नहीं।

श्री सूरजमल : क्या जहां पर योग्य व्यक्ति के न मिलने से उन्हें नहीं लिया जाता है, रिज़र्वेशन के मुताबिक उस जगह को खाली रखा जाता है ?

श्री पूनमचंद : खाली नहीं रखा जाता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जो प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व रखते हैं, जो कोटा निर्धारित किया जाता है,

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

इस वर्ष कितने व्यक्ति लिए जायेंगे ? क्या जो शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी लिये जाते हैं उनकी आपको सूचना मिल जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तक स्थिति ऐसी है कि बहुत सी जगह हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा के अन्दर प्रार्थना-पत्र नहीं पहुँचते हैं इसलिए पर्सेन्टेज पूरा करने में दिक्कत आती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या शिड्यूल्ड कास्ट को पूरा प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए सरकार की ओर से कोई बोर्ड बनाया गया है जिससे कि उन्हें संरक्षण मिल सके ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बोर्ड नहीं बनाया हुआ है, लेकिन समय समय पर इसकी जानकारी प्राप्त करते रहते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जो सिलेक्शन होते हैं उनके लिए शिड्यूल्ड कास्ट के प्रतिनिधि हों, तो उनका संरक्षण बोर्ड में हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आवश्यक नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह समझा जाय कि हरिजनों का जब प्रतिनिधित्व नहीं है तो हरिजन लड़कों को जान-बूझ कर छोड़ दिया जाता है ?

श्री सुखाड़िया : जान-बूझ कर लड़कों को छोड़ देने का प्रश्न नहीं उठता। मैंने निवेदन किया कि जितने प्रार्थना-पत्र आते हैं, उनमें जितने मेट्रिक्युलेट्स होने चाहिए, जितने मेट्रिक्युलेटस की आवश्यकता होती है, उतने मेट्रिक्युलेट्स केन्डीडेट्स नहीं होने के द्वारा पर्सेन्टेज को पूरा करने में दिक्कत होती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : रिज़र्वेशन के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति लिए जाने चाहिए, इसके लिए, इस रिज़र्वेशन की पूर्ति करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं और क्या क्या कदम उठाये जाने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : एक मिनट और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने पूरी की पूरी सूचना पूछ ली कि रिज़र्वेशन की पूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं, क्या हो रहा है इत्यादि।

श्री सूरजमल : एक मिनट और दिया जाय।

जो रिज़र्वेशन रखा जाता है, यदि ऐसा मालूम होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति नहीं हैं, तो उन्हें खाली रखा जाय। रिज़र्वेशन का मतलब यह है कि उस जगह पर हर एक आदमी को नहीं लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका प्रश्न, मैं यह समझता हूँ कि यदि पूर्ति नहीं की जाय तो जगह खाली रखी जाय ?

श्री सूरजमल : जी हां।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खाली रखने का प्रश्न नहीं है। रूल्स के मुताबिक यह है कि जिन जगहों पर आवश्यकता है वहां शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्तियों को, केन्डीडेट्स

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

को योग्यता के अनुसार साढ़े बारह पर्सेन्ट तक लिया जाय, इस पर विचार किया जाता है। दूसरा मैं निवेदन कर दूं कि जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है, हम समझते हैं कि ऐसे जितने भी मेट्रिक्लेयुट्स हैं, जिनके पास कार्य नहीं है, ऐसे सब मेट्रिक्युलेट्स को हम एक्ज़ोर्ब कर सकते हैं।

श्री सूरजमल : योग्यता निर्धारित करने के लिए कमेटी में हरिजन कार्यकर्ताओं को लिया जाना चाहिए। जब वहां कोई हरिजन नहीं है तो योग्यता कौन देखेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ नहीं पाया। आपका मतलब यह है कि उनका संरक्षण करना है तो हरिजन कार्यकर्ताओं को कमेटी में लिया जाय। इस प्रकार तो पब्लिक सर्विस कमीशन में भी हरिजन कार्यकर्ताओं को रखना पड़ेगा।

श्री सूरजमल : यदि रिजर्वेशन की पूर्ति नहीं होती है तो अगले वर्ष उसका ध्यान रखते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं।

श्री अर्जुनदास : एन. एल. एज़. को उसमें क्यों नहीं लिया जाता है ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३७५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

छांदेलू गांव (त० चाकसू) में स्कूल खोलने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

३७६. **श्री नाथूलाल** (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

चाकसू तहसील के छांदेलू कलां गांव में स्कूल खोलने की दर्खास्त कब सरकार के पास आई थी वहां अब तक स्कूल क्यों नहीं खोला गया है ?

उप शिक्षा मंत्री श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अन्तिम दर्खास्त तारीख २५-४-५७ को प्राप्त हुई थी।

अब तक जो प्राईमरी स्कूल खोले गये हैं उन गांवों की आबादी ३०० से अधिक थी किन्तु उस गांव की आबादी २५० होने के कारण स्कूल नहीं खोला जा सका।

श्री नाथूलाल : क्या वहां खोलने की योजना है, साहब ?

श्री पूनमचन्द : धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। अभी ३०० है, फिर २५० होगी और फिर २०० होगी। धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं।

जिला भीलवाड़ा में माइनिंग हेतु रामप्रसाद फर्म को दिया गया क्षेत्र

३४४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) फर्म मेसर्स रामप्रसाद राजगढ़िया को माइनिंग के लिये जिला भीलवाड़ा में अभ्रक का कितना एरिया दिया गया है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को माइका स्प्लिटिंग फैक्ट्री के नाम से कई सुविधायें प्रदान की गई हैं ? यदि हां, तो क्या क्या और क्यों ?

(ग) भीलवाड़ा नगर में इस फैक्ट्री के लिये कितनी जमीन किस कीमत पर दी गई तथा इसके आसपास की जमीन की साधारणतया क्या कीमत है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(घ) इस फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा यह कब चालू हुई और अबतक इसमें कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिला है ?

(ङ) इस फैक्ट्री के मैनेजर कौन हैं तथा उनका पता क्या है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) १० वर्ग मील व ४६४. ३ एकड़ का क्षेत्र प्रोस्पेटिंग लाइसेन्स में दिया गया ।

(ख) हाँ । सुविधाओं की सूची संलग्न है । उद्योग के प्रचार व प्रसार की दृष्टि से उक्त फार्म को सुविधाएं दी गई हैं ।

(सूची अनुपलब्ध)

(ग) नगरपालिका ने दो प्लॉट (१) ६७५३ ३/४ वर्ग गज आठ आना प्रति वर्ग गज के हिसाब से व (२) १८५७४ १/२ वर्ग गज १५ आना प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी जिसका कुल मूल्य २२२०५ रु० ४ आ० है । अधिक से अधिक १५ आना और कम से कम २ आना प्रति वर्ग गज आसपास की भूमि का मूल्य है ।

(घ) फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ । यह एक व्यक्तिगत् फर्म है और यह २७ दिसम्बर, सन् १९५६ से काम कर रही है । कम से कम २०० व्यक्तियों को और ज्यादा से ज्यादा ६०० व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है । इसमें २५ प्रतिशत कारखाने में काम करते हैं और बाकी के खानों पर ।

(ङ) श्री प्रभुदयाल शर्मा, भोपालगंज, भीलवाड़ा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन सुविधाओं को देने के बारे में सरकार वचनबद्ध थीं, उनमें भीलवाड़ा में सस्ती दर पर जमीन देने की शर्त नहीं थी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : भीलवाड़ा नगरपालिका की ओर बात है । वहां दो आना से १५ आना के दर्मियान जमीनों की दर थीं । कुछ जमीन ८ आना की दर से और कुछ जमीन १५ आना के दर से दी गई । अलग अलग जमीनों की अलग अलग दरें होती हैं, उसी प्रकार नगरपालिका ने दीं ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जो जमीन दी गई रियायती दर से नहीं दी गई ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जो दी है, नगरपालिका ने विचार करके उचित दर से दी है ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह है कि रियायती दर से दी गई है कि नहीं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : चाहे रियायती दर हो या न हो, यह उनके सोचने की बात है । मेरा ऐसा अनुमान है कि जो दरें मन्जूर कर ली हैं, उन्हें रियायती समझें चाहे कुछ समझें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार की ओर से नगरपालिका को लिखा गया था कि रियायती दर पर इनको जमीन दे दीजिये ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : नगरपालिका को इस विषय में जरूर कहा गया था कि इनको जमीन दी जाय और रेट्स के बारे में यह बात थी कि आपस में सेटल कर लें ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि रियायती दर पर देने का नगरपालिका को कहा गया था कि नहीं ?

Page No.21

(श्री भैरोंसिंह)

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह मैं साफ तौर पर इस समय अर्ज नहीं कर सकता जब तक कि कागजात देख नहीं लिये जाय। यह जरूर कहा था कि इन्हें जमीन देना है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह कंसेशन सरकार ने किया है कि सस्ते रेट पर जमीन देना है जब कि एग्रीमेंट में ऐसा नहीं था ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : उनको कन्सेशन देने की जरूरत थी, फैक्ट्री को लगाना सरकार चाहती थी और फैक्ट्री को लगाने में कन्सेशन चाहिये थे, उसके अनुसार कहा था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कन्सेशन में यह शामिल नहीं है कि भीलवाड़ा में कम दर पर जमीन इनको दी जाय ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : सरकार की तरफ से जो कन्सेशन थे वे और थे और म्युनिसिपेलिटी की तरफ से और कन्सेशन थे। म्युनिसिपैलिटी को सरकार ने कहा था कि जमीन दे दी जाय, दर जो है म्युनिसिपैलिटी ले।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस कन्सेशन में यह बात शामिल नहीं की गई थी कि भीलवाड़ा नगरपालिका द्वारा कम दर पर जमीन दी जाय ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : ये कन्सेशन आपके सामने हैं, आप देख लीजियेगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो ये अभी मिले हैं।

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : आप कहें तो मैं पढ़ दूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने तो पढ़ा ही होगा, वैसे ही बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आपको कॉपी इसलिये दी जाती है कि इसे पढ़ कर तैयारी कर लें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अभी लिस्ट दी गई है, तैयारी थोड़ी ही कर पाया हूं।

श्री अध्यक्ष : जिस पर तैयारी की है वही पूछ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि नगरपालिका को लिखा गया था सरकार की ओर से कि रियायती दर पर जमीन दी जाय, क्या कन्सेशन के खिलाफ लिखा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : मैं समझता हूं एग्रीमेंट के आर्टीकल नं० ३ में लिखा है :

"Land upto two acres required for the factory would be given as near to the railway station and the present industrial area as possible at the usual concessional rate for industry."

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो पूछ रहा हूं कि सरकार की ओर से नगरपालिका को सस्ते दर पर जमीन देने का लिखा था क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस एग्रीमेंट के अनुसार तो लिखना चाहिये, पर वे कह रहे हैं कि इसकी अभी उन्हें जानकारी नही है। वैसे एग्रीमेंट की शर्त यह जरूर है।

श्री भैरोंसिंह : इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो फैक्ट्री के देखने की बात है।

Page No.22

श्री भैरोंसिंह : जब फैक्टरी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो कन्सेशन कैसे दे दिया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस कन्सर्न के साथ एग्रीमेंट किया गया उसके अनुसार उसे सुविधाएं, रियायतें दीं। अब अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इसके लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या एग्रीमेंट में रजिस्ट्रेशन की शर्त नहीं थी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह जरूरी नहीं था कि किसी आदमी को सुविधा देने जावें और उससे कहें कि फैक्टरी को रजिस्टर करवायेगा तभी सुविधाएं दी जायगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या कम्पनी की ओर से कोई एग्रीमेंट लिखागया था कि इन इन कन्सेशन्स के मिलने के बाद इन इन शर्तों को पूरा किया जायगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जो एग्रीमेंट हुआ था वह दूसरी चीज है, क्या शर्तें थीं क्या नहीं थीं, इस वक्त यह बताना मुश्किल होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

बाड़मेर जिले के उत्तर पश्चिम में मीलों लम्बा जंगल लगाना

३४५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बाड़मेर जिले के उत्तर-पश्चिम भाग में मीलों लम्बी भूमि की पट्टी में जंगल लगाया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि उस पूरे इलाके के चारों ओर तार बन्दी न होने से वहां के निवासियों की मवेशी को बार बार फाटक में ले जाया जाता है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र वहां तारबन्दी कराने का प्रयत्न करेगी ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। केवल २ वर्ग मील भूमि की पट्टी में जंगल लगाया गया है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : क्या वहां तारबन्दी है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कि ओरीजिनल स्कीम हमारी ४० मील लम्बी और ५ मील चौड़ी जमीन एक्वायर कर के एफोरेस्टेशन करने की थी, पर २ स्क्वायर मील का एरिया ही लिया है जो गडरा रोड से चार मील की दूरी पर है, वहां हमने चारों तरफ तार बन्दी करवा दी है, वहां तारबन्दी और सोइल कंज़र्वेशन दोनों काम किये जा रहे हैं। इसके अलावा इसके पास ही एक ५० एकड़ का जमीन का टुकड़ा लिया है जहां पाश्चर इम्प्रूव्ड वेराइटी के अच्छे घास का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ५० एकड़ के इस टुकड़े पर अभी तार बन्दी नहीं की है। दो स्क्वायर मील की जमीन की पट्टी पर जो तारबन्दी की गई है, उस पर ३२,००० रुपया तारबन्दी का लगा है।

श्री तनसिंह : तारबन्दी ही कराई जाय यह कोई जरूरी नहीं है। खाई खुदा कर मिट्टी की डोली कब जगह कर दी जाती है। इस तरह की भी व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या इस ५० एकड़ जमीन पर भी इसी

(श्री तनसिंह)

का बन्दोबस्त कराने की कोशिश करेंगे ताकि मवेशी न आ सकें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ५० एकड़ तो हमने पिछले साल ही एक्वायर किया है। इस साल एक्सपेरिमेन्ट करेंगे और अगली घास होगी उससे पहले व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट की अध्यापिकायें

३६६. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में महिला अध्यापकों की कितनी संख्या है ?

(ख) इनमें ऐसी कितनी अध्यापिकायें हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट से हैं।

(ग) क्या यह संख्या शिड्यूल्ड कास्टस के उस कोटे के अनुसार है जो सरकार की तरफ से नियत है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(घ) शिड्यूल्ड कास्टस के लोगों को उक्त विभाग में, उनके कोटे के अनुसार भविष्द में नौकरी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) २८० महिला अध्यापिकाएं हैं।

(ख) ६ अध्यापिकाएं हैं।

(ग) कोई भी नहीं क्योंकि कोटा पूर्ति की नियुक्ति के लिए कोई ऐसा आवेदन लेकर नहीं आया जिसके पास शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रमाण-पत्र हो। अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रमाण पत्र लेकर आये तो उसमें निर्धारित योग्यता हो तो उसे निर्धारित स्थान पर जरूर रखा जाता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह प्रमाणपत्र कौन दे सकता है ?

श्री पूनमचन्द : यह तो रूल्स में लिखा होगा या मजिस्ट्रेट होना चाहिये।

श्री हरिशंकर : क्या यह सही है कि जो स्थान रिक्त रहते हैं, उनकी सूचनाएं किसी विभाग को नहीं दी जाती और डाइ-रेक्ट रिक्रूटमेन्ट कर लिया जाता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा नहीं है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : किस संस्था को सूचना देते हैं ताकि हरिजन भाई वहां प्रार्थनापत्र कर सकें और उनको लिया जा सके।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : महिलाओं के लिए पूछते हैं तो कम से कम एक भी ऐसा केस लाइये कि योग्यता रखने वाली एक भी महिला को नहीं रखा गया हो ? ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, पर मैं कहता हूँ कि एक भी ऐसा केस हमारे सामने लाइये।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : मैंने कई आवेदन पत्र हरिजनों को प्रस्तुत कराये हैं पर जान-बूझ कर रिज़र्वेशन कर खत्म किये जा रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि आपसे प्रार्थना है कि हमारे साथ रियायत करें थोड़ी।

(विराम)

Page No.24

(श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री)

एक प्रश्न और पूछ लूं। क्या यह सही है कि जो स्थान रिक्त रहते हैं वे हरिजनों को न दिये जाकर अपने रिश्तेदारों को और व्यवहारियों को दिये जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

सीकरी बंध (जि० भरतपुर) की नहरों का जीर्णोद्धार इत्यादि

२४७. श्री नाथीसिंह (कामां) : Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

Wheather the silt up canals outside the Sikeri Bund, District Bharatpur are proposed to be cleared at the proper time every year and their embankment duly repaired ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : The work of clearing the canals and repairs to the banks is done yearly before rains, and will be done this year also.

श्री नाथीसिंह : क्या इस साल सफाई शुरू हो गई ? वर्षा का समय आ रहा है।

श्री भीखाभाई : शुरू हो जावेगी।

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर सिंचाई योजना के निर्माण-कार्य की तिथि

(१) श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या योजना एवं विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर सिंचाई योजना का निर्माण कार्य कौन सी तिथि से प्रारम्भ किया जायेगा तथा इस योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले के कौन कौन गांवों की कितनी कितनी भूमि लाभान्वित होगी ? बीकानेर जिले के गांवों में पानी कब तक पहुँचने की आशा है ?

उत्तर

(१) अभी कोई तिथि नियत नहीं हुई है किन्तु अनुमान है कि यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जावेगा। इस नहर से माणकसर, बीकमपुर, छिनू, नाचना व घंटाली के पश्चिमी गांवों में सिंचाई होगी, जिसमें बीकानेर जिले का साढ़े चार लाख एकड़ क्षेत्र सम्मिलित है। बीकानेर के गांवों को पानी योजना चालू होने से करीब छः वर्षों बाद मिल सकेगा।

लक्ष्मीनाथजी बीकानेर के मन्दिर का बड़ा हौज तैयार करने की योजना

२. श्री भीमसेन : (लूनकरनसर) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार ने बीकानेर शहर में श्री लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर के पास पानी का बड़ा हौज बनाने की योजना तैयार कर रखी है ?

(ख) अगर हां, तो क्या सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने का इरादा रखती है ?

(ग) अगर हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

बीकानेर शहर के लिये जलवितरण सुधार योजना बनाई जा रही है। उसमें इस बड़े हौज के

Page No.25

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

बनाने की भी व्यवस्था है । अर्थाभव के कारण उक्त योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में क्रियान्वित नहीं हो सकेगी, तृतीय पंचवर्षीय काल में होने की संभावना है ।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में परिवर्तित सहकारी समितियें

३. श्री नारायनसिंह मसूदा

Will the Minister for Co-opreative Department be pleased to state:—

1. How many co-operative Societies have ceen bonverted into multipurpose Co-operative Societies in the State during the period of the First Five Year Plan ?

2. Are all the Development blocks covered by such multipurpose Co-operative Societies ?

3. In what extent and in what way have these Societies contributed towards affording marketing facilities for the agricultural produce eliminating the middle-man's exploitation of the agriculturist ?

4. What contribution have these Societies made to afford Marketing facilities to cottageindustries in the community development blocks ?

उत्तर

(१) १४६

(२) केवल बस्सी एवं सागानेर विकास खण्ड बहुउद्देशीय समितियों से पूर्ण आच्छादित किये जा चुके हैं ।

(३) बहु-धन्धी सहकारी समितियों ने इस सम्बन्ध में कोई खास कार्य नहीं किया है । कृषि उपज की बिक्री के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उपयुक्त ६ स्थानों पर क्रय-विक्रय सहकारी समितियां चालू वर्ष में हैं और ऐसी दस समितियां चालू वर्ष में निर्माण करने का लक्ष्य निर्धारित है । द्वितीय पंचवर्षीययोजना के प्रारम्भ में ११ कृषि उपज क्रय-विक्रय समितियां मौजूद थीं । ये समितियां अपने सदस्यों की कृषि उपज की बिक्री का प्रबन्ध कर सकेंगी ।

(४) बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों में काश्त करने वाले व्यक्ति ही मुख्यत: सदस्य हैं । उद्योग धन्धों के लिए पृथक सहकारी समितियां स्थापित की हुई हैं ।

राजस्थान में बहुउद्देशीय समितियों की संख्या, सदस्य संख्या एवं माल की बिक्री क्रमश: २,५०३,६४,३०१ और ६० ६८,२७६ है ।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री सरकार के हाथ में लेने की योजना

श्री **भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार के ध्यान में है कि बीकानेर शहर में कई वर्षों से ग्लास फेक्टरी बन्द पड़ी है ?

(ख) क्या सरकार उसे अपने हाथ में लेकर चलाने का इरादा रखती है ?

(ग) अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(क) हां

(ख) नहीं

(श्री उद्योग मन्त्री)

(ग इस फैक्ट्री के मालिकों में परस्पर झगड़ा चल रहा है—व उन्हें विभिन्न विभागों के dues चुकाने हैं। यह एक छोटी फैक्ट्री होने के कारण सरकार अपने हाथ में लेना नहीं चाहती । यह निजी क्षेत्र में चलनी चाहिये।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिक द्वारा सुविधायें देने हेतु प्रार्थना-पत्र

५. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिक सरकार से कई बार प्रार्थना कर चुके हैं कि यदि बड़े उद्योगों को मिलने वाली सुविधायें सरकार देने को तैयार हो तो वे फैक्ट्री को पुनः चालू कर सकते हैं ?

(ख) अगर हां, तो सरकार उन्हें क्या सुविधाएं देने को तैयार है और कब तक ?

उत्तर

श्री जे. बी. मंघाराम के प्रतिनिधि श्री अजवानी से सरकार ने ग्लास फैक्ट्री के चलाने के बारे में कई बार बातचीत की है। फैक्ट्री की जमीन व स्थाई फिक्सचर्स के मालिक सेठ बदरीदास डागा हैं और ये मेसर्स हरदाया राम बहांरूमल, लूकर मेसर्स चेतन दास गिरधारी व मेसर्स मंघाराम व बालचन्द को लीज पर दी गई है। मेसर्स हरीश एन्ड सन्स इसके एकमात्र एजेन्ट थे। श्री अजवानी को लिखा गया कि वह बतायें, वह क्या क्या सुविधायें चाहते हैं – व फैक्ट्री के जो dues बाकी हैं, उनके बारे में उनकी क्या योजना है। पर श्री अजवानी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

सरकार उन्हें सब उचित सुविधाएं देने को तैयार हैं।

जब कोई भी पार्टनर सुविधाओं के बारे में बात करने आयेगा सब सहयोग दिया जायेगा।

राज्य के अध्यापकों में अनुसूचित जाति के व हारजन अध्यापक

६. **श्री लादूराम** (दूदू) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

राज्य में कितने मास्टर तथा हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट व हरिजन कहलाने वाले कितने और कहां कहां हैं ?

उत्तर

(क) राजस्थान में कुल ३०१६६ अध्यापक हैं।

शिड्यूल्ड कास्ट तथा हरिजन कहां कहां हैं, इसकी सूचना तमाम जिलों से अभी प्राप्त नहीं हो सकी है आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी। जिन स्थानों की प्राप्त हो सकी है वह प्रस्तुत है :

उदयपुर	२
चित्तोड़गढ़	५
बूंदी	८
भीलवाड़ा	४४
डूंगरपुर	१७
झालवाड़	३५
कोटा	६३
बांसवाड़ा	१३
जयपुर	५५
नागोर	३
किशनगढ़	६६
बीकानेर	१ हरिजन

बीकानेर डूंगर कॉलेज में उपयुक्त स्थान व फर्नीचर के अभाव की पूर्ति

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार के ध्यान में है कि बीकानेर स्थित डूंगर कालेज में लड़कों के पढ़ने के लिए स्थान एवं फर्नीचर का अभाव है ? अगर हां तो सरकार किस प्रकार व कब तक इस कमी को पूरा करने का इरादा रखती है ।

उत्तर

स्थान की कमी तो चार कमरे बनने तथा होस्टल के बनने से दूर हो गई है, फरनीचर की कमी को यथासम्भव दूर करने का प्रयत्न किया जावेगा ।

नावां तहसील में चूने के कंकर खोदने व पत्थर निकालने का ठेका

८. **श्री किशनलाल शाह** (नावां) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) नावां तहसील में किन २ गांवों का किस २ को, कब २ व कितने समय तक चूने के कंकर खोदने व पत्थर निकालने का ठेका दिया गया है ?

(ख) उक्त ठेका रॉयल्टी नोनफिकेशन कंट्रक्ट, बाकी लाज है या लाइसेंस है ?

(ग) उक्त प्रत्येक ठेके का क्षेत्रफल कितना कितना है ?

(घ) क्या ठेकेदारों से ऐसे ठेकों का इकरारनामा लिखवाया जा चुका है और जमानत की रकम ली जा चुकी है ? यदि हां तो कितनी कितनी और कब—कब ?

(ङ) क्या इस विषय में ठेकेदारों के विरुद्ध जनता की ओर से शिकायत भी आई है ?

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(छ) क्या यह सही है कि भूंणा, कांकरिया, गोविन्दा की पहाड़ियों में कार्य करने वाले लगभग दो सौ मजदूरों को ठेकेदारों ने पत्थर निकालने से मना किया है ?

(ज) क्या यह भी सही है कि किसी मजदूर के विरुद्ध विभाग ने पुलिस द्वारा चालान भी करवाया है ?

उत्तर

(क) सूची संलग्न है ।

(ख) डाइरेक्ट वर्किंग लीज है ।

(ग) पूरे गांव के क्षेत्रफल का ठेका दिया गया है ।

(घ) इकरारनामे की शर्त पर आखिरी बोली वाले के हस्ताक्षर करा लिए गये हैं । तथा कुल ठेकेदारों से ठेके का इकरारनामा लिखवाया जा चुका है और जमानत की रकम ली जा चुकी है ।

(ङ) सूची संलग्न है ।

(च) हां ।

(छ) जांच की कार्यवाही जारी है ।

(ज) हां ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

१२. २ म० प०

राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस विधेयक, १९५७

(अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इण्डेटेडनेस बिल, १९५७ पर बहस चल रही थी और क्लॉज ८ विचारार्थ था । इस पर दो संशोधन आये हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय: माननीय अध्यक्ष, मैं अपना संशोधन मूव करना नहीं चाहता।

श्री तेजाराम : मूव नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, न तो कोई 'हां' बोला न कोई 'ना' ही कहा।

('हां' की आवाज)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज ६ पर कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ६ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ६ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष क्लॉज १०, श्री तेजाराम।

श्री तेजाराम (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन जो इस प्रकार, है पेश करता हूं :

I want to move an amendment in section 10, sub-section (1) (c) that in line 5 for the word "six" the word "Four" may be substituted and in line six, "six" may be substituted for "nine".

श्री अध्यक्ष महोदय, क्लॉज १० रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल का है, वह है डिटर्मिनेशन ऑफ डेट और इसमें जो रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट है, उसको डेट रिलीफ कोर्ट (Debt Relief Court) तय करेगी कि सिद्धान्तों पर कितना रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट देना होगा। जो बहुत पुराना कर्जा है उसको इस क्लॉज के तहत रिलीफ देना जरूरी है और इस क्लॉज के सब क्लॉज (२) में के सब सेक्शन २ में यह आदेश है कि पहले का जो कर्जा होगा, उसको ४० प्रतिशत कोर्ट माफ कर देगा और १६४३ के बाद का जो कर्जा होगा और जो कर्जदार उस कर्जे को चुका नहीं सके, अगर उनको हम किसी तरह हेल्प नहीं कर सकते, तो मैं यह चाहता हूं कि रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट अनसिक्योर्ड लोन पर ६ प्रतिशत रखी जाए और सिक्योर्ड लोन पर ४ प्रतिशत रहनी चाहिये। जो अभी अनसिक्योर्ड लोन के लिए ६ प्रतिशत और सिक्योर्ड लोन के लिए ६ प्रतिशत रखी गई है।

मैं माननीय अध्यक्ष, निवेदन करूंगा कि जो लोग कर्जा चुकाने में असमर्थ होंगे वही इसकी शरण लेंगे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी सूरत में जो कर्ज का बोझ, उन पर है उसको कम डाला जाए और अनसिक्योर्ड लोन पर ६ प्रतिशत ब्याज और सिक्योर्ड लोन पर ४ प्रतिशत ब्याज रखा जाए तो उचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि ६ प्रतिशत ब्याज के बजाय ४ प्रतिशत के लिये सिक्योर्ड लोन पर और ६ प्रतिशत के बजाय ६ प्रतिशत अनसिक्योर्ड लोन के लिए इन्ट्रेस्ट की दरों के लिए कहा गया है, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट को ध्यान में रखते हुए यह सब रखा है। यदि इस प्रकार हम ध्यान नहीं रखेंगे तो आयन्दा किसानों

Page No.29

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को रुपया मिलना बन्द हो जायगा और मनी लेन्डिंग बिजनेस बन्द हो जाएगा । रूरल इकोनोमी पर इसका बहुत असर पड़ेगा। हम एक तरफ किसानों को राहत देना चाहते हैं मगर दूसरी तरफ जो कर्जा देने वाले बोहरे हैं, उनको कर्जा नहीं दें तो उनके लिये यह टीक नहीं होगा। हमने ६ प्रतिशत और ६ प्रतिशत सब बातों को ध्यान में रख कर ही रखा है। आज गांवों में सरकारी समितियें किसानों को कर्जा देने के लिये डेव्लप नहीं हुई हैं। ऐसी हालत में किसानों के लिये बहुत असुविधा हो जाएगी और हम उनके लिये असुविधा पैदा करना नहीं चाहते कि उनको कर्जा ही नहीं मिले। इसलिए जो रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट रखा गई है वह वाजिब है। अत: मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वे इन बातों को सोचते हुये अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): I would like to suggest one amendment. Of course the Hon'ble Minister-in-charge can say that it is not in time, but if he does not take it otherwise, my amendment is this. "In clause 10, sub-clause (c) this has been provided that stipulated rate of interest in the case of loans taken very recently will be too hard. I think it will be fair enough to fix some maximum, whatever the Hon'ble Minister-in-charge may deem proper. But let us fix some maximum in sub-clause (c).

श्री दामोदरलाल व्यास : I think the Hon'ble Member should not forget that there are other laws; for example, the Usurious Loans Act which prescribes a particular rate of interest. I think such type of loans will be covered by that law also.

श्री अर्जुनदास : Which law ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Usurious

श्री अध्यक्ष : This clause says :

"At the rate stipulated by the parties.........or six or nine per-cent per annum whichever is less." The Hon'ble Member should read the whole clause as it is. If the stipulated rate is lower than that then that will prevail, not otherwise.

श्री अर्जुनदास : 6% is only in case of previous decrees that have been passed, and not otherwise. Sir if there is no decree at all, then the rate will be......

श्री दामोदरलाल व्यास : That is no amendment. It is only a suggestion and I do not accept it.

श्री अर्जुनदास : If the Hon'ble Member does not object, we can move an amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : What do you want to suggest ? You have only said that 'stipulated rate' should not be there .

Then what should be substituted ?

श्री अर्जुनदास : I leave it to the discretion of the Hon'ble Minister

Page No.30

(श्री अर्जुनदास)

We can give suggestion But let there be some defnite provision, some maximum limit.

श्री दामोदरलाल व्यास : If the intentions is only to fix some maximum rate of interest, I quite appreciate and I agree that the money lenders should not be given an opportunity to charge whatever interest they like. But I say that there are other laws; for example, the Usurious Loans Act which prescribes the maximum rate of interest. Therefore, this law will also be Governed by that law. In that case it will not become ultra vires by the Act.

श्री अध्यक्ष : आप अपना अमेंडमेंट विथ्ड्रॉं करते हैं ?

श्री तेजाराम : मैं अपना अमेंडमेन्ट विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेंट श्री तेजाराम ने रखा है उसे वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तेजाराम : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ !

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ११.

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले क्लॉज़ १० तो पास करवाइये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ११

श्री तेजाराम : मैं क्लॉज़ १० के बाद '(ए)' एड करवाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आपने पहले क्यों नहीं मूव किया ? आप अब मूव करते हैं।

श्री तेजाराम : जी हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस एक्ट के क्लॉज़ १० और ११ में मेन्शन किया गया है काश्तकार की जो प्रोपर्टी होगी उस प्रोपर्टी को देखकर उसकी इन्स्टालमेन्ट तय की जायेगी। लेकिन पेइंग केपेसिटी कितनी होगी, क्या होगी यह उसमें मैन्शन नही किया गया है और उसकी पेइंग केपेसिटी को तय करते समय जो चीज दफा ६० सिविल प्रोसीजर कोड में अटेचमेंट से मुश्तसना है उसके अन्दर कन्सीडर की जायगी या नहीं की जायगी, उसके लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए मैं अमेन्डमेंट मूव करता हूं।

"Add the following new clause 10A:--

'Determining the paying capacity of the debtor:--In determining the paying capacity of the debtor the property which is exempt from attachment under section 60 of the Civil procedure Code or such other property as is provided in this Act, shall be excluded."

Page No.31

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसे कहां इन्सर्ट कराना चाहते हैं ?

श्री तेजाराम : क्लॉज़ १० के बाद ।

श्री अध्यक्ष : एक नया सब क्लॉज़ एड करना चाहते हैं। पेइंग कैपेसिटी किस तरह से डिटर्मिन की जाय, उसके बारे में ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अमेंडमेन्ट माननीय सदस्य ने रखा है, मेरे ख्याल से उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और वह इसलिए, कि पेइंग केपेसिटी के बारे में डैटर की पेइंग केपेसिटी किस तरह से तय की जायगी वह रूल्स में प्रेसक्राइब किया जायगा। इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन ६० में जो एग्ज़ेम्पशन है उसको पूरे ध्यान में रखा जायगा, जिस समय रूल्स बनाये जायेंगे उस समय ध्यान रखा जायगा और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस क्लॉज़ के लाने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : इस अमेंडमेन्ट का आप उस समय ध्यान रखिये जिस समय रूल्स बनायें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री तेजाराम : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तेजाराम ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री तेजाराम : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ११, इसमें शायद कोई अमेंडमेंट नहीं है ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १२, १३, १४, १५ और १६ एक साथ लिए जाते हैं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १२ से १६ विधेयक के अंग बनें

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १२ से १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १७ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत).

क्लॉज़ १७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १८ और १९

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १८ और १९ स्वीकार किये जांय ।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड १८ व १६ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड २० से २५

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २०, २१, २२, २३, २४ और २५ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २१ से २५ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

शिड्यूल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

शिड्यूल विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इण्डेटेडनेस बिल। १६५७ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

१२.६ म० प०

राजस्थान एन्टरटेनमेण्ट टैक्स विधेयक, १६५७

(खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री):— माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय। इसे पेश करते समय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में एन्टर्टेन्मेन्ट के लिए दो तरह की प्रणाली है। कहीं तो म्युनिसिपैलिटियां इस टैक्स को वसूल करती हैं और कहीं स्टेट ने एन्टर्टेन्मेन्ट कानून बना दिया है। इसके साथ ही म्युनिसिपैलिटीज़ और स्टेट के टैक्स की दरों को हम देखें तो पायेंगे कि वे अलग-अलग हैं। इनका एक रूप करना जरूरी है। सेन्ट्रल टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने सिफारिश की है कि इस तरह अलग-अलग दरों का रहना और अलग-अलग जगह से अलग-अलग दरों पर टैक्स वसूल करना मुनासिब नहीं है। इसलिए स्टेट ही एक कानून बनाये, एन्टर्टेन्मेन्ट के लिए और वही यह टैक्स लगाये। उसके मुताबिक अपनी सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी उसमें विचार करने के लिए और इस कमेटी ने सिफारिश की कि स्टेट गवर्नमेण्ट शीघ्र ही एन्टर्टेन्मेन्ट का कानून बनाये और वही टैक्स लगाये और जो रेटस हों वे एक सी ही हों और उसी के अनुसार यह विधेयक आपकी सेवा में उपस्थित किया गया है। इसमें जिन

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

म्युनिसिपैलिटियों से टैक्स लगाने के अधिकार लिये जायेंगे उन म्युनिसिपैलिटीज् को कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान इसमें है ।

एक और भी धारा ४ विशेषतया इसमें रखी गई है, सरकार जो भी टैक्स की दर नीयत करेगी वह दरें अगली विधान सभा में विचारार्थ पेश किये जायेंगे, उसमें प्रस्ताव द्वारा संशोधन लाया जा सकता है और जिस प्रकार विधान सभा मन्जूर करेगी वह सरकार मान्य करेगी, ये मुख्य मुख्य बातें इस बिल की हैं ।

इसके अलावा एक मामूली बात और है वह यह कि यह जो टैक्स लगेगा कॉम्पलीमेन्टरी टिकट्स वालों पर भी लगेगा....

श्री अर्जुनदास : बगैर टिकट वालों पर.........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी) बगैर टिकट वालों को तो घुसने ही नहीं दिया जायगा ।

श्री अर्जुनदास : बगैर टिकट वालों पर नहीं होगा तो मंत्रियों का क्या होगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके अलावा इस कानून में यह भी प्रावधान है कि इस प्रकार के कार्यों में देरी होती है, उसको क्या सजा दी जायगी, उसका क्या प्रोसीजर होगा यह सब इसमें बताया गया है । मैं समझता हूँ, इसको सदन के माननीय सभी सदस्य स्वीकार करेंगे और जब कि म्युनिसिपैलिटियों को मुआवजा देने का प्रोवीजन कर दिया गया है तो किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, उनको किसी प्रकार की हानि या तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस बिल को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस बिल को विचारार्थ प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय...............

श्री तनसिंह (बाडमेर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर; अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के प्रिन्सिपल्स पर डिसएग्री करता हूँ, इसलिये मुझे बोलने का मौका दिया जाय ताकि प्रिन्सीपल्स पर डिसकशन करूँ ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रिन्सिपल्स पर भी बोल सकते हैं और प्रवर समिति के प्रस्ताव पर भी बोल सकते हैं ।

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय वित मंत्रीजी ने इस बिल के संबन्ध में अपने विचार इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किये उससे ऐसा अन्दाज लगता है कि उनकी जानकारी के अनुसार यह एक इन्नोसेन्ट बिल (innocent bill) है और केवल इस दृष्टि से सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है कि राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में इस प्रकार की रकम वसूल करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के कानून हैं । अध्यक्ष महोदय, अगर केवल यह बात होती राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों के अलग-अलग कानूनों का एकीकरण करना है, तो मैं समझता हूं इसमें सदन को आपत्ति नहीं होती और इसी समय इस पर विचार करके सदन में पास हो सकता था । लेकिन इसमें एक सब से बड़ा प्रश्न आता है और वह यह कि इस प्रकार के कर जो आज तक नगरपालिका वसूल

(श्री भैरोंसिंह)

करती चली आ रही थी और अब यह कर सरकार द्वारा वसूल किया जायगा। कहने को तो माननीय वित्त मंत्री कह रहे हैं, इस बिल के अन्दर इसका उल्लेख है कि म्युनिसिपैलिटीज के इस कर को सरकार द्वारा लेने से जो हानि होगी उससे उनको कम्पेन्सेट कर दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय, कम्पेन्सेट करने के प्रश्न को लेकर दो उलझनें, दो समस्यायें हमारे सामने आती हैं। पहली समस्या यह कि जितने कर नगरपालिकायें वसूल करती हैं उतने कर कम्पेन्सेशन के रूप में नगरपालिका को मिल जायेंगे या नहीं ? दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि आज नगरपालिकाओं की ओर से जो कर वसूल करने की व्यवस्था थी वह व्यवस्था अब सरकारी रुख अख्यार करेगी। इसके कारण सरकार का खर्च बढ़ेगा और मैं समझता हूँ वह खर्चा कम्पेनसेशन में से काटा जायगा।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं की आज जिस प्रकार की परिस्थिति है वह कोई सन्तोषजनक परिस्थिति हो, ऐसा कतई नहीं लगता। समय समय पर विधान सभा में प्रश्न पूछे जाते हैं और सरकार की ओर से जानकारी भी दी जाती है। कई जगह नगरपालिकाओं की ओर से, सरकार द्वारा सहायता देने को, कहा जाता है लेकिन अन्त में नगरपालिका के विषय में आर्थिक परिस्थिति का ज्ञान कराया जाता है। उस समय केवल एक दलील दी जाती है कि सरकार के पास में पैसा नहीं है, नगरपालिका को देने के लिए धन नहीं है इसलिये नगरपालिकाओं द्वारा नगरवासियों की सेवा होना संभव नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज हम यदि नगरपालिकाओं की परिस्थिति पर विचार करें तो हमें निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा, जिसमें नगरपालिकाओं के लिये कुछ ऐसी रकम निर्धारित कर दें जिस रकम के कारण नगरपालिकाओं को सरकार के मुंह की ओर न देखना पड़े, खुद आत्म-निर्भर हो जांय, जिसके कारण सरकार और नगरपालिकाओं के बीच राजनैतिक दलबन्दी के कारण संघर्षमय और विषैला वातावरण बन सकता है, वह न बने। मैं मानता हूं कि सरकार का यह दृष्टिकोण किसी हद तक सही हो सकता है कि सरकार यह रकम वसूल करके नगरपालिकाओं को दे दे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज तक जो नगरपालिकाओं की परिस्थिति रही है उसको देखने के बाद ऐसा आभास मिलता है कि अगर नगरपालिका किसी दूसरे दल की है जिसकी विचार-धारा सरकार से मिलती जुलती नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में होता क्या है कि सरकार का दृष्टिकोण यह होगा कि उस नगरपालिका को जिस प्रकार से कानूनी ढंग से हो, वैधानिक रूप से हो, जितना भी जल्दी हो उसको भंग करने की कोशिश की जायगी। प्रश्न यह भी आ सकता है कि किसी नगरपालिका को तीन लाख रुपया कम्पेन्सेशन के रूप में मिलना चाहिये तो वह किस प्रकार से डिटर्मिन किया जायगा। इसमें अध्यक्ष महोदय, ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस साल यह टैक्स लागू होगा उसके पहले के तीन सालों का एवरेज निकाला जायगा और उसी के आधार पर मैं समझता हूँ, जहां तक इस कानून की इबारत की मन्शा है, वह फिक्स रूप में होगा।

आज जयपुर में पांच सिनेमा घर हैं, पांच और बढ़ सकते हैं। अगर पिछले तीन वर्षों का रेकार्ड निकालें तो पिछले तीन वर्षों में पांच सिनेमा घर नहीं बल्कि तीन ही

(श्री भैरोंसिंह)

थे। इस तरह से कई स्थानों पर पिछले तीन सालों का एवरेज नहीं हो सकता। कई स्थानों पर नये सिनेमा घर भी हो सकते हैं तो आप किस प्रकार से एवरेज निकालेंगे? कई जगह जहां राइज़िंग कम्पेन्सेशन है उसको हम किसी भी रूप में लिमिटेड नहीं कर सकते। वहां तीन वर्षों का एवरेज कम होगा। आयन्दा अगर सिनेमा की संख्या बढ़ती है तो करों में वृद्धि होती है और उस कर वृद्धि के कारण कम्पेन्सेशन एक रूप से कम होगा।

तो इसका मतलब यह हुआ कि आमदनी को म्युनिसिपेलिटी की आमदनी को अपने कब्जे में करने की चेष्टा सरकार की है।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारी नगरपालिका का जो कानून है उसके अनुसार, मैं यह कहूं कि सरकार यह चाहती है कि वे सरकार के इशारे पर चलने वाली स्थानीय निकाय हों, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सरकार को उन्हें भंग करने का अधिकार है, सरकार को उसके किसी सदस्य को हटाये जाने का अधिकार है, उनकी अवधि में वृद्धि की जा सकती है, चुनावों के समय उनको स्थगित किया जा सकता है, उनको डिज़ोल्व और सस्पेन्ड किया जा सकता है। तो आज सरकारी मशीनरी में जो नगरपालिकाओं का ढांचा है वह किसी भी रूप में प्रजातान्त्रिक ढांचा है, ऐसी बात नहीं है।

ऐसी स्थिति में अगर नगरपालिका में अपना बहुमत बनाने की दृष्टि से हम ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं कि इस प्रकार की जो सहायता मिलने वाली है वह समय पर नहीं मिले; ये बातें हमें इस बात की ओर ले जाती हैं कि फिक्स्ड अमाउन्ट के नाम पर, तीन साल के एवरेज के नाम पर, कम्पेन्सेशन के नाम पर सरकार नगरपालिकाओं की आमदनी को अपने कब्जे में कर रही है।

हम विश्वास करते हैं इस सिद्धान्त में कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जावे। जितनी भी हमारी मशीनरी है, काम हैं, उनको आज के युग में केन्द्रित करने की आवश्यकता नहीं बल्कि विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता है। पर हमारी समझ में यह नहीं आया कि सरकार यह कहती भी है, पर जहां कानून बनाने का प्रश्न आता है, रकम वसूल करने का प्रश्न आता है वहां इसके प्रतिकूल सत्ता का केन्द्रीयकरण करने में वह अपनी सारी शक्ति खर्च कर देती है। सरकार कहती है एक तरफ तो कि काम बहुत ज्यादा है। रेड टेपिज्म इस वजह से बहुत ज्यादा है। जनता कहती है काम को बांट दो, रेड टेपिज्म को खतम करो। मैं समझता हूँ कि इसको ध्यान में रखते हुए सरकार के लिये यह कोई आवश्यक नहीं कि वह नगरपालिका के जो अधिकार हैं उन्हें वह अपने में ले। इसका एक कारण हो सकता है कि सरकार कह सकती है कि नगरपालिका कर वसूल नहीं कर सकती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को उन चुने हुए सदस्यों की नगरपालिका पर अविश्वास नहीं करना चाहिये, उनकी योग्यता के बारे में शक नहीं करना चाहिये। आज नगरपालिका जनतन्त्र की शासन प्रणाली का एक घटक है और महत्वपूर्ण घटक है। तो ऐसे घटकों का हम निर्माण करते हैं, सत्ता में हाथ बटांने के लिए करते हैं; तो उन घटकों के प्रति हमें कभी भी अविश्वास की भावना नहीं रखनी चाहिये।

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

और दो चीजें हैं, उनको अधिकार देने में और सत्ता को विकेन्द्रित करने में। एक तो उनके प्रति अविश्वास की भावना दूर होगी, चुनावों के नाम पर जो अतिरिक्त बोझा सरकार पर आने वाला है उससे सरकार मुक्त होगी और जो नगरपालिकाएं सेल्फ सपोर्टेड हो सकती हैं उनके लिये मार्ग खुला होगा। इसलिये मैं कहता हूँ कि सरकार ने जो इसे अपने हाथों में लेने की व्यवस्था की है वह अनुचित है।

इसको दूर करने के लिए इस समय अमेन्डमेन्ट पेश किया गया है। अव्वल तो मैं समझता हूँ कि उस अमेन्डमेन्ट के भाव को नहीं समझे हैं और नहीं समझ कर सरकार यह कह दे कि जो कुछ बनाया है वही ठीक है; इस दृष्टिकोण से नामन्जूर करने की स्थिति में होंगे। पर इस पर विचार करना है आज कानूनों का एकीकरण करने के बाद किस प्रकार से अधिकार नगरपालिका को दे सकते हैं? इसमें उनको भी मतभेद नहीं होना चाहिये।

ग्राम पंचायतों को और नगरपालिकाओं को हमने अधिकार दिये हैं, नगरपालिकाएं टैक्स वसूल करती हैं, पंचायतें करती हैं। तो फिर सिनेमाओं में जो टैक्स वसूल किया जाता है वह भी नगरपालिका वसूल कर सकती है।

पर यह तय हो कि यह टैक्स कितना हो? सरकार जो टैक्स की दर नियत करेगी वे होंगी। मेरी यह धारणा है कि जिस कानून में दरें निश्चित नहीं की जातीं वह कानून निश्चित रूप से अधूरा है। सरकार इस मामले में ब्लैंक पेपर पर विधान सभा की मोहर लगवाना चाहे तो यह बहुमत का दुरुपयोग होगा। एक ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराने का मतलब होगा कि सारे सदन को मुगालते में रखना और जनता को भी गुमराह करने की चेष्टा करना। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी फाइनेन्शियल बिल बने उसकी पूरी रूप रेखा सदन में आनी चाहिये।

पर हमारे वित्त मन्त्री महोदय कहते हैं, रेट क्या होगी यह सरकार निर्धारित करेगी। मैं कहता हूँ कि सरकार के निर्धारित करने से पहले जैसी भी व्यवस्था सरकार करना चाहे वह इस कानून के साथ ही आनी चाहिये। सरकार कह सकती है कि जिस समय रेट लागू की जावेंगी वे सदन में प्रस्तुत की जा सकेंगी, सदन तब उस पर विचार कर सकेगा। उसमें परिवर्तन और परिवर्धन करने का अवसर बाद में आवेगा। हम जिस चीज को कानून का रूप दे रहे हैं वह कानून का रूप इस बात की ओर निश्चित संकेत करते रहना चाहिये कि अमुक प्रकार का टैक्स अमुक मात्रा में लगेगा। पर इसका उल्लेख इसमें नहीं है। मुझे इसमें आपत्ति है। इस प्रकार की परिपाटी कि जिसमें टैक्स की बात को छुपाया जाता है यदि सदन के द्वारा इस परिपाटी का पालन हुआ तो भविष्य में खतरा है।

यदि यह सिलेक्ट कमेटी में रखा जाए तो यह भी व्यवस्था कर सकेंगे कि नगरपालिका को किस प्रकार के अधिकार दिये जावें, नगरपालिका द्वारा इसमें किस प्रकार की वसूली होगी, किस प्रकार वह अकाउन्ट मेन्टेन करेगी और यह भी निश्चित कर सकेंगे कि किस मात्रा में टैक्स होगा?

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार यह भी कह सकती है कि सारे राजस्थान में समान दर होगी एन्टेंनमेन्ट टैक्स की। कई नगरपालिकाओं में यह टैक्स बराबर होता है। यदि कोई चार आने का टिकट लेगा तो उसको भी एक आना टैक्स देना पड़ेगा, आठ आने का टिकट लिया तो उसे भी एक आना रुपये का लिया तो उसे भी एक आना टैक्स देना होगा। असमानता की वसूली का वातावरण यह सरकार राजस्थान में इन्ट्रोड्यूस करने वाली है। हमारे सामने आज यह बहुत जरूरी प्रश्न है कि हम इस असमानता के वातावरण को समाप्त करें।

मैं चाहूंगा, इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रीजी सोचें, एक कमरे में बैठकर विचार करें, कौन सा टैक्स कितनी मात्रा में वसूल किया जावे इस पर भी विचार करें और नगरपालिका इसको वसूल कर सकती है या नहीं, इस पर भी विचार करें। हमारी सरकार के सामने स्पष्ट चित्र नहीं है इसलिए इस पर भी विचार करें।

इसमें एग्ज़ेम्पशन का भी प्रोविजन रक्खा है कि किन किन व्यक्तियों से यह टैक्स नहीं लिया जावेगा। एग्ज़ेम्पशन का प्रश्न आता है तब हम ऐसा भी प्रश्न कर सकते हैं कि किस श्रेणी को मुक्त कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बैकवर्ड क्लासेज़ हैं, महिला समाज है। महिला समाज आज पूरी तरह से उन्नतिशील हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता और इनके बारे में, जनरल रिमार्क तो नहीं कर सकता हूं, पर फिर भी महिला समाज को बैकवर्ड क्लासेज़ में शामिल कर लिया जावे तो बहुत ज्यादती नहीं होगी।

श्री जनार्दनराय नागर : बहुत ज्यादा हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनके कहने का मतलब यह था कि महिलाओं में भी तो कुछ विधान सभा की मेम्बर हैं ....

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Speaker Sir, क्या मेरे माननीय दोस्त इस बात का विरोध कर रहे हैं या कोई सुझाव दे रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपकी अक्ल से सम्बन्ध है। आप सोच लें।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि इन एग्ज़ेम्पशन्स के बारे में सोच सकते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : श्रीमान्—यदि हमने महिलाओं पर एग्ज़ेम्पशन दिया तो सबको शाम को बैठ कर रोटी बनानी पड़ेगी और वे जावेंगी तमाशों में।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : इन महिलाओं के साथ आप भी आ सकते हैं।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप आते हैं, मैं आता नही।

श्री भैरोंसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, इन एग्ज़ेम्पशन्स के प्रश्न को लेकर हमको विचार करना पड़ेगा। जो हमारे हरिजन बन्धु हैं, बेकवर्ड क्लासेज़ और शिड्युल्ड क्लासेज़ के लिए भी हमेशा रिज़र्वेशन की बात करते हैं, उनको कानूनी रूप से बैकवर्ड क्लासेज़ और शिड्यूल्ड कास्ट्स में माना है, पिछड़ी जाति में माना है।

अध्यक्ष महोदय, सिनेमाओं का जहां तक प्रश्न आता है, मैं यह निवेदन करूंगा कि

(श्री भैरोंसिंह)

ये सिनेमा केवल एन्टर्टेनमेन्ट के लिए ही नहीं हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि आज अच्छे और शिक्षाप्रद पिक्चर्स की संख्या कम है, अधिकतर सिनेमाओं में प्रदर्शन होता है। पिक्चर्स जो दिखाये जाते हैं वे शिक्षाप्रद नहीं होते; समय आ रहा है, शिक्षाप्रद पिक्चर्स की संख्या में वृद्धि हो रही है। कम्पीटिशन हो रहा है और उसमें यह संकेत मिलता है कि जो शिक्षाप्रद पिक्चर्स होते हैं उनको लोग देखना ज्यादा पसन्द करते हैं। कई व्यक्ति हैं जो रद्दी पिक्चर्स भी देखना पसन्द करते हैं। लेकिन अन्ततोगत्वा परिस्थितियां ऐसी निर्माण हो रही हैं, परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि लोग अच्छी पिक्चर्स में ही जाना पसन्द करेंगे जो शिक्षाप्रद भी हों। सिनेमा भी एक चीज़ है, एक साधन है। समाजिक बुराइयों को यदि दूर करना है तो सिनेमाओं से करें। लोगों में जो इन्फीरीयोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको दूर करने के लिए इन सिनेमाओं से साधन प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ेम्पशन का विचार किया जा सकता है, महिलाओं को लेकर और कई और भी फैक्टर्स हैं उनको एग्ज़ेम्प्ट किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस कानून में कई त्रुटियां हैं और माननीय वित्त मन्त्रीजी आज विधान सभा में जो बातें प्रस्तुत करेंगे और उन त्रुटियों को निकालना चाहेंगे तो मैं समझता हूं कि उनके लिए यह एक असंभव चीज़ होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समित के विचारार्थ सुपुर्द करें। एक विचार आता है कि यह फाइनेन्स बिल है, हमने विचार प्रकट किये हैं, माननीय वित्त मन्त्रीजी को जितनी आमदनी होने वाली है उसकी ओर संकेत है तो हम इसके बाद विचार नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने लिये के तैयार हूँ कि यदि वित्त मन्त्री तैयार हों तो इसको पोस्टपोन कर लिया जाय। आज समय है, सिलेक्ट कमेटी की बैठक कर ली जाय, शाम को बैठ सकते है, कल सुबह इसकी रिपोर्ट पेश हो जाय। जिस प्रकार का यह बिल आया है, उसमें कई प्रकार के कॉम्प्लीकेशन्स हैं, इसमें रेट्स निर्धारित करने की बात है, एग्ज़ेम्पशन की बात है, नीचे से ऊपर तक यह बिल कॉम्प्लिकेशन्स से भरा हुआ है और यदि इसको इस प्रकार से रखा गया तो मैं समझता हूं कि जो कानूनी रूप इसको देने जा रहे हैं वह ठीक नहीं होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय, यह एक उत्तम चीज़ होगी। इसका कानूनी रूप भी ठीक होगा और जो माननीय सदस्य उस सिलेक्ट कमेटी में होंगे उसको ठीक कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी से पूर्ण सहानुभूति रखता हूँ इसलिए कि उन पर एक ऐसा कार्य सौंपा गया है कि जिसमें सिवाय हमारे ऊपर टैक्स लगाने के और कोई कर्तव्य उन्हें दिखाई ही नहीं देता। अब यह तीसरा या चौथा मौका आने के बाद में फिर आयगा। इस तीसरे मौके पर उन्हें बधाई दूं; इस विषय पर कि इतने दिनों तक उन्होंने व्यापारियों और दूसरों को लिया और अब तक स्वायत्त संस्थाओं को भी इस लपेट में लेकर अपना कोष भर रहे हैं। उन संस्थाओं की आमदनी का आसान तरीका था, कोई कॉम्प्लिकेशन्स नहीं थे इस एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स से, इस एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स को भी सरकार अपने अधिकार में लेना चाहती है। इस बिल के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह बताया गया

(श्री तनसिंह)

है कि टैक्सेशन कमीशन ने कुछ सिफारिशें सरकार के सामने की हैं और अनुरोध किया है कि सारी जगह एक युनिफोर्म रेट्स होनी चाहिए और उसी को सरकार कर रही है। यह ऑबजेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में बताया है और यदि सरकार इन दो बातों को करना चाहती है तो मैं निवेदन करूँगा कि इसमें बहुत सी गंभीरतायें छिपी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि अगर सारे राजस्थान में म्युनिसिपैलिटियां, नगरपालिकायें यह मनोरंजन कर ले रही हैं, और उसमें यदि विषमता है तो उसमें समानता लाने के लिए विचार करना चाहिए, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सरकार खुद लेवी करे। सब से आसान तरीका तो यह है कि नगरपालिका अगर कोई भी टैक्स लेती है वह सिद्धान्ततः नहीं लेती है, पहले प्रोपोजल्स बना कर मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजती है और मंजूरी के वक्त सरकार के हाथ लम्बे हैं, किसी को बढ़ा सकती है और किसी को घटा सकती है। वहाँ ही नगरपालिका को डाइरेक्शन दे सकती है कि समान रूप से टैक्स वसूल किया जाय। अब यह प्रश्न आता है कि सरकार इसको वसूल करे तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके एडमिनिस्टेटिवरीजन्स नही देखते हैं, केवल फाइनेन्शियल रीजन्स ही देखते हैं। जब सरकार वसूल करेगी तो कुछ तो वह एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज ले लेगी कुछ मूंछ फिरकाई के हैं, बनिया ब्याज लेता है उसके बाद भी और नफा उठाने की कोशिश करता है। इसी तरह से सरकार यह मुफ्त में लेना चाहती है। खर्चा निकालने के बाद सरकार नगरपालिका को कुछ सहायता के रूप में देगी। इस बिल में जो प्रावधान किया गया है वह यह है कि म्युनिसिपैलिटी की तीन साल के एक्चुअल आंकड़े होने पर सब्सिडी देने का विचार है। लेकिन ऐसी कई नगरपालिकायें हो सकती हैं जिन्होंने पिछले साल ही एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लगाया हो तो फिर वह तीन साल के वास्तविक आंकड़े कैसे पेश करेगी। कई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां सिनेमा खुले ही नहीं हैं और भविष्य में जहां सिनेमा खोले जाने वाले हैं, कई जगहों के प्रोपोजल्स होंगे और वे सरकार के विचाराधीन होंगे। तो ऐसी नगरपालिकाओं के लिए इस बिल में कोई प्रोविजन नहीं है जिसके कारण उसको सब्सिडी दी जा सके। जो कुछ देना है वह तो तीन साल का एवरेज देख कर ही दिया जायगा। तीन साल का वसूल नहीं होगा तो क्या किया जायगा; क्यों यहाँ मौन हैं?

मैं यह निश्चित जानता हूं कि नगरपालिका की एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स एक महत्वपूर्ण आमदनी है, वह आज ली जा रही है। मान लीजिये कि एक ग्राम-पंचायत है, वह कल नगरपालिका बनेगी तो उसको दिया जायगा या नहीं? इस सम्बन्ध में मौन हैं। सरकार यह उनको नहीं देगी। इस बिल के अनुसार तो सरकार उन्हीं नगरपालिकाओं को देगी जो नगरपालिका यह टैक्स तीन साल से ले रही है। मैं यह कहूँगा कि स्वायत्त शासन संस्थाओं की आमदनी का जो जरिया है उसको भी सरकार लेकर अपनी जेब भर रही है, दूसरे की जेब ज्यादा भर गई है और अपनी जेब खाली है इसलिए अपनी जेब भरने के लिए सरकार उसको हड़प रही है। मैं अपने यहां की नगरपालिका का उदाहरण दूंगा। ८॥ लाख का लोन लिया। सरल और आसान साधन की आमदनी जो इस टैक्स से, ४ हजार या १० हजार भी आमदनी हो सकती है, उस दस हजार की आमदनी को गवर्नमेन्ट लेती है। यह कहने को हो

(श्री तनसिंह)

सकता है कि जो पैसा वसूल कर रहे हैं वह का वही वापिस दे रहे हैं, उसमें आपको क्या देना पड़ता है। मैं कहता हूं कि यह तो नगरपालिका में जो रहने वाले लोग हैं उनको ज्यादा मालूम है। उनको ज्यादा एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स देना पड़ता है। मैं यह नहीं मान सकता कि नगरपालिका जो वसूल कर रही है उससे कम वसूल करेंगे, यह नहीं हो सकता। आप इसमें प्रोविजन करके तीन साल के आंकड़ों के ऊपर सब्सिडी दे रहे हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी तो होगा और कुछ जेब भी तो गरम करना चाहते हैं। तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार इसलिए दिलचस्पी ले रही है कि पहले जो टैक्स लगाया गया है नगरपालिकाओं द्वारा, उससे कम नहीं होंगे बल्कि ज्यादा होंगे। इसका मतलब यह होगा कि राजस्थान में सब से अधिक यह टैक्स लगेगा, नगर-पालिकाओं ने जो टैक्स लगाया है उससे भी अधिक लगेगा। आज मान लीजिये, किसी स्थान पर चार आना या दस आना क्लास पर एक आना एन्टर्टेनमेन्ट लग रहा है और किसी स्थान पर तीन आना लग रहा है, तो सबसे पहली बात यह होगी कि सारे राजस्थान में ३ आने लग जायेंगे पहली श्रेणी के लिये। कम से कम ३ आने होंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज़ मिलाकर ४ आ. हो जायेंगे। सरकार ने इसके लिये यह गुंजायश रखी है कि हम मर्जी माफिक पहली दफा लगायेंगे। आगे तो गजट में शाया करना पड़ेगा लेकिन पहली बार गजट में शाया करने की आवश्यकता नहीं है, मर्जी माफिक लगा लेंगे और यह कहा गया कि लगायेंगे तब आपके सामने आयेगा। आप रिज़ोल्युशन द्वारा अमेन्ड कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम ही क्यों नहीं खतम कर दें? सरकार टैक्स लगाना चाहती है तो उसे निश्चित धारणा बनानी चाहिये। सरकार जिस तरह से सारे स्टेट के लिये शासन-सत्ता अपने हाथ में रखती है उसी तरह से स्वायत्त संस्थाएँ भी अपने क्षेत्र में अपनी सत्ता रखती है। जिस प्रकार राज्य सरकार सारे राजस्थान के लिये सत्ता रखती है उसी प्रकार नगरपालिका अपने नगर में पूर्ण सत्ता रखती है और वह जो कर वसूल करती है उससे उसका खर्चा चलता है। आप उनके कर को स्वयं वसूल करके उनकी आमदनी में बाधा डालते हैं तो लोग, आखिर कहां तक कर देंगे? आप चाहते हैं कि हमारे विकास कार्यों की पूर्ति करने के लिये नगरपालिकाओं और पंचायतों से और दूसरी सब संस्थाओं से दे दें और फिर उसमें से कुछ उनको वापिस दे दें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स नगरपालिका का ही है और उसी के पास रहना चाहिये। ये दूसरे टैक्स; सेल्स टैक्स के नाम से, एग्री-कल्चरल इन्कम टैक्स के नाम से और कितने ही और नामों से आप लगा रहे हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर कोई सीमा तो होती है! यह तो मालूम होना चाहिये कि राजस्थान की इतनी आबादी पर इतना कर लगना चाहिये। इतने आदमियों पर इतना टैक्स लगायें तो भी इसकी सीमा होती है, उससे पता तो लगे कि अब १ रु० और फी आदमी लगाने की संभावना है या नहीं? नहीं तो यह हमेशा लगता ही जायगा और जितनी भी स्वायत्त संस्थाएँ हैं उनकी जेब कटती जायगी और आपकी जेबें भरती जायंगी।

दूसरी बात यह बताई गई है कि सरकार टैक्स वसूल करना चाहती है, लेकिन इसमें

(श्री तनसिंह)

एक प्रोविजन रखा है कि नगरपालिकाओं को भी कर वसूल करने का पॉवर दिया जा सकता है। अब समझ में नहीं आया कि जिस चीज को लेकर यह रखा गया उसमें दो बातें मुख्य हैं; एक तो समान रूप से वसूल करे और दूसरा सरकार वसूल करे। मैं यह कहूंगा कि ये दोनों ही बातें निराधार और अवैज्ञानिक हैं। एक सिनेमा पर एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लगा जयपुर में और एक लगा बाडमेर में और एक लगा गाँव में; तो इसके अनुसार तीनों ही स्थानों पर समानता होगी लेकिन मैं समझता हूं समानता नहीं हो सकती। कम से कम मनोरंजन का जहां तक प्रश्न हैं, जहां काम ज्यादा भारी होता है वहां मनोरंजन की ज्यादा आवश्यकता होती है लेकिन जिन गांवों में काम कम रहता है और खुली हवा मिलती है वहां इस तरह के मनोरंजन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। शहरों में एग्ज़र्शन ज्यादा होता है और वहां के लोगों की आमदनी भी ज्यादा होती है इसलिये वे मनोरंजन पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं लेकिन गांव वालों को न तो इस तरह के मनोरंजन की आवश्यकता होती है और न वे मनोरंजन पर ज्यादा खर्च ही कर सकते हैं। यदि आप टेक्स लगाते हैं तो कम से कम तीन आना रुपया सब स्थानों पर लगाना होगा, तभी समानता रहेगी। लेकिन यह समानता वैज्ञानिक आधार पर नहीं है।

दूसरी बात सरकार कहती है कि हम वसूल करेंगे, यह भी वैज्ञानिक नहीं है। हम तो यह कहते हैं कि सरकार यदि सब स्थानों पर वसूल करेगी तो ज्यादा करप्शन होगा। एक नगरपालिका है वह सिनेमा कर या मनोरंजन कर वसूल करती है। वह जिस योग्यता से वसूल कर सकती है उतनी योग्यता से सरकार वसूल नहीं कर सकती क्योंकि सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन की ओर ध्यान बड़ा है, नगरपालिका का नहीं है। नगरपालिका के ऊपर जो सेक्रेटरी रहता है वह १० क्लर्कों पर नियन्त्रण अच्छी तरह से रख सकता है लेकिन यदि सारे राजस्थान का जिम्मा उस पर हो तो वह अच्छी तरह से नियन्त्रण नहीं कर सकता।

काम के विभाजन का जहां तक प्रश्न है नगरपालिका स्वयं अपने कार्य को एक ढंग से योग्यतापूर्वक कर सकती है इसलिये यह न्यायसंगत बात नहीं है कि वह वसूल करे। इसके बाद यदि यह मान लिया जाय कि सरकार वसूल करे तो यह क्यों रखा है कि म्युनिसिपेलिटी वसूल कर सकती है, उसको वसूल करने का पॉवर दिया जा सकता है। इससे तो जब भी आप चाहें यह कह सकते हैं कि नगरपालिका ठीक ढंग से वसूल नहीं कर सकती है इसलिए हमें वसूल करना चाहिये। एक ओर आप वसूल करेंगे और दूसरी ओर आप नगरपालिकाओं को वापिस देंगे उतना जितना कि दो-तीन साल पहले उनको मिलता था। इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि आप क्यों वसूल कर रहे हैं और क्यों वापिस दे रहे हैं? वहां की जनता की सुख-सुविधा का ध्यान जितना म्युनिसिपेलिटी को हो सकता है उतना आपको नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, आप वसूल करके वापिस म्युनिसिपेलिटी को दे देंगे, मुझे इसका भरोसा नहीं है। ऐसी सूरत में एन्टरटेनमेंट टैक्स बिल जो आज हमारे सामने आया है उसके द्वारा स्वायत्त शासन संस्थाओं पर आप डाका डालते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति को लूट-खसोट कर सरकार अपना पेट भरना चाहती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम से कम नगरपालिका के हित को जनतन्त्रवाद में पन-

(श्री तनसिंह)

पाने के लिए यह आवश्यक है कि जो बिल हमारे सामने आया है उसे पास न करके यह बतायें कि आप इस प्रकार लोगों की जेब काटने का प्रयत्न न करें। आज नगरपालिका के कर को वसूल करना चाहते हैं, कल ग्राम-पंचायतों से वसूल करना शुरू करेंगे। ऐसी सूरत में हम सरकार को स्वायत्त शासन संस्थाओं पर हाथ डालने से रोकें इस लिए या तो वे अपना बिल वापिस लें या सदन को चाहिए कि वह इसे निरस्त कर दे। आज आप स्वयं देख सकते हैं कि जितने लोग यहां उपस्थित हैं उनमें से कितने इस टैक्स का समर्थन कर रहे हैं, कितने लोग दिलचस्पी उनकी बातों में लेते हैं, यह स्वयं समझ सकते हैं। वित्त मन्त्री जी स्वयं रीज़नेबल हैं। मैं आशा करता हूं कि वे स्वयं इसे विथड्रॉ कर लेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने राजस्थान मनोरंजन कर विधेयक प्रस्तुत है। राजस्थान में मनोरंजन पर कर लगाया जाय, यह कोई नई बात नहीं है। मनोरंजन पर कर लग रहा है यह बात सही है। कई स्थान ऐसे हैं जहां कर अधिक देना पड़ता है और कई स्थान ऐसे हैं जहां कर कम लगता है। जैसा कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में संकेत किया, राजस्थान में मनोरंजन कर की दर को समान करने के लिये इस बिल को यहां लाने का प्रयोजन है, लेकिन आज सदन के सामने जब यह बिल प्रस्तुत है तो सदन का कर्तव्य है कि इस बिल पर विचार करने से पहले इसमें क्या क्या खामियां हैं और कौन कौन सी बातें और आवश्यक है, इस पर विचार करना चाहिये।

मैंने इसे पढ़ा है और पढ़ने के बाद इस निर्णय पर पहुँचा कि हम राजस्थान में आखिर मनोरञ्जन कर क्यों लगाते हैं? इस बात पर मैंने थोड़ा विचार किया तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और विशेष भावना न होकर जैसा कि आजकल चल रहा है राष्ट्र निर्माण के लिये पैसा इकट्ठा करने का एक मकसद है। लेकिन माननीय अध्यक्ष, जब हम इस बात पर विचार करते है कि आखिर हम जनता के सामने इस प्रकार मनोरञ्जन क्यों प्रस्तुत करवाना चाहते हैं, क्यों सरकार को ओर से प्रस्तुत करते हैं। इसके कई अर्थ लिये जा सकते हैं। सब से पहले इस बात पर विचार किया जायगा कि हम मनोरंजन जनता को शिक्षित करने के लिये प्रस्तुत करते हैं, जनता को शिक्षित करने का जहां तक प्रश्न है, यह राजस्थान सरकार का ही नहीं, सारी सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वे अपनी जनता को शिक्षित करने के लिए, देश की समस्याओं से परिचित कराने के लिए, अपने देश के मूल्यवान तथ्यों को जनता के समक्ष रखने के लिये; समय समय पर इस प्रकार की प्रदर्शनियां, इस प्रकार के सिनेमा, नाटक आदि मनोरंजन प्रस्तुत कराये जाते हैं। जहां एक ओर इस बात का विचार रखते हैं कि हम जनता को शिक्षित करें, जनता में संस्कृति के विशेष गुणों का प्रसार करें, जनता में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उनका प्रसार करें, जनता को अपने समाज की जीवन रचना के सम्बन्ध में सुन्दर सिनेमाओं को देख कर अपने जीवन में लाने का एक माद्दा बतायें, इस प्रकार का आदर्श हम अपने सामने रखते हैं। एक तरफ जहां हम एक महान् आदर्श रखते हैं लोगों को शिक्षित करने का, वहां हम जनता से, उस जनता से जिसको हम शिक्षित करना चाहते हैं, पैसा वसूल करना चाहते हैं। मैंने इस

(श्री दयाकृष्ण विजय)

बिल को पढ़ा, मुझे ऐसा लगा कि हमारे सामने केवल एक पैसा वसूल करने का सिद्धांत है, हमारे सामने यह बात नहीं है कि हमको कौन से सिनेमाओं पर, प्रदर्शनियों पर अधिक टैक्स लगाना चाहिये........

१. १. म० प०

(श्री बरकतुल्ला खां सभापति; पदासीन)

या हम सब को एक घाट पानी पिलायें, सब को एक डण्डे से हांकने को कहें। जहां हम एक ओर चाहते हैं कि सिनेमाओं में पारिवारिक चित्र दिखाये जायँ, जीवन को प्रभावित करने वाले ऐसे सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये जायं, वहां हमने यह भी देखा है कि कुछ चित्र वयस्कों के लिए होते हैं जिनको बालक नहीं देख सकते। इस प्रकार के गन्दे चित्र अमेरिका से आते हैं, भारत द्वारा भी ऐसे विदेशी वासना को उभारने वाले चित्रों का प्रसारण किया जाता है। आज हमारे सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इस पर विचार करें कि हम पारिवारिक चित्रों को और वासना को उभारने वाले चित्रों को, उनके प्रदर्शन को एक ही श्रेणी में रखेंगे, तो जहां हम एक तरफ चाहते हैं कि हमारी जनता शिक्षित हों तो वहां हमे विचार करना पड़ेगा, और इस प्रकार का मनोरंजन कर, इस प्रकार के चित्रों पर ज्यादा रखना पड़ेगा जिनके बारे सेन्सर बोर्ड ने लिख दिया है कि वयस्कों के लिए। हम इस प्रकार के चित्रों पर पाबन्दियां लगा सकते हैं और उनके ऊपर अधिक टैक्स लगायें। ऐसे आयोजनों से हम पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इस बिल में ऐसी बात नहीं है।

फिर जब मैं देखता हूँ इस बात को कि यह कर नगरपालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में था। जैसा कि वित्त मन्त्री ने बताया कि अपने प्रारम्भिक भाषण में कि कितने स्थानों पर आज मनोरंजन कर नगरपालिकाओं द्वारा वसूल किया जा रहा है लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि उसके पीछे एक मन्शा है कि राजस्थान में समान दरें निर्धारित नहीं हैं। लेकिन इसबिल के खन्ड १४ में यह है कि उन्हों ने केवल नगर-पलिकाओं को कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हम एक ओर तो चाहते हैं कि हमारी जो छोटी निकायें हैं, वे अधिक विकास करें, हम उनको अधिक से अधिक सहायता दें और समाजवादी रचना में ऐसी विकेन्द्रित शासन व्यवस्था हो। हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायतें विकास करें, हमारी नगरपालि-कायें ज्यादा विकास करें, लेकिन जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि हम उनकी कहां तक आर्थिक स्थिति मजबूत बनाते हैं, तब मैं देखता हूँ कि हमारी सरकार एक ओर नारा लगाती है कि हम समाज में विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का प्रसार करना चाहते हैं, दूसरी ओर मैं देखता हूं कि शासन अपने हाथ में ही सारे अधिकारों को लेकर केन्द्रित करना चाहती है, तानाशाही की ओर बढ़ता जा रहा है, जो छोटे निकाय हैं, वे आर्थिक स्थिति में स्वस्थ होने चाहिये, मजबूत होने चाहिये किंतु उनको कमजोर किया जाता है, उनके आर्थिक साधनों को उनसे छीना जाता है। मैं समझता हूं कि यह इस प्रकार का एक प्रति-गामी कर है, इस प्रकार का कर एक तरह से अव्यवहारिक कर है। हम चाहते हैं कि हमारी नगरपालिकाएं विकास करें, हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोग स्वयं अपना विकास करें, देश का शासन उनके खुद के हाथ में है, वे ऐसा अनुभव करें। मैं

Page No.44

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मानता हूं कि यह एक ज्वलंत प्रश्न है। एक ओर हमारी सरकार नारा लगाती है विकेन्द्रित शासन व्यवस्था का और दूसरी ओर हम देखते हैं कि शासन सारी सत्ता को अपने हाथों में केन्द्रित करते जा रहे हैं, यह एक बुरी बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ और क्लाज़ १४ में मेरा संशोधन भी है, उस पर सदन के सदस्य अच्छी तरह से विचार करेंगे। उस संशोधन पर मैं संशोधन प्रस्तुत करते समय अपने विचार रखूंगा। जो कुछ आय इस प्रकार के कर से होती है, और जो निकायों द्वारा इकट्ठी की जाती थी, वह मनोरंजन कर आर्थिक दृष्टि से निकायों को दे देना चाहिए। इस प्रावधान में विचार है कि तीन साल का एवरेज़ निकाल कर, उस एवरेज़ को प्रति वर्ष निकायों को दिया करेंगे लेकिन मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि आज मनोरंजन कर के साधन बढ़ते जा रहे हैं। और आमदनी में भी बराबर वृद्धि होती जा रही है। नगरपालिकाओं को भी इस प्रकार के साधन जुटाने पड़ेंगे जिससे कि मनोरंजन कर से आय में वृद्धि हो। लेकिन तीन साल का एवरेज़ निकाल कर कोई निश्चित धन राशि निश्चित कर दें, तो उससे बढ़े हुए करों से वे मुक्त हो जाते हैं। मैं कहता हूँ, नगरपालिका का कर अधिकार जो आप ने लिया है, उसे आप मखमल में लपेट कर लेना चाहते हैं और कहते हैं कि हम उन्हें कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मखमल में लपेटी हुई बात का जो ताल्लुक है उससे आप बात को अस्पष्ट बनाना चाहते है। हमको चाहिए, कि हम जो नियम बनायें, वे ऐसे बनायें जो स्पष्ट हों। प्रत्येक नियम जो आपने बनायें, वे कॉम्प्लीकेटेड हैं, अस्पष्ट हैं, वे नियम साफ होने चाहिये, आप साफ तरीके से मनोरंजन कर में प्रावधान रखें। मैं, मनोरंजन कर लगाया जाय, इसका विरोधी नहीं हूं। मनोरंजन कर आप जरूर लगायें कि यह छोटी निकायों के विकास के लिये लगाया जाना चाहिये, जिन नियमों के अन्तर्गत, जिनके द्वारा यह वसूल किया जाता है, उनका विकास हो, हमारा मकसद इस प्रकार का होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त इसके अन्दर जुर्माना वगैरह जो रखा गया है, उनका मैं थोड़ा विरोध करता हूं। यह ठीक है कि कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं जो नियम के विरुद्ध हों, उनको रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए; उनको रोकने के लिए ऐसे कानून बनाने चाहिए; लेकिन कानून को बनाने से पहले इन बातों पर विचार करना चाहिए था कि हम जो कानून बना रहे हैं और जिन पर उसे लगा रहे हैं, वह व्यक्ति, जिन पर दंड रखा गया है, वह दे सकता है या नहीं? यह ठीक है कि थोड़ी सजायें जुर्म को रोकने के लिए आवश्यक हैं लेकिन सारी चीजों को व्यावहारिक पहलू से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखते हुए विचार करना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर यदि कोई व्यक्ति दो आने का, चार आने का टिकट लेता है और अपने स्वार्थ के कारण तीन आने में, पांच आने में बेच देता है तो उसके ऊपर २०० रु० का जुर्माना किया जा सकता है। यह इतना बड़ा दण्ड है जो छोटी सी गलती के कारण वह व्यक्ति दे नहीं सकता। आज व्यक्ति जुर्म क्यों करता है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमारे सामने देश की आर्थिक व्यवस्था का नक्शा आ जाता है। आज शिक्षित लोग बेकार हैं, अज शिक्षित लोग बेकार हैं, अशिक्षित के विषय में तो मैं क्या कहूं? आज आदमियों की जेबें खाली हैं, वे

Page No.45

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अपनी कमाई करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए इस प्रकार के जुर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मैं यह मानता हूं कि कुछ लोगों में प्रवृत्ति होती है जुर्म करने की, उस प्रवृत्ति को रोकना भी हमारा कर्तव्य है। आज की विषम परिस्थिति में, जब हमारी जेब खाली है, जब भूखा पेट पीठ से मिला हुआ है, उस समय इस बात पर विचार करें कि जो व्यक्ति किन्हीं ऐसे कारणों से, जो जीवन-स्तर को रखने के लिए आवश्यक है, विवश होकर किसी प्रकार का जुल्म करता है, उसके लिए भारी रकम रखें जुर्माने की, तो वह कहां तक उचित है ? इसलिए जो यह प्रस्ताव रखा गया है, इस बिल में, उसमें एक व्यावहारिक कठिनाई है, और उस पर विचार करना आवश्यक है; जैसे यह मनोरंजन कर किन किन व्यक्तियों पर लगना चाहिए ?

मैंने बताया, एक तो मनोरंजन के विषय में हमें देखना पड़ेगा कि मनोरंजन शिक्षा के लिये है या वासनाओं को उभारने के लिये ? समाज को ऊंचा उठाने के लिये है या समय पास करने के लिये ? फिर हमें देखना होगा कि इस मनोरजन को एन्जोय करने वाले, देखने वाले व्यक्ति कौन हैं। जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा, कुछ लोगों को इससे मुक्त रखना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा सुन्दर उदाहरण दिया महिलाओं का, पिछड़ी जातियों का। ठीक है पिछड़ी जातियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिये, उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिये इस तरह के कर से उन्हें मुक्त रखना चाहिये, पर आप उन्हें अच्छे मनोरंजक और शिक्षाप्रद दृश्य, नाटक, सिनेमा दिखाइये। आज आप करोड़ों रुपया शिक्षा के लिये खर्च कर रहे हैं। मनोरंजन दो तरह के हैं; एक तो सरकारी स्तर के मनोरंजन और दूसरे मनोरंजन वे जो कि समाज सेवकों की ओर से समाज सेवा की भावना लेकर किये जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सरकारी स्तर के जो मनोरंजन हैं उन पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा पर जो समाज-सेवक समाज की सेवा-भावना से ऐसे मनोरंजन जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उन पर कर लगायेंगे, उनसे यह टैक्स लेंगे, इसका भार पिछड़ी हुई जनता पर पड़ेगा, जिनको शिक्षित और उन्नत करने के लिये सरकार के साथ ही साथ प्राइवेट आदमी भी प्रयत्न करते हैं। महिलाओं के लिये जो कहा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ, सिनेमाओं में इस प्रकार के स्पेशल कक्ष होते हैं, जो महिलाओं के लिये होते हैं।

(वित्त मन्त्री महोदय द्वारा सदन से बाहर जाने पर ट्रेज़री बेंचेज़ पर कोई मन्त्री महोदय न होने के कारण)

श्री श्रीमानसिंह : On a point of order. Sir, the Hon'ble Member is speaking and the Treasury Benches are vacant; the Hon'ble Ministers are not there. What is the point of our speaking and sitting in the House.

श्री सभापति (श्री बरकतुल्लाह खां) : The Treasury Benches might be thinking that they would go through the proceedings afterwards, but actually I feel that at least one member of the Government should be present in the House.

श्री अर्जुनदास : I believe this is contempt of the House, Sir,

Page No.46

श्री सभापति : I would not take it for that but somebody will inform the Leader of the House or some member of the Government and they will come and listen the debate. The members are wasting the time and the Hon'ble Ministers are not listening to the debate.

(वित्त मन्त्री महोदय के पुनः लौट जाने के पश्चात्)

श्री दयाकृष्ण विजय: संबन्धित मंत्रीजी साहब को रहना चाहिये।

(जारी) हां, तो जैसा कि मैं कह रहा था कुछ एग्ज़ेम्पशन्स रहने चाहिये; विद्यार्थियों, महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये प्रावधान होना चाहिये।

माननीय चेयरमेन, जहां इस कर को वसूल करने का अधिकार नगरपालिका से छीन कर सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, और ऐसा प्रावधान इसमें रखना चाहती है वह प्रावधान पूर्णतया अव्यवहारिक है, अस्पष्ट है और इसके लिये इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये। विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं वे तो इसका समर्थन करेंगे ही, ट्रेजेरी बेंचेज़ पर बैठे हुए माननीय सदस्यों से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करें!

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मिस्टर चेयरमेन सर, जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कुछ चन्द रोज से विरोधी दल के जो भाषण सुने, उनसे मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वे लोग जनता को यह नतीजा दिलाना चाहते हैं, महसूस कराना चाहते हैं कि हमारे कानून के अन्दर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जेब काटता है, उसको सजा होती है, पर यह यूनियन से लेकर सारी स्टेटों में फाइनेन्स मिनिस्टर आम जनता की जेबें काट रहे हैं, उनको सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। जहां तक यह एन्टरटेनमेंट का टैक्स है, इस सिद्धान्त को माननीय सदस्यों ने समझा नहीं है और न इसे समझने की कोशिश की है। पहले जब कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स हर डिविजन पर, हर डिस्ट्रिक्ट पर अलग अलग रेट से लगता है, उस लगने पर हर डिविजन की जनता पर, हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर की जनता पर भार पड़ता है उसको सोचने विचारने की या तोलने की कोशिश नहीं की है। जो इसको देखते-करते तो जरूर इस नतीजे पर आते कि हमारे यहां समान, एक से रेट होने चाहिये जो कि इस टैक्स का मकसद है, इस टैक्स में रखा है। जो टैक्स अलग अलग डिविजन्स से, डिस्ट्रिक्ट्स से लेकर स्टेट की ट्रेज़री में लायें और एक हाथ से तो टैक्स लें और दूसरे हाथ से सब्सिडी के रूप में, कम्पेन्सेशन के रूप में बांट दें तो यह तो इसी तरह होगा कि जनता से सारी आमदनी ले लें और फिर स्टेट खर्च करे। बहुत से मामलों में मैं मानता हूँ कि स्टेट इन्डिविज्युअल्स से, लोकल बोडी से अच्छी तरह खर्चा करती है पर जिनसे गवर्नमेंट टैक्स ले ले और लोकल बोडीज़ को उसके हक से महरूम रखे, वहां तक इन दोनों चीजों को गवर्नमेंट ने ध्यान में नहीं रखा है।

एन्टर्टेनमेंट टैक्स चाहे लोकल बोडीज़ ले या गवर्नमेंट लेवी करे इस पर मेरे माननीय मित्रों ने सिद्धान्त लागू किया है वह लागू नहीं होता। एन्टर्टेनमेंट टैक्स इन्डाइरेक्ट

Page No.47

(श्री श्रीमानसिंह)

टैक्स है । पर एक इन्डाइरेक्ट टैक्स को लेकर बुरा कह सकते हैं पर डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट को बजट से तोलने पर तो एक की बुराई नहीं की जा सकती, पर इन्डाइरेक्ट टैक्स होने पर देखना पड़ेगा कि आखिर यह टैक्स देता कौन है, किस पर ज्यादा और किस पर कम भार पड़ता है । मेरे बहुत से माननीय सदस्य सिनेमा देखने जाते हैं, जो एक रुपया या आठ आने का टिकिट लेते हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है, इससे थोड़ा ऊपर का टिकिट लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, ज्यों ज्यों सिनेमा के टिकिट की रेट्स बढ़ती जाती है त्यों त्यों टैक्स की रेट्स भी बढ़ती जाती है ।

दूसरा सिद्धान्त इसके पीछे है जो यह है कि गवर्नमेंट कहती है, यह लग्ज़री टैक्स है । एक तरफ तो कहते हैं हमारे कन्ट्री का डेवेलपमेंट होना चाहिये और दूसरी तरफ जो टैक्स लगाते हैं उसका विरोध करते हैं । यहां तक विरोध करते हैं कि इन्डाइरेक्ट टैक्स लगे और लग्ज़री टैक्स रहे ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस टैक्स का विरोध नहीं किया है, इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है ।

श्री श्रीमानसिंह : प्रवर समिति में जब गलती हो तो जाना चाहिये, गलती नहीं है तो प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं ।

तो जो गलतियां माननीय सदस्य ने सोचीं वे ये हैं कि इसमें बहुत सी शिक्षा की चीजें है, जो सिनेमाज़, ड्रामाज़ शिक्षा के हैं उन पर टैक्स लगेगा, पर माननीय सदस्य से कहूँगा कि इन पर टैक्स नहीं लगेगा । इसमें प्रोविज़न है कि जिनसे आम जनता को फायदा हो सकता है, इन्टेलेक्च्युअल, मेंटल और कल्चरल एक्टिविटीज़ को जिनसे प्रोत्साहन मिल सकता है उन पर यह टैक्स नहीं लगेगा ।

श्री होतीलाल : On a point of order Sir.........

(श्री श्रीमानसिंह के खड़े रहने पर)

श्री सभापति : Two Members are on their feet.

श्री श्रीमानसिंह - Who should sit down ?

श्री सभापति : The gentleman who is raising the point of order cannot force the Hon'ble member to yield the ground, but the common practice is that the Hon'ble member may yield the ground.

श्री श्रीमानसिंह : इसलिए जो एग्ज़ेम्पशन लिमिट रखी है ।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, legally the point of order must be decided first.

श्री सभापति : How can you say that the point of order that has been raised is going to pertain to this debate ?

श्री अर्जुनदास : When the Hon'ble member is not allowing the other Hon'ble member to speak the point of order has got to be first decided. That is so. Our rules have laid down so.

Page No.48

श्री श्रीभानसिंह : तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो एग्जम्प्शन की लिस्ट हैं उसको माननीय सदस्य ने देखा नहीं है और इस प्रकार पोइन्ट आफ ऑर्डर रेज़ करके देखना चाहते हैं। इसलिए जो हमारी शिक्षा की चीजें हैं उन पर यह टैक्स नहीं लगता। जो हमारे मनोरन्जन की चीजें हैं उन पर यह टैक्स लगता है और बड़े बड़े आदमियों पर जो ज्यादा रुपयों का टिकट खरीद सकते हैं और लेते हैं, उन पर लगता है। यह तो इस में प्रोविजन है। आपने यह देखा नहीं है।

लेकिन अब सवाल यह आता है कि जितनी भी खिलाफत होती है वह जनसंघ की तरफ से होती है और अफसोस इस बात का है कि आपके पास लोकल बोडीज़ के लिए और स्टेट गवर्नमेन्ट के लिये कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर आप पोक (poke) क्यों करते हैं ?

श्री सभापति : Will the Hon'ble member please quote the rule.

श्री श्रीभानसिंह : He raised the point of order ignoratly. प्रश्न यह है कि अब हमको यह देखना है कि यह कौन कलेक्ट कर सकता है? स्टेट गवर्नमेन्ट कलेक्ट कलेक्ट करें या म्युनिसिपेलिटी! जहां तक सभापति महोदय, मैं देखता हूं म्युनिसिपल बोर्ड के फंक्शन में और स्टेट के फंक्शन में बहुत फर्क है और हर एक आदमी यह चाहता है कि म्युनिसिपेल्टी हमारी नीड को ज्यादा इफेक्ट करती है।

श्री अर्जुनदास : May I drawyour attention to Rule 246, Sir. "(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment: '

श्री सभापति : "Provided that the Speaker may permit a member to raise a point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another, if it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House."

श्री अर्जुनदास : I did not read this because it is not applicable.

श्री सभापति : So I should continue to have my say. प्रश्न यह है कि जो फंक्शन म्युनिसपेलिटीज़.........

श्री अर्जुनदास : Sub-rule (3)says...

श्री सभापति : Shri Shribhan Singh to please sit down for a minute.

श्री अर्जुनदास : "(3) Subject to conditions referred to in sub-rules (1) and (2) , a member may formulate a point of order and the Speaker shall decide whether the point raised is a point of order and if so gives his decisien thereon, which shall be final."

As soon as a point of order is raised it has got to be decided before we proceed further.

श्री सभापति : Please look tosub-rule (2) : "A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a member to raise a

(श्री सभापति)

point of order during the interval between the termination of one item of business and the commenment of another if it relates to maintenance of order in or arrangement of business before the House."

श्री अर्जुनदास : The meaning is, that as soon as one item is over on the floor of the House and before another is taken up some body can raise a point of order and at that time your premission is necessary. But if one item is going on and somebody wants to raise a point of order no sanction of the Chair is necessary. It is necessary only during the interval.

श्री सभापति : By merely raising a point of order when somebody is speaking it does not automatically stop that speaker from taking part in the Debte. It is upto the chair to take note of the point of order so raised and if the Chair feels that the Hon'ble member who is speaking at that time is saying something which is not important or out of the way in relation to a particular business before the House, the chair may say it is no point of order without listening to it.

श्री अर्जुनदास : We do'nt know what the point of order is unless it is formulated. Therefore, my submission is that the hon'ble member Shri Hotilal be permitted to formulate his point of order.

श्री सभापति : But the Hon'ble member who is going to raise a point of order cannot stop another member who is already taking part in the debate. He has a right to participate in the debate and he cannot be forced to come to a close by any other member except the Chair.

श्री तनसिंह : It is against parliamentary etiquette not to take the seat when any hon'ble member rises on a point of order.

श्री सभापति : It is all a matter of ceurtesy.

श्री तनसिंह : It is a matter of parliamentary etiquette and if it is not maintained it will be something below the dignity of the House.

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

श्री सभापति : I will not like the hon'ble member to make reflections against the chair.

श्री अर्जुनदास : According to the practice followed so far in this House when a point of order is raised the member who is already on his legs has got to resume his seat.

श्री सभापति : You cannot force an hon'ble member to sit down by

Page No.50

(श्री सभापति)

raising a point of order. Mr. Shribhan Singh to carry on with the speech.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, मैं उन टैक्सों के बारे में, जो हमारे यहां म्युनिसिपेलिटीज़ और लोकल बोडीज़ द्वारा लिये जाते हैं, कह रहा था। जहां तक मैं जानता हूं इस सम्बन्ध में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने अपनी रिकमन्डेशन दे दी हैं। मैं टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूँ। उस कमेटी की यह धारणा है कि किसी तरह से फाइनेन्सेज़ ऑफ दी स्टेट को बढ़ाया जावे और इसलिये उन्होंने यह प्रावधान रखा है। रेट में युनिफोर्मिटी रखी जानी चाहिये जिससे इन्सीडेन्स में किसी प्रकार से फर्क नहीं आए। हम यह देखते हैं कि टैक्स को लेवी करने का, लगाने का उन्हीं व्यक्तियों के अधिकार है जो प्रतिनिधित्व करते हैं। हम जब कभी म्युनिसिपल कर लगाते हैं तो उन करों को लगाने का उन्हीं लोगों को अधिकार है जो म्युनिसिपल बोर्ड को रिप्रेजेन्ट करते हैं या म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य हैं, दूसरे नहीं लगा सकते। जब तक रिप्रेज़ेन्टेटिव बोडिज़ और नोन रिप्रेजेन्टेटिव बोडीज़ में आपस में किसी प्रकार का संघर्ष न हो तब तक इस प्रकार की बात पैदा नहीं होती कि सरकार इसको कन्ट्रोल करे। जब आपस में किसी प्रकार का संघर्ष होता है तो सरकार के कन्ट्रोल करने की बात आती है।

अब स्लेब सिस्टम के बारे में, कई स्टेटों में अलग अलग कर की दरें हैं। भरतपुर, अलवर, कोटा में वहां पर सरकार किस तरह से पता लगाएगी कि पे करने वाली क्लासेज़ में ज्यादा आदमी आते हैं या कम? इसका सरकार निर्णय कैसे करेगी? इसके अलावा जब हमारा ध्येय डिसेन्ट्रलाइज़ेशन का है तो एक तरफ तो हम फाइनेन्शियल पॉवर्स का एकीकरण करते जा रहे हैं।

१. २६ म० प०

(श्री हरिदेव जोशी, सभापति, पदासीन)

और दूसरी तरफ डीसेन्ट्रलाइज़ेशन की बात करते हैं। इस तरह डीसेन्ट्रलाइज़ेशन कैसे हो सकता है। हमें देखना चाहिये कि एक लोकल चीज है उसमें किस चीज को प्रोत्साहन मिलता है, कहां तक लोकल amenities functions में कमी आती है? आज हम देखते हैं कि सबसे कम आमदनी म्युनिसिपेल्टीज की टैक्सेज़ से होती है और जो भी आमदनी होती है वह ऑक्ट्रोय से होती है। मैं अभी उस विषय पर जाना नहीं चाहता लेकिन जब ऑक्ट्रोय पर म्युनिसिपेल्टी कर बढ़ाती है तो उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर यह एन्टर्टेनमेंट टैक्स ऐसा टैक्स है जिस पर किसी Collection को बर्डन नहीं पड़ता। जैसे ही वह व्यक्ति सिनेमा में जाता है तुरन्त वहीं पर दे देता है। यह टैक्स म्युनिसिपलिटी का होना चाहिये। म्युनिसिपलिटी को हम चाहते हैं कि समाजवादी ढांचे में जो सोशियल फंक्शन्स पर फोर्म होते हैं वह म्युनिसिपेलिटी करती है और उनको वह एफिशियेन्टली परफोर्म करे। इनका अच्छी तरह से परफोर्म करना फाइनेन्स पर निर्भर रहता है। हमको यह देखना होगा कि म्युनिसिपेलिटीज़ की किन दरों से आमदनी ज्यादा होती है या उनके पास इतने फाइनेन्सेज़ हैं कि वह जो मनेज़ की गोइंग नीड्स हैं उनको इफीशियेन्टली फुलफिल कर सके। जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स आपने लिया है अगर उसकी आमदनी लोकल बोडीज़ लेती है तो वह अपना काम और अपने

(श्री श्रीभानसिंह)

फंक्शन्स एफिशियेन्टली डिस्चार्ज कर सकती है। मैं यह मानता हूँ कि गवर्नमेंट का यह एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स नहीं होना चाहिए। हम कमेटियां बिठाते हैं और वे अपना निर्णय देती है, लेकिन क्या आज तक किसी भी कमेटी ने निर्णय किया है कि यह स्टेट गवर्नमेन्ट ले ले ? हम जिस तरह से यूनियन और स्टेट गवर्नमेन्ट के बीच में टैक्सेज का और रेवेन्यू रिसोर्सेज का बटवारा करते हैं उसी तरह से हम इसमें अभी से नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारे पास कमेटी की रिकमन्डेशन्स नहीं आई हैं और क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को फाइनेन्सेज की जरूरत पड़ी इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह टैक्स म्युनिसिपेलिटी से अपनी तरफ ले लिया। हमारी सरकार ऐसा करती है कि जिस जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट की मांग बढ़ती गई और खर्च बढ़ता गया तो लोकल टैक्सेज के रिसोर्सेज को स्टेट गवर्नमेंट स्वयं लेती गई। हमको यह बात माननी होगी कि जहां म्युनिसिपेलिटीज को, जो हमारी स्पिरिट ऑफ लिबर्टी को बढ़ाती है, जो हमारे प्रजातन्त्र की रक्षा करती है और रक्षा ही नहीं बल्कि आज उन पर हमारी डेमोक्रेसी बेस्ड है, यह टैक्स वापिस वसूल करने की छूट दे देनी चाहिए। इससे वह अपने काम को एफिशियेन्टली चला सकेगी। यानी स्पिरिट ऑफ लिबर्टी हमारी म्युनिसिपेलिटीज के अन्दर रहती है, अगर हम म्युनिसिपेलिटीज को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारी डेमोक्रेसी जो आज ऊपर है वह कहां तक सरवाइव करेगी ? इसलिये मेरी यह मान्यता है कि मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिए कि या तो यह तरीका अच्छा है कि हम टैक्सेज का एकीकरण कर लें और जो टैक्सेज म्युनिसिपेलिटीज को देने हैं उनको वसूल कर के उनको दे दें। तो अगर म्युनिसिपेलिटीज को उसके कन्ट्रीब्युशन के मुताबिक देते हैं तो हमें ये टैक्सेज लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जितना भी पैसा आएगा वह स्टेट गवर्नमेंट के पास तो बिलकुल हो नहीं रहेगा। मान लीजिए कि दस रुपया भरतपुर म्युनिसिपैलिटी के वसूल किये जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेन्ट को तो वह दस रुपये म्युनिसिपैलटी को ही वापिस दे देने होंगे और अगर इसके वसूल करने पर जितना रुपया खर्च होता है उसके मुताबिक यानी एक्सपेन्डीचर के मुताबिक देते हैं तो उसमें हर एक म्युनिसिपेलिटी यह कोशिश करेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए जिससे कि एक दफा जितना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे उतना ही हम गवर्नमेन्ट से पैसा वापिस ले सकेंगे। अब कम्पेन्सेशन किस बात के लिये यानि जो रेवन्यू से लोस हुआ उसके कम्पेन्सेशन की किस तरह से दरें होंगी, यह क्लियर नहीं है। इसलिए मेरी यह मान्यता है कि इस टैक्स को जहां तक हो सके एक जगह सेन्ट्रलाइज न करें। टैक्सेज ही किसी लोकल बोडी के फाइनेन्स को कन्ट्रोल करते हैं, अगर यह फाइनेन्स को कन्ट्रोल करने वाली चीज म्युनिसिपैलिटीज को दे देंगे तो वह हमारे डेवलपमेन्ट के अन्दर, प्लानिंग के अन्दर और जो दूसरे उनके इम्पोर्टेन्ट फंक्शन्स हैं उनको एफिशियेन्टली डिस्चार्ज कर सकेगी। हम चाहते हैं कि वह अपना रोल इन्कीर्जिंगली प्ले करें। तो अब हमें टैक्सेशन को रि-ऑर्गेनाइज करना होगा। अगर यह टैक्सेशन रि-ऑर्गेनाइज हुआ तो मैं यह मानता हूँ कि इस एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स को लोकल बोडीज को देना होगा। मैं यहां तक ख्याल करता हूँ कि ये लोकल टैक्स के सोर्सेज स्टेट गवर्नमेंट

Page No.52

(श्री श्रीमानसिंह)

को अपने हाथों में कभी नहीं लेना चाहिए। वैसे स्टेट गवर्नमेन्ट को इसकी ऑथोरिटी है, लेकिन जहां तक इस टैक्स का सिद्धान्त है वह साफ है। अब यह सिर्फ गवर्नमेन्ट और म्युनिसिपेलिटी के अन्दर ही बात है कि अगर वह चाहे कि म्युनिसिपेलिटी को प्रोत्साहन देना है, तो स्टेट गवर्नमेन्ट को यह टैक्स अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर टैक्सेज़ सेन्ट्रलाइज़ कर लिया तो मैं यह कह सकता हूं कि किसी दूसरी तरह से हम डी-सेन्ट्रलाइ-ज़ेशन लाने में ठीक तरह से सफल नहीं होंगे। इसलिए मन्त्री महोदय फिर सोचें कि इस टैक्स की दरें क्या होंगी और हम म्युनि-सिपेलिटीज़ को किस तरह से और कितना कन्ट्रीब्युशन देंगे, किस तरह से हमारी ग्रान्ट इन-एड बेस्ड होगी ? अगर इसको क्लियर कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : Mr. Chairman, in the Bill like this I think we are really moving away from the path of democracy itself. The Bill as it has been laid on the floor of the House to-day says that the rate of tax shall be determined by the Executive Government year after year. What are we here otherwise for ? We are here to tax then certainly. We are here to decide the tax. We cannot possibly leave it to the Executive which will decide the tax without our knowledge. I remember, in the other Bill that came up before the House i.e. "The Rajasthan Finance (Agricultural Income-tax) Bill" we had a provision that every year there shall be a Bill before this House by which the rate shall be fixed. The rate, I really cannot understand, how could you possibly leave the question of fixation of rate to the Executive ? We cannot delegate our function to one man or one Executive over whom we may not have possibly any control. I really cannot understand, why the Hon'ble Finance Minister does not want to take this House into confidence and tell us in advance how much he wants to levy ? Let the cat be out of net so that we can tell 'yes' or 'no'. Otherwise to-morrow the Government may levy a tax of Rs. 2/-on a ticket of Re. one. The Government might fix any rate. Therefore, I, at least would not suggest that we should give (such) full powers to them, of imposing any tax they like. We have got to decide whether the public can bear a particular amount of taxation or not. Therefore, I would suggest that this matter should be referred to Select Committee where this point could be thrushed out as to whether we should leave this matter to the Executive or decide ourselves on the floor of this House as to what amount of tax should be levied by the Government.

(श्री उपाध्याय के उठने पर) अभी जा रहे हैं। पानी पीने जा रहे हैं क्या ?

श्री भैरोसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, सभापति महोदय, यह कोई

(श्री भैरोंसिंह)

जरूरी है कि मंत्री महोदय इस तरह से सेक्रेटीज से बातें करें ? अगर बात करनी है तो वे बाहर चले जाया करें। मैं कहता हूं कि यह हाउस के डिकोरम के खिलाफ है।

श्री अर्जुनदास : मेरे ख्याल से Mr. Bhairon Singh is correct, Sir. Today if we permit this, then to-morrow we can talk to the persons in these galleries. Any Hon'ble member might bring his wife and children and talk to them.

श्री सोहनलाल भटनागर : यह उँगली बताना और हाथ बताना भी हाउस के डिकोरम के खिलाफ है।

श्री भैरोंसिंह : तो सभापति महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि इसके आगे आयन्दा बात नहीं होगी, अगर मैं करेक्ट हूं तो।

श्री सभापति : अब बात नहीं करेंगे।

श्री अर्जुनदास : ऐसा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि बात मत करो। मगर आपके आदेश को भी नहीं मानते हैं।

श्री सभापति : Please continue.

श्री अर्जुनदास: Yes, your honour. Then the other defects in the present Bill which I have been able to find out are two. (1) there is no provision in this Bill as has already been suggested by me, restricting the proprietor from admitting any person with out a ticket or without paying any entertainment tax thereon. All that you say is that he should either pay entertainment tax or he should have a complimentary ticket and if it is a complementary ticket, of course, the tax will be paid. Anybody might go with out any complementary ticket even because of sheer force and nobody can prevent him from doing so, Sir. Therefore, that is another defect.

The third thing that I found in this is the definition of 'entertainment' (After seeing some papers) I am referring to the definition of 'entertainment' itself We get in clause 3, Sub-clause (5) "entertainment" includes any exhibition, performance, amusement, game or sport to which persons are admitted for payment The definition as it reads today also includes singing girls, and I really cannot understard wheather the Hon'ble Finance Minister means to charge any tax from the people if they go to singing girls for the sake of amusement. This point may not go to his attention and as such, I believe the other things also which need consideration and which can be considered only by the select Committee thoroughly. Therefore, I submit that this Bill be submitted to the Select Committee where we can cool our brains. It is practically our brains. and not their brains. Thus can have really a good legislation, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

ने इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के लिये रखा है, मैं उसका विरोध करता हूँ। उन्होंने इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए यह बात बतायी है कि यह नया टैक्स है। सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि इन्टरटेनमेन्ट टैक्स पहले से ही रायज़ है करीब करीब हर एक म्युनिसिपैलिटी यह टैक्स वसूल करती है। सिर्फ समस्या यह थी कि हरेक नगरपालिकाएं जो थीं वे अपने यहां अलग अलग रेट्स के रूप में लेती थीं, उनमें एक रूपता नहीं थी इस कारण उनमें एक रूपता लाने लाने के लिए सदन के सामने लाया गया है। अजमेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि दफा चार के अन्दर सरकार के अन्दर पॉवर निहित है कि सरकार चाहे जितनी टैक्स की दर निर्धारित कर दे। इसके बारे में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज कल जो भी टैक्स की रेट्स लगानी होती हैं वे सरकार में ही निहित होती हैं। आज आप देखेंगे इरिगेशन रेट्स है, सेल्स टैक्स आदि के रेट्स हैं सेल्स सब के लिए हमनेसरकार को पावर्स दे रखी है। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि दफा चार के सब सेक्शन (३) में साफ है जो भी रेट्स के बारे में आर्डर पास करेंगे, वह सदन के सामने रखा जायगा, सदन को अधिकार होगा कि उसको एडॉप्ट करे या रिज़ोल्यूशन लाकर रेसिंग कर सकते हैं। जितने नये आर्डर्स होंगे वे सदन के सामने पेश होंगे अगर सदन चाहेगा तो उसे हटा भी सकता है।

दूसरी बात यह है कि टैक्शेसन इन्टैक्वायरी कमीशन ने यह बात बतायी है कि यह टैक्स पर्सेन्टेज के बेसिस पर करना चाहिये, न कि स्लाइडिंग बेसिस पर।

"There is justification in the complaint that the slab system of entertainment tax, as it now prevails in some States stands in the way of the flexibility needed in the adjustment of admission rates A tax on the percentage basis, with certain modifications seems to us more suitable. To enable a certain degree of differentiation to be made in these rates applicable to different classes of tickets, the percentage rates may be graded on a very broad basis. We suggest that there should be not more than three grades. We consider that rate of the tax can be reduced in some States for the lowest class of tickets."

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कि रेट्स मुकर्रर किये जायं तो नीचे की श्रेणी के टिकट वालों पर टेक्स की रेट कम से कम रहे इस बात का ख्याल रखा जायगा।

दूसरी एक जरूरी बात जो कही गई वह यह कि स्टेट अगर इस प्रकार के अधिकार टेक्स वसूल करने के लेती है, तो उसके लिये एक बात जरूर नजर आती है कि टेक्स कलेक्शन के लिये सरकार को अपनी मशीनरी रखनी होगी, उसके लिए सरकार को अलग से खर्च करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो आमदनी गये तीन साल में हुई वह पीक पीरियड से, क्योंकि एन्टरटेनमेन्ट के लिये लोग ज्यादा जाते हैं और इसके लिये काफी खर्चा करते हैं जो पीक पीरियड में खर्च किया गया,

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उसी बेसिस पर कम्पेन्सेशन दिया जायगा। इस तरह से स्टेट एडीशनल इनकम का जरिया रखना चाहती है, इससे एडीशनल रेवेन्यू प्राप्त करना चाहती है। वह किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, स्टेट के दिमाग में यह जरूर है कि टेक्सेज की दरें बढ़ेंगी। पहले की जो दरें थीं उसी दर के हिसाब से स्टेट कम्पेन्सेशन देती है तो स्टेट को कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन के लिये खर्चा होगा, उसमें वह बराबर हो जायगा, इस चीज को जरूर मद्दे नजर रखना है।

इसके अलावा एक बात एग्ज़ेम्प्शन के बारे में भी कही गई जो एजुकेशनल और चेरीटेबल पर्पज़ के लिये जो शो होंगे, जो पिकचर होंगी, एग्ज़ीबिशन होंगी, उनको इस टेक्स से मुस्तस्ना कर दिया गया है। इसमें जो थोड़ी बहुत खामी है, वह इस सदन में दुरुस्त हो सकती है। यह कोई नया टैक्स नहीं जैसा कि सदन को बताया जा रहा है। आज टेक्सैशन के बारे में जो फिज़ा सारे हिन्दुस्तान में चल रही है, उसी का स्वरूप इसको देने की माननीय सदस्यों ने चेष्टा की है। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि यह नया टैक्स नहीं है, एक रूपता लाने के लिये यह लाया गया है। आशा है कि सदन इसको जल्दी से जल्दी पास करेगा।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय सभापति महोदय मनोरन्जन कर विधेयक जो सदन में विचारार्थ लिया जा रहा है मैं भी यही चाहता हूँ कि यह कर लगना जरूरी है, कर कोई भी हो जरूर लगना चाहिये। लेकिन कर लगाते समय यह जरूर सोचना है कि यह कर जो लगाया जाय सोच-समझ कर लगाया जाय। कर लगने के नाम पर यदि कोई विरोध करता है तो मैं उसको बुरा मानता हूँ, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि विरोधी दल केवल विरोध करने के लिये अपोज़िशन करता है। यह ठीक है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस कर का विरोध किया लेकिन उन्होंने कर न लगाया जाय, ऐसा नहीं कहा बल्कि यह कहा था कि इसको जल्दी में पास करके किसी उलझन में हम न फंस जायं, इसके लिये इसको प्रवर समिति के पास जरूर भेजना चाहिये। यह बिल जैसा लॉ डिपार्टमेन्ट ने तैयार किया वैसा ही माननीय मन्त्री महोदय ने लाकर पेश कर दिया है। हो सकता है इसमें कुछ खामियां हों जिनको माननीय मन्त्री समय की कमी के कारण न देख सके हों, वैसी हालत में यह जरूरी है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी यही अर्ज की थी। क्योंकि जल्दी में किसी बिल को पास करने में भूल रह जाती है, गलतियां रह जाती हैं, इधर-उधर की ऐसी बातें हैं जिनके कारण वास्तव में आज की सरकार चाहती है कि टेक्स न लगे और वे लग जाते हैं, उन सबको ठीक करने के लिये अगर सिलेक्ट कमेटी में यह बिल चला जाता है तो कोई हर्ज नहीं।

यह तो लगने वाला ही कर है, इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने से यह रुकने वाला नहीं है। इसलिये मैं इस बात की ताईद करता हूं कि जो बिल है उसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि यह कर समान करने के लिये बिल लाया गया है, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जब हम पिछड़ी जातियों को विशेष सुविधायें देते हैं, महिलाओं

Page No.56

(श्री सोहनलाल भटनागर)

को विशेष सुविधायें देते हैं, जब हम इन वर्गों को हर चीज में सहूलियतें देते हैं तो मेरा यह निवेदन है कि इस चीज में भी उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिये। इसलिये भी मेरा वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इन सब बातों पर विचार करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो कोई बुरी चीज नहीं होगी।

तीसरी चीज जो यहां बताई गई कि लोकल बोडीज़ इस प्रकार के कर को वसूल नहीं कर सकती, सरकार को यह अधिकार दिये जांय, इस चीज का मैं विरोध करता हूं। आज जब कि हम लोकल बोडीज़ को अधिकार देने की बात करते हैं, दूसरी ओर जो अधिकार उन्हें पहले से प्राप्त हैं उनको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं।

दूसरी चीज यह है कि लोकल बोडीज़ पेड वर्कर्स नहीं गवर्नमेन्ट को नौकर रखने पड़ेंगे, उसके लिये भी खर्च होगा। यह कर जो आज तक लेते थे, उनको सहूलियत से प्राप्त कर लेते थे, वे आसानी से वसूल कर लेते थे मगर सरकार के लिये वसूल करने के अधिकार दिये जाते हैं तो इसके लिये सरकार को काफी खर्च करना पड़ेगा, मशीनरी बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे होगा क्या कि जिस प्रकार राज्यपाल महोदय के भाषण पर भ्रष्टाचार की चर्चा रही, उसी प्रकार का भ्रष्टाचार इसमें भी होने लग जायेगा। इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को वे सहर्ष सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये राजी हो जायं ताकि जो खामी है वह पूरी हो सकती है। इस बिल को छानबीन करके ... के रूप में लाया जा सकता है ताकि किसी को किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। इतना ही बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय, इस सदन के सम्मुख इस बिल का विरोध किया जा रहा है और तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं कि यह मनोरंजन कर नहीं लगाया जावे। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जो नगरपालिका की आमदनी उससे छीनी जा रही है, सरकार उनकी जेबें काटने जा रही है। तीसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अन्दर महिलाओं और पिछड़ी जातियों को एग्ज़ेम्प्शन्स नहीं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने इसके अन्दर टैक्स लगाने की आधार शक्ति अपने हाथों में ले रक्खी है और यह नहीं बताया जा रहा है कि किस प्रकार टैक्स लगाये जावेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सब सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी दलीलें उठाई गई हैं वे या तो असत्य हैं या तथ्यहीन प्रतीत होती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस बिल का अच्छी तरह अध्ययन करने के पश्चात मालूम होगा कि जहां टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने इस बात की सिफारिश की थी कि ये जो टैक्स लगाये जावें उसकी आमदनी केवल पांच साल के लिए ही, पिछले तीन साल की आमदनी का औसत निकाल कर उसके हिसाब से नगरपालिकाओं व स्वायत्त शासन संस्थाओं को दी जावे। वहां राजस्थान सरकार ने इस सिफारिश की पांच साल की सीमा लगाने की बात को नहीं माना और अनलिमिटेड पीरियड के लिये इसे रख लिया है। इस बात का प्रावधान इस बिल में रक्खा गया है।

(श्री शंकरलाल)

तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारी सरकार स्वायत्त शासन संस्थाओं का गला घोंटना चाहती है या गला घोंटने जा रही है बल्कि वह इस माने में इतनी लिबरल है कि जो भी टैक्सेशन कमीशन की सिफारिश थी उससे भी ज्यादा इस सिफारिश को अनलिमिटेड पीरियड के लिये मानकर इन स्वायत शासन संस्थाओं को अधिक सुविधा देने का खयाल रक्खा है।

अगर इस आमदनी को स्वायत शासन संस्थाओं को न देने का प्रश्न भी होता और यह सवाल होता कि सारी आमदनी सरकार अपनी ही जेब में रख लेगी, तो भी कह सकते थे कि स्वायत संस्थाओं की आमदनी पर सरकार कुठाराघात कर रही है, पर यहां यह स्पष्ट प्रावधान है कि तीन साल की आमदनी की औसत निकालने के पश्चात् वह हिस्सा सरकार उन्हें देना चाहती है; बल्कि यह भी हो सकता है कि तीन साल की औसत आमदनी निकालने के बाद कई स्वायत्त संस्थाओं को आमदनी अधिक मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि एक ओर कागज पर दस्तखत कराये जा रहे हैं और न मालूम इसकी आड़ में कितने टैक्स लगावेंगे और इस टैक्स का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस एक्ट में यह साफ उल्लेख है कि टैक्स लगाने का ऑर्डर इस सदन के सम्मुख रक्खा जावेगा और तब इस सदन को अधिकार होगा कि वह उसको माने, उसमें कमी या बेसी भी कर सकता है। तो यह भी कहना उचित नहीं है

तो इस बिल का विरोध करना और इसे प्रवर समिति में भेजना, ये दोनों ही प्रस्ताव तथ्यपूर्ण नहीं हैं और इनमें कोई सार नहीं है। इस बिल में प्रत्येक बात का ध्यान रक्खा गया है। यह परिपूर्ण है।

जहां यह कहा गया कि स्त्रियों को और स्थानीय पिछड़ी जातियों को इसमें एक्सेप्शन देना चाहिये वहां मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूँगा कि पिछड़ी जाति के लोगों को और महिलाओं को आजकल की इन पिक्चरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो ऐसे खेल दिखाने की जरूरत है जो उनको ऊँचा उठाने वाले हों, अच्छी शिक्षा देने वाले हों और इनमें ऑलरेडी सरकार ने एग्ज़म्प्शन रक्खा है। आज तो जो हमारे इन सिनेमाओं का स्तर है उसे हम सब जानते हैं। उस स्तर से तो इन महिलाओं को और पिछड़ी जाति के लोगों को बचाया जाय, यही अच्छा है। क्या स्तर है उनका, इसकी गहराई में आज यहां जाने की आवश्यकता नहीं है और यह उचित भी नहीं होगा।

फिर इसमें यह भी कठिनाई है कि यह कैसे मालूम हो कि अमुक आदमी पिछड़ी जाति का है और उसे एग्ज़ेम्प्शन मिलना चाहिये। मान लो उसे सर्टिफिकेट दिया जावे तो इसका दूसरा भी उपयोग कर सकता है। तो यह एक भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देना होगा।

इसलिये मैं समझता हूं कि जो दलीलें इस प्रकार की दी गई हैं उन में कोई सार नहीं है। उन पर कोई ध्यान न दिया जावे और जो बिल विचाराधीन है उसे मूल रूप में स्वीकार करना चाहिये। यही मैं कहना चाहता हूँ।

श्री रामचन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने माननीय वित्त

(श्री रामचन्द्र)

मन्त्रीजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक रक्खा है । इसकी मंशा जनता पर कुठाराघात करना नहीं है उसकी जेबों पर हमला करना नहीं है बल्कि उसकी मंशा यह है कि जिस मनोरंजन में अपना पैसा जनता व्यय करती है यदि उसमें से एक थोड़ा सा भाग राष्ट्रीय योजनाओं के हित में, विकास योजनाओं को क्रियात्मक रूप में बदलने के लिये सरकार ले ले तो यह कोई बुरी बात नहीं है, यह तो बहुत ही अच्छा होगा । यह मनोरंजन कर, कर नहीं है । इसको तो हमें समझना चाहिये कि हमारे राष्ट्र के उत्थान के वास्ते हम एक चन्दा दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं जो कि प्रत्येक राष्ट्र हित चिन्तन करने वाले व्यक्ति को देना ही चाहिये ।

इस सदन के बहुत से महानुभावों ने सुझाव दिया है कि इसमें पिछड़ी जाति के लोगों को और स्त्रियों को मुक्त कर दिया जाना चाहिये ।

मैं सदन का ध्यान आपके द्वारा इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस प्रकार जो पैसा इकट्ठा किया जायगा, वह राष्ट्र के निर्माण के लिये है और भारत वर्ष का और इस समय राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी परिस्थिति में हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे ऊंचा वर्ग का हो या छोटे वर्ग का हो, जो इस राजस्थान की उन्नति और उसका विकास चाहता है और सब प्रकार का इस राष्ट्र निर्माण कार्य में सहयोग देना चाहता है वह आयन्दा चल कर कह सके कि हमने राजस्थान के विकास में पूर्ण रूप से सहायता दी । यदि एग्ज़म्प्शन इस समय आप करते हैं तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वह यह कहेगी कि जब राजस्थान का विकास हो रहा था पिछड़े हुए लोगों से सहायता देने के लिए बाध्य नहीं किया गया और इनको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स से मुक्त कर दिया, था । तो मैं सदन का ध्यान इस ओर आपके द्वारा दिलाना चाहता हूँ कि इस राष्ट्रीय निर्माण कार्य में पिछड़ी जाति या हरिजनों को छूट न दी जाय और राष्ट्रीय कार्यों के लिये सब के द्वारा धन जुटाया जाय और उनसे पूरा सहयोग लेना चाहिए ।

दूसरा सवाल सदन में यह आ रहा है कि इस बिल को पारित कर लिया जाय या इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ? चेयरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आज जो बिल सदन के सामने रखा गया है वह एक खास प्रकार का बिल है और इस बिल के बारे में टैक्सेशन कमीशन की पहले ही अनुमति मिल चुकी है । अर्थात् उस कमीशन ने इस बिल के द्वारा होने वाली भलाई या बुराई, भली प्रकार समझ लिया है । यह बिल देश के निर्माण के लिए है और यह राजस्थान निवासियों के लिए घातक नहीं है । इसलिए मैं इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करना आवश्यक नहीं समझता हूँ ।

तीसरी बात यह सोचने की है कि यह जो कर लगाया जा रहा है वह नया कर नहीं है । यह प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में पहले से ही चला आ रहा है । लेकिन इसमें दोष इतना ही है कि प्रत्येक जगह इसकी दरें अलग अलग हैं जब कि राजस्थान एक देश हो गया है और सब जगह एक समान रूप से है तो कर की व्यवस्था भी समान रूप से करने के लिए यह समझा गया है इसलिये यहां मनोरजन कर भी समान रूप से लगाया जाना चाहिये ।

(श्री रामचन्द्र)

अब यह सवाल रह गया है कि यह कर किस प्रकार से लगाया जाय और किस प्रकार से वसूल किया जाय ? मैं यह कहूँगा कि अब इसकी जो धारायें हैं विचार करने के लिए सदन के सामने रख दी गयी हैं। इसमें सिर्फ यह देखना है कि इसमें कोई बात जनता के लिए हानिकारक है तो उस पर विचार कर लेना चाहिए। लेकिन जिस चीज को अर्से से काम में लाया जा रहा है, मुझे उसमें हानिकारक कोई बात नजर नहीं आती। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द न किया जाय और इस विधेयक को पारित करने में सहयोग देवें।

श्री मदनसिंह (दांता–रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, यह जो मनोरंजन बिल रखा गया है, मैं चाहता हूँ कि उसको सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय। इसमें एक नयी चीज़ है और इसलिए हम चाहते हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में ले जाना चाहिए। वैसे कई माननीय सदस्य इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रख कर उस पर विचार किया जाय। म्युनिसिपेलिटीज़ से अधिकार छीन कर सरकार अपने हाथ में क्यों अधिकार ले रही है ? इसीलिए इस विचार की जरूरत है और इसीलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में विचार के लिए रखा जाय। हम यह देख रहे है कि यहां जो बातें रखी जाती हैं वे विचार के लिए ही नहीं रखी जाती हैं, बहस के लिए रखी जाती हैं। अगर इसको दो–तीन दिन के लिए ही सिलेक्ट कमेटी में रखा जाता तो उस पर विचार हो सकता था। कोई कहता है कि विरोधी दल तो मताओं को आकर्षित करने के लिए ही बोल रहा है। क्या सत्तारूढ़ दल के पास ही मातायें, बहिनें और बेटियां हैं हमारे साथ भी चली आई हैं। इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मतलब सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि सिलेक्ट कमेटी में कुछ समय लग कर इस पर विचार किया जाय। उसमें इस पर ठीक ढंग से विचार हो, ईमानदारी से इस पर सोचा जाय कि आखिर म्युनिसिपेलिटीज़ से ये अधिकार क्यों छीन रहे हैं ? यह टैक्स नया नहीं है लेकिन अधिकार म्युनिसिपेलिटी से छीने जा रहे हैं। इधर कह रहे हैं कि म्युनिसिपेलिटी से अधिकार छीन रहे हैं और उधर कह रहे हैं कि अधिकार दे रहे हैं।

दूसरा यह होगा कि जो आज राजस्थान की जनता करों को लेकर इतना रोष प्रकट कर रही है कि लेने के बदले देने पड़ रहे हैं, असेम्बली से निकलना भी मुश्किल हो रहा है और अगर एक नयी चीज़ यह होगी तो और होगा। लेकिन सिलेक्ट कमेटी को रखने से यह होगा कि कम से कम १० दिन तो इस पर टल जावेंगे। मैं माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूँगा कि उन्हें जनता का अनुभव है, वे देख चुके हैं, और इतनी गलती नहीं करेंगे, केवल आपकी पार्टी को पसन्द है इसलिए इसका विरोध न करें और इससे विरोधी दल ऊपर बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है आप एक वृद्ध आदमी हैं मैं आपको जानता हूँ। आज हो-हल्ला मचायें मिनिस्टरों को हटाकर·······

श्री श्रीभानसिंह : इस पर टैक्स नहीं लगेगा यह गारन्टी कर सकता हूँ।

श्री मदनसिंह : दो-चार आदमी इधर से खड़े किये, पांच-चार उधर से

(श्री मदनसिंह)

किये, इससे काम नहीं चलेगा। सिलेक्ट कमेटी में जाने दीजिये, इस पर दो-एक दिन विचार हो जावेगा। सिलेक्ट कमेटी से क्यों डर रहे हैं? वहाँ मौका मिलता है विरोधियों को अपने विचार रखने का, यहाँ केवल हल्ले-गुल्ले में, कोई उधर से कुछ कहता है, कोई इधर से कुछ कहता है, केवल इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वहां इस पर विचार हो जायगा।

दूसरा सुझाव माताओं के एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स के एग्ज़ेम्पशन के लिए रखा था। आज राजस्थान में जो स्थिति है उसको देखते हुए उनके लिए कोई मौका नहीं है कि वे घर से बाहर आकर एन्टर्टेनमेन्ट के लिए जा सकें। अगर इसमें उनको कन्सेशन हुआ तो, अपने साथ वे दूसरी बहिनों को भी लायेंगी। इस कारण से भी उनका बाहर आना सम्भव हो सकेगा। यही कारण था और विरोधी दल ने इसीलिए इन सब कारणों पर विचार करने के लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने के लिये सुझाव दिया है। इसमें विरोध का सवाल नहीं है। जबर्दस्ती का एक तूफान है कि हम भी हैं, पांचवे सवार। अगर इसी तरह यह हाल रहा तो चेयरमैन महोदय, पांच बजेंगे, आप देख लीजिये। सिलेक्ट कमेटी में दो घंटे में विचार हो सकता है। भाषणों से विचार नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि यह छोटी सी चीज़ है, दस घंटे ले लेगा। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से निवेदन करूँगा कि फालतू के भाषणों के चक्कर में न पड़ कर वे विरोधी दल का सुझाव मानें। इससे आपकी सरकार मजबूत बनेगी, नहीं तो यही समझा जायगा कि सच्ची से सच्ची बात रखी जाय तब भी पक्षपात होता है। आपने देखा होगा, क्या हुल्लड़ हो रहा है, ऐसे हुल्लड़ नहीं होना चाहिए। यदि आप सच्ची बात भी नहीं मानते हैं तो ये हुल्लड़े होंगे। इसको सिलेक्ट कमेटी में रख दीजिये। यदि आप यह बात हमारी मान लेते हैं तो हम कोई आपका राज्य नहीं छीन रहे हैं, मिनिस्टरी नहीं छीन रहे हैं, कोई मोटी बात नहीं करने जा रहे हैं। इतनी सी छोटी सी चीज है। विरोधी दल की भावनाओं की कद्र कीजिये, उसको पनपाने की कोशिश करिये। फाइनेन्स मिनिस्टर हमेशा विरोधियों की बात पहले भी अपनी मिनिस्टरी के समय मानते आये हैं; वैसे ही राजस्थान में मानेंगे। नहीं तो जैसा विरोध किया वैसा विरोध किया जायगा। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : चेयरमैन महोदय, हमारे मित्र ने इस दिलचस्प बिल को सामान्य बिल कहा है, इसको प्रवर समिति को भेजने की पूरा जोर मांग रखी है और इधर के पांचवे सवार हैं तो उधर वे ११ वें वसु. इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए आग्रह कर रहे हैं।

लेकिन आप यह मानेंगे कि इस बिल के पीछे ऐसी कोई गूढ़ उसूल की बात नहीं है जिसकी वजह से प्रवर समिति को बिना सौंपे काम नहीं चल सकता। दो-तीन बातें हैं जिन्हें आपके सामने रखना चाहता हूँ।

पहली बात तो यह है कि मनोरंजन कर नये सिरे से राजस्थान में नहीं लगाया जा रहा है। सब से दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में करीब ७ जगह जो पुरानी

(श्री जनार्दनराय नागर)

रियासतें राजस्थान में मिल गई हैं उनमें, मेरी जहाँ तक सूचना है, राज्यों के द्वारा ही इकठ्ठा किया जा रहा था। तीन चार जगहें राजस्थान में ऐसी अवश्य हैं, नगरपालिकायें लगाती हैं और वसूल करती हैं.........

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : वे कौन सी जगहें हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर (जारी) : अधिकांश हिस्से में आज भी मनोरंजन कर राज्य द्वारा इकट्ठा किया जाता है, वसूल किया जाता है। इसलिये जहां तक हम इस बिल का विश्लेषण करते हैं तो पता लगता है कि इसके पीछे कोई खास सिद्धान्त की बात नहीं है या जनता पर इसकी वजह से ऐसी आशंकाएँ, दुष्परिणाम या परिणाम नहीं है जिसकी वजह से प्रवर समिति के पास भेजा जाय। प्रवर समिति के पास इस बिल को भेजने के लिये सोचते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस पक्ष के और विरोधी दल के सदस्य कोई अहम बात कहना चाहते हैं, जो कुल मिला कर राजस्थान के जन हित के लिये आवश्यक है, तभी भेजते हैं। इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये ३-४ दलीलें दी गई हैं। एक तो यह कि नगरपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं। मैं उस शब्दावली का उपयोग नहीं करूँगा, जिन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा नगरपालिका पर डाके डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। 'डाका' शब्द तो इतना प्रचलित है कि यह करीब-करीब घुल चुका है। दलील दी गई है उसके बारे में जहाँ तक हमारी सूचना है यह यह है कि इसके बारे में अखिल भारतीय नीति बनाई जा रही है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी द्वारा जो सिफारिश की गई है वह केवल राजस्थान से ही नहीं की गई है परन्तु तमाम भारत के राज्यों से सिफारिश की गई है कि मनोरंजन कर स्टेट लेवल पर लिया जाय और स्टेट द्वारा लगाया जाय। इसलिये अखिल भारतीय नीति के अनुसार राजस्थान सरकार ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। एक बात और है वह यह कि नगरपालिकाओं के प्रति राजस्थान सरकार ने उदार नीति बरती है। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी ने यह कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल तक नगरपालिकाओं को मनोरंजन करके बजाय सब्सिडी दी जाय। राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि हम इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल तक ही सीमित नहीं रखना चाहते बल्कि जो राशि इस रूप में मिलेगी उसका कुछ अंश मदद के रूप में नगरपालिकाओं को देते रहेंगे।

दूसरी बात यह देखनी पड़ेगी कि करों के बारे में जो पहले धारणाएँ थीं वे बदलती जा रही हैं। मनोरंजन कर नगरपालिका द्वारा ही लिया जाय, यह बात नहीं है। बदली हुई परिस्थिति में इस व्यू को बदला जा सकता है।

तीसरी बात यह कही गई कि पिछड़ी हुई जाति वालों को एन्कोरेज करना चाहिये और खास कर पिछड़ी जाति में महिलाओं के बारे में श्रीमान् भैरोसिंहजी ने कहा कि महिला वर्ग को पिछड़ी जाति में शुमार करना चाहिये। मुझे बड़ी चिन्ता हुई जब उन्होंने यह कहा कि महिला मात्र को पिछड़ी हुई जाति में शुमार किया जाय। मैं समझता हूं, महिलाएँ इसे पसन्द नहीं करेंगी। पिछड़ी जाति में गिनी जाने वाली महिलाएं आज अगली जाति में

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं। आज मनोरंजन की दृष्टि से अगली जाति में गिने जानेवालों से भी कहीं आगे जाती हैं। महिलाओं के बारे में कैसे मान लें कि यह पिछड़ी जाति की हैं ? ... ...

एक माननीय सदस्य : महिलाओं का कहां प्रश्न है ? सब्जेक्ट पर बोलिए।

श्री जनार्दनराय नागर (जारी): मैं यह कह रहा था कि महिलाओं के बारे में मांग की थी कि इनको पिछड़ी जाति में शुमार करें तो मैं समझता हूँ आप उनके बारे में अच्छी राय नहीं रख रहे हैं। वे पुरुषों की तरह ही सिनेमा में हिस्सा लेती हैं। उनके बारे में नीची बात कह कर अहम् राजनैतिक अधिकार उनका जो बराबरी का है उस पर भी आघात करते हैं। मनोरंजन के आधार पर पिछड़ी जाति का उनको मान कर। सही बात तो यह है कि महिलाएं मनोरंजन के लिए पुरुषों की तरह ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं बनिस्पत हम लोगों के। आप जानते हैं कि हम लोग, सदन के सदस्य अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी रखते हैं....

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, किस माने में ?

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे मालूम नहीं, मैं कह रहा था कि महिलाओं के लिए एग्ज़ेम्पशन करना उनके सम्मान के लिए ठीक नहीं मानता। फिर पुरुष जब जायेंगे सिनेमा देखने तब एन्टर्टेनमेंट टैक्स देंगे और उनके साथ जो महिलायें होंगी, रिश्तेदारी के बारे में मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता, महिलाओं को एग्ज़ेम्पशन देंगे तो सिनेमा घरों की खिड़कियों के सामने रंजिश का मौका देंगे। यदि मज़ाक के लिए यह बात कही गई है तो अलग बात है, वरना यह उनके स्टेटस की बात है। कम से कम सिनेमा घरों में तो समान स्तर रहना चाहिये। पिछड़ी जातियों के बारे में जो मनोवृत्ति हो रही है मैं उसको शुभ नहीं मानता। आज यह है कि वे विशेषाधिकार में आते है, उनके क्षेत्र को यदि धीरे धीरे सीमित करते चले जायेंगे तो ओटोमेटिकली पिछड़ी जाति के हरिजन आदि वांछित स्तर पर आ जायंगे।

तीसरी महत्वपूर्ण दलील प्रवर समिति के लिए यह दी गई है कि अमुक छोटी छोटी बातें रह गई हैं। शायद एग्ज़ेम्पशन की लिस्ट ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। नीति जो अखिल भारतीय है उसका विरोध करना चाहते हैं तो बात अलग है। लेकिन प्रवर समिति में बैठकर तीन-चार जो बातें हैं उनके अलावा ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको लेकर विचार करना चाहते हैं ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कर किसी भी प्रकार का हो उसको पसन्द नहीं करते हैं। जहां तक मेरी सूचना है, एन्टर्टेनमेन्ट को लेकर इस सदन के बाहर बात फैल सकती है या फैलाई जा सकती है। मैं नहीं कहता कि फैलाई जा सकती है, लेकिन किसी बात को लेकर डिले (Delay) करना है तो दूसरी बात है। प्रवर समिति के बारे में मेरा विचार है कि हर बिल को प्रवर समिति में भेजेंगे, तो मैं मानता हूं कि उसकी अहमियत और स्टेटस जो है, वह कम हो जायगी। सामुहिक दृष्टि से, सदन में विचार करने की दृष्टि से और उपयोग की दृष्टि से जो बिल का महत्व है उसमें कमी करते जायेंगे। छोटे छोटे बिल जिनको साइलेन्टली पारित करना चाहिये उनको यदि प्रवर समिति में भेजने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से उसका स्टेटस और महत्व कम करेंगे। अभी कई बिल सदन में आ रहे हैं। मैं मानता हूँ कि प्रवर समिति के पास अब तक कोई बिल नहीं भेजा है, पर जरूर भेजेंगे,

Page No.63

(श्री जनार्दनराय नागर)

वह मौका जरूर आयेगा। इसलिये मैं कहता हूँ कि इसको प्रवर समिति में भेजने की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री होतीलाल : सभापति महोदय, एक मिनट के लिए मुझे मौका दीजिये।

श्री सभापति : मैं समझता हूं काफी बातें कही जा चुकी हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सभापति जी, पांच सात मिनट और देने चाहियें।

श्री सभापति : मैं समझता हूँ होतीलाल जी के बाद श्री हरिभाऊजी बोलेंगे।

२.२० म. प.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : सभापति महोदय, जहां तक बिल के बारे में सोचा गया है, मैं यह कहूंगा कि इसको माननीय सदस्यों ने बड़ा लाइटली लिया है और वह भी इस तरीके से कि इसके बारे में कुछ सदस्यों ने कहा कि यह लग्ज़री टैक्स है और अभी अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि छोटे छोटे बिल जो हमारे सामने आते हैं, उनको प्रवर समिति को दिया जायगा तो काम में डिले होगी। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि दरअसल इसकी गहराई पर नहीं सोचा गया है। यह नहीं सोचा गया कि इस एन्टरटेनमेंट टैक्स का समाज पर क्या असर पड़ेगा। एन्टरटेनमेंट टैक्स की जो रेट्स हैं, उनमें इन्करीज़ होगा ही। जैसा कि माननीय वित्तमन्त्री महोदय, ने बजट भाषण में कहा था कि एन्टरटेनमेंट टैक्स को भी बढ़ाया जायगा। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो प्रश्न यह है कि देश में भुखमरी फैल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा है, तो हमें इस चीज को देखना है कि आया इसका असर हमारे समाज पर, और हमारी जो आर्थिक समस्या है, उन पर इस एन्टरटेनमेंट टैक्स से कोई ताल्लुक है या नहीं। इस वक्त जो टैक्स वसूल करते हैं, वह २५ प्रतिशत वसूल करते हैं, मैं समझता हूँ वह काफी हैवी टैक्स है और अब उसे इन्करीज़ किया जायगा और इसका वजन, जो सिनेमा देखने वाले हैं, और सिनेमा के द्वारा एम्युज़मेंट करने वाले हैं, उन पर पड़ेगा। यह भी एक निश्चित चीज है कि जो रेलगाड़ी और सिनेमा है, वह ज्यादातर थर्ड क्लास पर रन करते हैं, फस्ट क्लास और ऊंचे टिकट, जो बड़े ग्राहक होते हैं, वे खरीदते हैं। तो मतलब सिर्फ मेरे कहने का यह है कि जिन पर वजन पड़ेगा, वह नीचे का वर्ग है, जो गरीब तबका है, उस पर वजन पड़ेगा। स्वभाव से मनुष्य एम्यूज़मेंट को पसन्द करने वाला होता है। एम्यूज़मेंट पर टैक्स बढ़ाते जायं, और वह इतना हैवी हो जाय, यद्यपि सरकार की तरफ से यह गारन्टी नहीं आई कि वह कितना टैक्स बढ़ायेंगे लेकिन टैक्स के बढ़ाने का प्रश्न है उससे इन्कम में इन्करीज होगी। तो टैक्स बढ़ने की सम्भावना है। जहां तक सवाल है उसकी रेट्स का, वह सरकार अपने पास रखना चाहती है। जब यह चीज हो जायगी, तो मनुष्य जब स्वभावतः एम्यूज़मेंट को पसन्द करता है, वह सिनेमा और थियेटर में नहीं जा सकेगा लेकिन उसको एम्यूज़मेंट करना है, उसके लिए एम्युज़मेंट का एक ही सेन्टर रह जायगा और वह घर रह जायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो एम्यूज़मेंट की इच्छा है, वह पूर्ण करेगा, घर में अपनी स्त्री के साथ। नतीजा यह निकलेगा कि देश में एक तो वैसे ही आबादी बढ़ रही है,

(हंसी)

उसके लिए सरकार कहती है कि आबादी

Page No.64

(श्री होतीलाल)

नहीं बढ़ायें और दूसरी तरफ एम्यूजमेंट पर इस तरह से कर बढ़ाते हैं तो इस तरह से और आबादी बढ़ेगी। इसको गहराई से सोचें कि इसका देश की आर्थिक समस्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे, अनएम्पलायमेंट बढ़ेगा, भुखमरी बढ़ेगी....

श्री श्रीभानसिंह : मनोरंजन कर से ?

श्री होतीलाल : तो इस पहलू से विचार करने की आवश्यकता है। यह एक टेक्नीकल पहलू है, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : You better tell me the most technical point from your view.

श्री होतीलाल : मैं इसके पहलुओं पर सोच रहा हूँ।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : Who is such a noble man except yourself.

श्री होतीलाल : ऐसे और भी हो सकते हैं, लेकिन वे सदन से बाहर हैं। इस सदन से बाहर वालों पर ज्यादा असर पड़ेगा।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि प्रवर समिति को यह बिल दिया जाय जिससे इसके हर पहलू पर सब तरीके से विचार कर सकें और सारे लोग जो प्रवर समिति में हों, वे बाहर से भी राय ले सकें। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह मनोरन्जन कर जो सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह जो प्रस्ताव विरोधी दल ने रखा है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई मनोरन्जन कर देता है, तो मैं समझता हूं कि उसे टैक्स देना आवश्यक हैं। एक रुपये पर चार आना जो टैक्स लगाया गया है, वह कोई ज्यादा टैक्स नहीं है क्योंकि जब मनोरन्जन करने के लिए.......

श्री भैरोंसिंह : इतना सस्ता मत करें।

(हंसी)

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : आप सस्ता कह रहे हैं, मनोरन्जन महंगा कर रहे हैं।

श्री बहादुरसिंह : जो सुझाव रखा गया कि महिलाओं और दलित वर्ग के लिये एग्ज़ेम्पशन कर दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूँ। मनोरन्जन करने के लिए किसी वर्ग को एग्ज़ेम्प्ट नहीं करना चाहिये। जो टैक्स वगैरह लेते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे हरिजन हो, टैक्स समान रूप से रहे और समान रूप से वसूल करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस में जो क्लॉज़ है, इस टैक्स को सरकार द्वारा वसूल करने के बारे में, इससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं। यह कर सरकार को वसूल नहीं करना चाहिए। यह नगरपालिका का अधिकार है और ही यह अधिकार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ कि धौलपुर नगरपालिका के बारे में बताया कि उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब है और इसका कारण यह है कि वहां पर कोई टैक्स नहीं है। इस प्रकार का टैक्स सरकार ने ले लिया है तो फिर कोई टैक्स लगाने के लिए नहीं रखा है। इसलिए मैं सरकार की जो इस टैक्स को वसूल करने की नीति है, उससे सहमत नहीं हूँ। हमारे मान—

(श्री बहादुरसिंह)

नीय, क्यों वृद्ध वित्त मन्त्री यह अधिकार नगर पालिकाओं को, ग्राम पंचायतों को देवें तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूं कि इसके बारे में वे थोड़ा विचार करेंगे कि जो यह नगर पालिका का अधिकार लिया जा रहा है, उसको नहीं लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुये अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री संपतराज जैन : मुझे एक मिनिट का समय दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : मुझे भी टाइम दिया जाय।

श्री सभापति : श्री सम्पतराज जी।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है और ग्राम और शहर की जनता की आय में १३ गुना अन्तर है। यह हमारी भारत सरकार ने भी माना है। जब ग्राम और शहर की आय में १३ गुना अन्तर है तो जो टैक्स राजस्थान सरकार शहरों के लिए लगायेगी, वह टैक्स गांवों के अन्दर भी लगेगा। सभापति महोदय, सदन अच्छी तरह से जानता है कि ग्रामों के अन्दर आज यह हालत पैदा हो रही है कि ग्राम वीरान होते जा रहे हैं और शहर आबाद होते जा रहे हैं। इसके मुख्य कारण दो हैं, पहला कारण यह है कि ग्रामों के अन्दर बेकारी बढ़ती जा रही है, उनको काम नहीं मिलता, कोई इन्डस्ट्री नहीं है, उद्योग-धन्धे नहीं हैं। दूसरा कारण यह है कि मनोरंजन के साधन नहीं है। आज मनोरंजन के अभाव में और काम के, धन्धे के अभाव में गांव वीरान होते जा रहे हैं। ऐसी हालत में जो यह टैक्स जिस शहर से के लिए लगायेंगे, उस शरह ग्रामों के लिए भी लगेगा। जब कि वहां पर आमदनी होती नहीं है, शहरों के मुकाबले गांवों में रुपये में दो आना आमदनी होती है। जब यह टैक्स सारे राजस्थान में लगायेंगे तो गांवों में भी उसका असर होगा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आज यह हालत हो रही है कि ग्राम पंचायतें, जब गांवों में मेले होते हैं, जनता के मनोरंजन के लिए निमंत्रण देती है, सिनेमा या किसी और चीज को, तो वहां उन मेलों के अन्दर सिनेमा दीगर मनोरंजन के काम करने वाले आते नहीं हैं निमंत्रण के बावजूद। इस का कारण क्या है, कारण यह है कि उन्हें आमदनी नहीं होती, आय नहीं होती और जब आमदनी नहीं होती है, तो वहां जाकर क्या करें? उनका खर्च भी नहीं निकलता है। आज ही यह हालत है तो जब एक रुपये पर चार आने एन्टरटेनमेंट टैक्स लगेगा तो जनता जिसको ४, आने ६ आने, ८ आने मजदूरी के मिलते हैं यह टैक्स देकर कैसे मनोरंजन कर सकेगी?

श्री भैरोंसिंह : इन्कम टैक्स नहीं, यह एन्टरटेनमेंट टैक्स है।

श्री सम्पतराज जैन : मैं एन्टरटेनमेंट या मनोरंजन टैक्स ही कह रहा था। इन्कमटैक्स मैंने नहीं कहा। आपने कम सुना है।

श्री सभापति : आपने जो कुछ भी कहा, अब आगे कहिये।

श्री सम्पतराज जैन : मैं निवेदन कर रहा था कि इससे देहाती जनता पर बड़ा भार पड़ेगा। फिर आज यह हालत है कि वहां पर मनोरंजन करने वाले जाते नहीं,

(श्री सम्पतराज जैन)

मनोरंजन के साधन पनपते नहीं, कायम नहीं होते, स्थापित नहीं होते। क्या गत पांच सालों में किसी तहसील या ग्राम में मनोरंजन के साधन कायम हुये? इसका कारण है कि गांवों में इन्कम बहुत कम होती। देहात की जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वे इतना भारी टैक्स देकर मनोरंजन कर सकें। ऐसी सूरत में मैं इस बिल का सिद्धान्ततः समर्थन करते हुए, जो यह प्रस्ताव रखा गया है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, इस प्रस्ताव का विरोध करता हुआ, मैं श्रीमान् वित्त मन्त्री महोदय से, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगा कि वे कम से कम पांच हजार की आबादी की जगहों पर वह टैक्स न लगायें और पांच हजार की आबादी से कम देहातों को इस टैक्स से छूट देने की कृपा करें। मैं मानता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय साधारणतया इस बात को मानने वाले नहीं हैं, पर मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि देहातों के लिये, गांवों के लिये वहां इन साधनों को पनपने देने के लिए, कुछ सालों के लिए इस टैक्स से पांच हजार से कम आबादी वाले देहातों और गांवों को मुक्त कर दें। बरी करदें तो मैं निवेदन करूंगा कि आपका जो यह सिद्धांत रहता है देहातों को पनपाने का, उन्हें वीरान नहीं होने देने का, वह उद्देश्य आपका पूर्ण होगा।

तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मेरे इस सुझाव को बड़ी कृपा पूर्वक ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री नाथूलाल (लालसोट) : माननीय सभापति महोदय, सदन के सामने यह एन्टरटेनमेंट टैक्स आया है, और भी कई बिल आ गये, जो पास हो गये, यह और आ गया, मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि जितना टैक्सों का भार पब्लिक पर लादा जा रहा है, उससे पब्लिक असंतुष्ट होती जा रही है। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि नगरपालिकाओं और पंचायतों का हक छीना जा रहा है क्योंकि सरकार अब इस टैक्स को अपने हाथ में ले रही है, इसके सम्बन्ध में मेरी यह राय है कि इस प्रकार नगरपालिकाओं के हक को छीनने से नगरपालिकाओं की आय कम हो जायगी, आगे ही नगरपालिकाओं के पास पैसे की कमी है, इस प्रकार का अधिकार छीनना और इस तरह का कर अपने हाथ में लेने से उनकी आय और भी कम हो जायगी। इसलिये मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि यह कर वसूल करने का अधिकार अपने पास न रखकर नगरपालिका के ही सुपुर्द रखा जाय तो अच्छा होगा।

आगे अर्ज यह है कि महिलाओं और दलित वर्ग के लोग जो गरीब जनता है, उन पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ेगा, उनको भी सिनेमा आदि में एन्टरटेनमेंट टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अभी इसको पारित न करें, इसे अभी सेलेक्ट कमेटी में ही भेजना उचित है।

माननीय सभापति जी, यह टैक्स तो उन्हीं प्रदेशों में होना लाज़िमी था जो कि मालदार प्रदेश हैं, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो गरीब प्रदेश है, यहां तो पहले से ही कई Tax लगे हुए हैं वह ही बहुत ज्यादा है, मैं तो यह चाहूँगा कि इसे बिलकुल ही हटा दिया जाय।

Page No.67

(श्री नाथूलाल)

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

(कई सदस्यों को एक साथ बोलने को खड़े होने पर)

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : श्री हरिभाऊ उपाध्याय ।

श्री सूबेदारसिंह : मैं भी कुछ कह लूं ।

श्री सभापति : अभी तक कुल मिला कर दो घंटे में १३ सदस्य बोल चुके हैं और इस छोटे से विधेयक के लिये यह काफी है । अगर फिर भी आपका बोलने का आग्रह है तो आधे घण्टे के लिए और समय दिया जाता है ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, ...

(हंसी)

माफ करें । सभापति महोदय, यहां जो मनोरंजन कर को पेश किया है, उसका कुछ मित्र विरोध कर रहे हैं । मैं इस पक्ष का हूं कि टैक्स तो जरूर लगाना चाहिये, पर जहां राजस्थान सरकार राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को चला रही है, इतने बड़े प्रान्त के शासन को चलाती है तो उसके पास इस सब के लिये पूरे साधन भी चाहिये, बगैर कर लगाये हम प्रान्त का निर्माण नहीं कर सकते । दूसरी ओर देखें कि जहां म्युनिसिपैलिटियां हैं वहां निर्माण करना है, ग्रामों में भी निर्माण करना है । नगरपालिकाएं हैं वे सरकार से आये दिन धन मांगती हैं. शहरों में कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं लाइट नहीं होने से रात-रात भर अंधेरा रहता है, तो वहां यह सब कार्य करने हैं । फिर भी यह छोटा सा जो विधेयक पेश हुआ है तो सरकार को चाहिये कि उदारता दिखाये कि यह मनोरंजक कर लगाया है, उसको सरकार स्वयं वसूल करने के बजाय म्युनिसिपैलिटियों और ग्राम पंचायतों को यह कर वसूल करने का अधिकार दे दे । जहां छोटी छोटी नाटक मंडलियां आती ही रहती हैं । तो मैं आशा करता हूँ कि सरकार इसमें उदारता दिखायेगी ।

इसमें एक गलत फहमी हो गई है कि एक रुपये के टिकट पर ४ आना कर लगेगा । यह गलत फहमी है ।

साथ ही कुछ मित्रों ने विरोध किया है कि महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लोगों को इस कर से मुक्त रखना चाहिये । मैं इसे इसी प्रकार का कदम मानूंगा कि शराब बन्दी की जाय पर शराब के लिये कुछ लोगों के परमिट दे दिये जायं । महिलाओं और पिछड़ी जातियों के लोगों को इससे मुक्त कर दिया जाय तो यह और हानिकारक होगा क्योंकि सिनेमा आदि से आज-कल अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है ।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि कर जरूर लगाना चाहिये, पर इसको वसूल करने का अधिकार नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों को दे दें ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय सभापति महोदय, एन्टर्टेन्मेन्ट टैक्स के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने कहा है मैं भी दो शब्द सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ । माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता अधिक गरीब है । यहां ८० प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जो कि मजदूरी से गुजर करते है, उनके पास सिनेमा के कोई आमोद-

(श्री गिरधारीलाल)

प्रमोद के साधन नहीं हैं। हमारी सरकार टैक्स लगाना चाहती है, मैं यह नहीं कहता कि टैक्स नहीं लगायें। बगैर टैक्स काम नहीं चलेगा पर सरकार की टैक्स लगाने की बाबत कोई एक नीति होनी चाहिये। हमारी सरकार समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयत्न कर रही है, तो हमारी सरकार को कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाना चाहिये जिसका असर गरीब जनता पर पड़े। गरीब जनता के पास सिवाय सिनेमा के कोई और मनोरन्जन का साधन नहीं है। सरकार को बिल इस रूप में पेश करना चाहिये था कि इसका असर केवल अमीरों पर ही पड़ता। २ रुपये का जो टिकट ले उस पर ८ आना कर लगाये तो ठीक है और ४ रुपये का टिकट से उस पर अलग एक रुपया भी कर लगाये तो ठीक है पर एक रुपये से नीचे टिकट खरीदने वालों पर यह टैक्स नहीं लगाना चाहिये। क्योंकि गरीब आदमी के पास मनोरन्जन का और कोई साधन नहीं है। इसलिये इस प्रकार का टैक्स लगाने से गरीब जनता पर आर्थिक बोझा पड़ता है जिसे वह सहन करने को तैयार नहीं है।

इसलिए मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सरकार की समाजवादी समाज की स्थापना करने की नीति है, तो उन अमीरों पर टैक्स लगायें जो दे सकते हैं, गरीबों पर नहीं। इस सम्बन्ध में मेरी नीति; मेरा कहना यह है कि एक रुपये के ऊपर के टिकट खरीदने वालों से यह टैक्स लिया जाय, इससे नीचे नहीं लगाना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : माननीय सभापति, मैं केवल इस पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसको गवर्नमेंट वसूल करेगी या म्युनिसिपेलिटी या पंचायत और क्या यह कर उन्हीं के काम में आवेगा जहां पब्लिक सेवा की चीज है, गवर्नमेंट को उसे दे देनी चाहिये। बहुत सी ऐसी आयें को गवर्नमेन्ट खुद अपने बजट में रख लेती है और उससे म्युनिसिपेलिटीज को बहुत दिक्कत रहती है। गवर्नमेंट इस आमदनी को अपने पास न रखकर म्युनिसिपेलिटीज़ को दे दे। इस मामले को सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे ताकि वहां पर सभी रिफार्मर के लोग ठंडे दिमाग से सोचेंगे। जब यहां पर प्रश्न आता है तो केवल हां और ना में गिर जाता है। ऐसे सिद्धान्त के विषयों में यह तरीका दूषित है और शपथ ग्रहण की मन्शा के विरुद्ध है।

श्री सभापति : सिलेक्ट कमेटी भी हाउस के सदस्यों की ही होगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : वहां पांच आदमी बैठकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे। दूसरे लोगों का ख्याल था कि टैक्सेज़ में दिक्कत रहती है। बहुत से आदमी दुखी होते हैं, वे लोग अपने दुख को दूर करने के लिए तम्बाकू पीते हैं, बहुत से लोग अपने दुख को मिटाने के लिए शराब पीते हैं। वे समझते हैं कि इसमें पैसे लगते हैं तो लगें और अगर मर भी जाते हैं तो वे इसकी परवाह नहीं करते मगर थोड़ी देर के लिए सब दिन काम करने के बाद उसमें उनको शान्ति मिल जाती है। ऐसे मामलों पर विचार करके सिलेक्ट कमेटी सोचेगी और विचार करेगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए मैं समझता

Page No.69

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रखा जाय और दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट में वसूली का प्रश्न है वह नहीं होकर पब्लिक की म्युनिसिपैलिटीज़ है। जिनका यह काम है व उनके द्वारा यह आमदनी वसूल होगी व काम में लेनी चाहिये यही मेरा निवेदन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय,.......

श्री सभापति : श्री हरिभाऊ उपाध्याय।

(श्री हरिभाऊ के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने पहले भी आपसे बोलने के लिये अर्ज किया, मगर मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला।

श्री सभापति : order ! Please पहले जो समय बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में निर्धारित किया गया था उसी के अनुसार मैं वित्त मन्त्री जी को आमन्त्रित कर रहा हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कृपया यह तो बताइये कि यह बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में कब तय हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, मैं समझता हूँ कि समय देने का मापदण्ड यह नहीं होना चाहिये कि एक बिल पर दो घंटे ही बहस हो। जिस ढंग से इसको मामूली कहा जाता है, दूसरे पक्ष के लिये यह राइट बनता जा रहा है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है उसकी विशेषताएं बताई जावें।

श्री सभापति : इसमें आपका पोइन्ट ऑफ आर्डर क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यही है कि समय दिया जावे।

श्री सभापति : यह तो कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो हमारे अधिकारों पर एन्क्रोचमेंट हैं, this is the point of order. है।

श्री सभापति : तो फिर आप यों कहिये कि पोइन्ट ऑफ privitege

श्री भैरोंसिंह : सदन के सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको बोलने का अवसर दिया जाए, यह हमारा पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है।

श्री सभापति : इसमें कोई एतराज नहीं लेकिन अधिकतर बातें जो कही गई उनमें वही बातें बताई गई हैं और बार बार रिपीटीशन ही किया गया है।

श्री मदनसिंह : समर्थन का मतलब ही रिपीटेशन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे साथ यह अन्याय क्यों हो रहा है ? मुझे भी समय दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : जिनको देना जरूरी था, दिया गया।

श्री मदनसिंह : १५ मिनट और दे दीजिये।

(बहुत से माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : एक व्यक्ति एक बार बोले।

(श्री जगदीशप्रसाद खड़े रहे)

मैं आपको भाषण के लिये आमन्त्रित

Page No.70

(श्री सभापति)

नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल यही जानना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव को सिलेक्ट कमेटी में रखा गया तो....

श्री सभापति : यह प्रस्ताव यहां पर रखा गया है और इसका समर्थन भी हो चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे इस पर कुछ नई बातें कहनी हैं जो अभी तक कही नहीं गईं।

श्री सभापति : इस पर काफी विचार हो चुका है और काफी सुझाव रखे गये हैं। अगर कोई नई चीज रखना चाहते हैं तो आप फरमाइये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मुझे नई चीज ही कहनी है।

श्री सभापति : तो आप फरमाइये।

श्री जगदीशप्रसाद (सीकर) : सभापति महोदय, जैसा यहां कहा गया है कि यह बिल एक छोटा सा बिल है, इसको पास कर दिया जाए; मगर मैं कहूँगा कि इसके अन्तर्गत जहां जहां म्युनिसिपेलटीज़ थीं और जहां जहां यह लागू था वहीं इसका असर पडता था, मगर जब यह एक प्रान्त व्यापी एक्ट बन जाएगा तो उसके बाद सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इस कानून के अनुसार चाहे जहां, जिस गांव में और शहर में और कस्बों में, जहां जहां आज टैक्स वसूल नहीं हो रहा है, वहां पर भी इस प्रकार का टैक्स वसूल करेगी। जहां पर पहले यह टैक्स नहीं लिया जा रहा था उन स्थानों के लिये सरकार की तरफ से यह नये रूप में नया टैक्स है। क्योंकि इस बिल में यह कहा गया है कि अलग अलग जगह इस सम्बन्ध में अलग अलग नियम चल रहे हैं उनमें एक रूप बतलाने के लिये और म्युनिसिपेलिटीज़ को कम्पेन्सेशन देने के लिये यह बिल रखा जा रहा है। मगर हम देखते हैं कि इसका स्कोप विस्तृत होता जा रहा है। यह बिल शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा, गांवों और दूसरे कस्बों में भी लागू होगा। जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है इसके क्लोज़ १४ में लिखा गया है :

"From the proceeds of the tax collected under this Act every year, there shall be paid to each local authority which was in receipt of an income from a tax levied by it in respect of admission to entertainment under any enactment amended by section 2........."

यह तो ठीक है कि आज तक जो म्युनिसिपेलिटीज़ इस प्रकार के टैक्स ले रही थीं उनको कुछ देंगे, लेकिन जो म्युनिसिपेलिटीज़ नहीं ले रही है और जिन्होंने यह कर लागू नहीं किया उन स्थानों पर भी इस कानून के जरिये से अधिकार हो गया है। सरकार टैक्स वसूल करेगी, मगर जहां पर यह टैक्स नहीं था वहां पर भी टैक्स लगाने का इस कानून के द्वारा सरकार को अधिकार हो गया है। इसलिये इस कानून में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि जहां पर यह टैक्स नहीं लगता था उसके लिये क्या होगा ? कहा यह जाता है कि सब म्युनिसिपेलिटीज़ को टैक्स का कुछ भाग दिया जावेगा। मगर यह स्पष्ट नहीं है कि किसको दिया जावेगा और किसको नहीं दिया जावेगा। अभी तक इस कानून में इस बात पर एम्बीग्युइटी है। इसलिये इस बात पर

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

विचार करने लिये इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि ज्यों ज्यों विकास होगा, रेट्स ज्यादा होंगी और आगे जाकर इसका क्या स्वरूप होगा इस प्रकार की कोई चीज इस बिल में नहीं दी गई है। इन सारी बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) में भेजने की आवश्यकता है। केवल यह कहना कि यह एक छोटा-मोटा बिल है, इसको पास कर दिया जावे; यह उचित नहीं होगा। हम यहां विधान सभा में कानून बनाने के लिये बैठे हैं, चाहे वह कानून छोटा हो चाहे बड़ा। आखिर वह जन-जीवन पर असर डालने वाला कानून होगा। आप जिसको एक छोटा सा बिल बता रहे हैं, उससे आप ६० लाख रुपये की योजना बना रहे हैं, उसको छोटा कैसे माना जाए? आप इसके लिये यह कहते हैं कि इसको 'बाई दी वे' (by the way) पास कर दिया जाए। यह बात मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत में न्याय संगत नहीं होगी। आज बड़े-बड़े सुझाव आते हैं। महिलाएं तो बैकवर्ड नहीं हैं, मगर कहा यह जाता है कि उनको बैकवर्ड क्लास में लेनी चाहिये और कांग्रेस पार्टी ने इसको इसी कारण प्रिविलेज दिया है। उनको टिकिट दिया है, टिकिट देने में यह नीति अपनाई है।

अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि विरोधी दल की तरफ से यह जो प्रस्ताव आया, इस पर आप विचार न करें और इसके बजाय इसके अन्दर एम्बीग्युटीज़ रह गई हैं उन पर विचार करने के लिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-प्रथम) : सभापति महोदय, मैं सिनेमा वाला हूं और अभी तक जितने भी सदस्य बोले वे सिनेमा वाले नहीं थे, अतः मुझे विचार रखने की आज्ञा दी जाय।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में जो यह मनोरंजन कर लगा हुआ है, वह अलग अलग शहरों में अलग अलग लगता है। अब समानता लाने के लिए वित्त मन्त्री जी ने जो बिल रखा है उसका मैं स्वागत करता हूं और साथ में जो म्युनिसिपलिटीज से यह मनोरंजन कर वसूल करने के अधिकार को छीनने की बात है, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हर म्युनिसिपलिटी में कुछ न कुछ मेम्बर्स होते हैं और इनके लिए अक्सर देखा गया है कि वे मुफ्त सिनेमा देखने चले आते हैं। तो आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि जोधपुर की म्युनिसिपैलिटी ने जब कर लगाया था तो वहां के कुछ मेम्बरों की एक सब-कमेटी बनाई थी और उस सब-कमेटी का मकसद यह था कि वह मुफ्त में सिनेमा चेकिंग के बहाने आकर के देखें और सिनेमा वालों के ऊपर रोब जमायें। इसका परिणाम यह हुआ कि सब सिनेमा वालों ने मिलकर इस चीज का विरोध किया और यहां तक भी नौबत आई कि उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया। इसके पश्चात म्युनिसिपलिटी ने ऐसा मान लिया कि आयन्दा इसके लिए एक इन्सपेक्टर ही आयेगा और वह इस काम को करेगा।

अब एक यह बात जो कही जाती है कि हरिजनों के लिए और स्त्रियों के लिये कर मुक्त होना चाहिए। तो इसके लिये मैं कहूँगा कि यह कोई व्यावहारिक बात नहीं है। जहां तक सिनेमाओं के अन्दर आपने देखा

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

होगा कि जब कोई नई पिक्चर लगती है तो उस समय टिकटघर पर इतनी भीड़भाड़ होती है कि शरीफ आदमी तो टिकट ही नहीं ले सकता है और फिर वहां उस भीड़ के अन्दर यह पता लगाना कि कौन हरिजन है यह बड़ा मुश्किल हो जायगा। इसी कारण से मैं इसको अव्यावहारिक बताता हूं। अब स्त्रियों की बात रहती है। तो इनके लिए मैं आपको बताऊं कि हर सिनेमा के अन्दर औरतों की क्लास बहुत थोड़ी रेट पर एक अलग ही होती है और वह क्लास भी इसी जगह के मास होती है कि जहां दूसरी ऊँची क्लॉस जो दो-तीन रुपये वाली सीटों की होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि करीब वन फोर्थ तो रेट में स्त्रियों के लिए ऑटोमेटिक कन्सेशन हो जाता है। तो यह कहना कि हरिजनों और स्त्रियों को इस कर से कुछ मुक्त करना चाहिए तो यह बात व्यावहारिक व आवश्यक नहीं रहती है।

अब यह कहा जाता है कि यह आम जनता के ऊपर बहुत भारी टैक्स लग जायेगा। तो जिन सदस्यों ने यह कहा है, इसके लिये मैं उन सदस्यों को बताना चाहता हूं कि राजस्थान में करीब ६० स्टेशन हैं जहां सिनेमाघर बने हुए हैं और करीब १० हजार की आबादी से कम की कोई जगह नहीं है जहां कि सिनेमाघर चल रहा है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि गांव की जनता पर टैक्स लग रहा है। शहरों में जो यह सिनेमा हैं, इनमें छोटी क्लास के टिकट के ऊपर तो कम टैक्स है। जो टिकट ४॥ आने का है उसमें ४ आने पर २ पैसा यह टैक्स लगता है। तो इस तरह से गरीबों पर जो कि कम दाम की टिकट लेते हैं, इनके ऊपर बहुत थोड़ा टैक्स लगता है और ज्यों ज्यों क्लास बढ़ती जाती है तो बड़ी क्लास वालों को तीन रुपया पर ६ आने तक टैक्स का देना होता है। तो यह जो टैक्स है, यह कोई नये ढंग से नहीं लग रहा है। सारे राजस्थान में समानता लाने के लिये ही यह कर बिल पेश किया गया है और मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। लेकिन अभी जो कर इकट्ठा करने की व्यवस्था है, इसमें बहुत सी कमियां देखी गई हैं कि जिनकी वजह से मनोरंजन कर जितना इकट्ठा होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं कुछ सुझाव रखूंगा और आशा करता हूं कि वित्त मन्त्री जी इनको स्वीकार करेंगे।

यहां सिनेमा में जब नये पिक्चर्स लगते हैं तो अक्सर यह देखा जाता है कि हर शहर में कुछ गुन्डों की पार्टियां होती हैं और उनका गिरोह होता है। उनका प्रोफेशन यही है कि हर सिनेमा के ऊपर भीड़ भाड़ के समय जा कर के पहले ज्यादा टिकट खरीदें और ब्लेक मार्केटिंग करें। वह टिकट लेने के लिए पहले से ही क्यू में खड़े हो जाते हैं और गुन्डागर्दी करते हैं, कई ऐसे केसेज़ देखे गये हैं कि लोगों की नाक तोड़ देना, मारना और कपड़े फाड़ना इनका काम हो गया है। यहां तक कि अगर कोई जबरदस्ती करता है तो मार पीट करने के लिये तैयार हो जाते हैं। वह गुंडागिर्दी करते हैं और अधिक मात्रा में टिकट ले लेते हैं। जो टिकट देता है, उसको भी डराते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमको टिकट हमारी इच्छानुसार नहीं दिये तो घर जाते समय तुम्हारी खबर लेंगे। और चाकू छूरों की धमकी देते हैं। हालांकि सिनेमा वाले टिकट घर वालों को मना करते हैं कि एक आदमी को दो टिकट से ज्यादा मत दो। मगर एक ही आदमी दस-दस टिकट गुंडागर्दी से ले लेता

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

है और इस तरह से अगर दस आदमी भी आ गए तो सौ टिकट तो यों ही चले जाते हैं। अब अगर अच्छा पिक्चर होता है तो यही चार-चार आने वाला टिकट एक रुपया या डेढ़ रुपया में वापिस ब्लेक से बेचते हैं। तो इस तरह से ब्लेक का पैसा गुंडों को मिलता है। वह (बीच में) ब्लेक करते हैं तो यह पैसा न तो सरकार के पास ही जाता है और न सिनेमावालों को ही मिलता है। इस तरह सिनेमा देखने वालों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है और वह ऊंची क्लास का टिकट खरीदने में असमर्थ हो जाता है इससे सरकार व सिनेमा वालों का नुकसान हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसकी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। मैं आपको बताऊं कि यही समस्या बाम्बे गवर्नमेंट के सामने भी आई थी तो वहां की सरकार ने ब्लेक मार्केटिंग बन्द करने के लिये वहां एक कानून बनाया था जिसमें वहां की समस्या में काफी सुधार हुआ है और मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री जी उसी के आधार पर वहां का एक्ट ढुंढ़वा कर मंगवायेंगे और इस चीज की ठीक व्यवस्था करेंगे। उस कानून में यह व्यवस्था की गई है कि सिनेमा के अन्दर दंगा वगैरह होने के समय फौरन ही पुलिस आये। अब चूंकि यहां सिनेमेटो ग्राफ एक्ट व क्लोज में ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है; इसलिए राजस्थान में पुलिस वालों से जब कहते हैं कि यह लोग यहां आकर के ब्लैक मार्केटिंग करते हैं इनको पकड़ो तो वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं जिसके अन्तर्गत हम इनको पकड़ें। तो ऐसी सूरत में टिकटों का ब्लेक मार्केटिंग बहुत जोरों से होता है। ब्लैक करने वालों की जो गेंग है उसके अन्दर एक एक आदमी को पांच पांच सौ रुपये तक की आमदनी होती है। और उनके पास सोने का जेवर और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि इस ब्लैक करने के अन्दर कई लोगों का हाथ है। कई तरह के लोग इसमें शामिल हैं। सरकारी नौकर भी हैं, मैंने इस बारे में राजस्थान गवर्नमेंट को भी लिखा था कि ब्लैक करने में बहुत से सरकारी आदमी है जो कि माइनिंग डिपार्टमेन्ट में नौकर हैं, रेवेन्यू में है, एजूकेशन में मास्टर हैं। यह सब ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं। इसके लिए मैं एक सुझाव सबसे प्रथम यह बताऊं कि ऐसा कानून होना चाहिये कि जिससे ऐसे मामलों में पुलिस वाले कुछ कार्यवाही कर सकें।

दूसरे राजस्थान में सिनेमाटो ग्राफ एक्ट है, उसमें ऐसा कोई प्रावीजन नहीं है कि सिनेमावालों को अगर जरूरत पड़े तो वह समय पर पुलिस की सहायता मांग सकें। इसके अन्दर पहले पैसा जमा कराओ। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि वहां सारा बन्दोबस्त टूट जाता है। इसलिये सिनेमा वाले इन चीजों पर कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह हमारी सरकार कर से महरूम हो जाती है। पुलिस की व्यवस्था ठीक ढंग से हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

तीसरी बात जो खास मुद्दे की है वह यह है कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स जो वसूल किया जाता है वह टिकटों पर सील लगाकर म्युनिसिपलिटी द्वारा किया जाता है। बहुत से सिनेमा वाले जो कि निम्न श्रेणी के हैं वे क्या करते हैं कि टिकट की दो दो किताबें एक ही नम्बर की रखते हैं। दोनों टिकटों की किताबों पर म्युनिसिपलिटी वाले सील अथवा टिकट लगा लेते है और कुछ टिकट ही बिके

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

हुए दिखाते है। इस प्रकार से कुछ पैसे तो वह बचाये हुये कर में से म्युनिसिपलिटी वाले अधिकारियों को दे देते हैं और कुछ कर का सिनेमा वाले को फायदा हो जाता है। तो इससे मैं बताऊं कि सरकार कर से वंचित हो जाती है। जयपुर के अन्दर ऐसे केसेज़ पकड़े हैं। हमारे मिलने वाले एक आदमी ने उनको पकड़ा और वह टिकट भी उनके पास डबल नम्बर के पड़े हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह पोस्ट ऑफिस में टिकट होते हैं या रेवेन्यू स्टेम्प होते हैं: इसी प्रकार के टिकट कलेक्टर के पास रख दिये जायें और सिनेमा वालों से कह दिया जाय कि जाकर के कलेक्टर के पास से टिकट खरीद लो और कलेक्टर का ही कोई नियुक्त इन्सपेक्टर जाकर के किसी भी समय इनको चैक कर ले तो यह काम ठीक हो सकता है। सरप्राईज़ विजिट की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इनके अलावा सिनेमा स्टाफ की भी बात पैदा होती है। उनके लिए प्रावीजन नहीं है कि स्टाफ के आदमी सिनेमा में ड्यूटी पर जो होंगे उनको कोई सिनेमा में जाने से रोकेगा नहीं। जो स्टाफ के आदमी हों उनके लिए ऐसी रोकथाम नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा जो यह टैक्स है यह दो तीन कैटेगरी में बंट जाना चाहिए। क्योंकि अलग अलग शहर में अलग अलग सिनेमाओं की आमदनी है। राजस्थान में दो तीन किस्म के शहर हैं। जैसे जयपुर को लें तो यहां ५ लाख की आबादी है और यहां हर सिनेमा की एवरेज इनकम २५ हजार रुपये माहवार की है। जब कि जोधपुर की लेते हैं तो १२ से १८ हजार की होती है, पाली को लें तो वहां आमदनी पांच-छः हजार तक की होती है, अजमेर जोधपुर और बीकानेर में करीब १२ से लेकर १८ हजार तक होती है। इस तरह से सब छोटे व बड़े नगरों के ऊपर समान रूप से टैक्स लगाने में सिनेमा वालों को नुकसान पहुँचता है। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्युटर लोग ऐसी जगह अच्छी पिक्चर कम भेजेंगे क्योंकि पिक्चर भेजने वालों को कम पैसा मिलेगा और वे फिक्स्ड हायर पर भेजेंगे, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि हमें नगरों की केटेगरी बनाकर यह टैक्स लागू करना चाहिये। जिस जगह की आबादी ५० हजार से कम हो उसको डी श्रेणी में लिया जाय जिसकी आबादी एक लाख से कम हो उसको सी श्रेणी में लिया जाय और जिस जगह की आबादी दो लाख से कम हो उसको बी श्रेणी में और इससे ज्यादा हो उसको ए श्रेणी में लिया जाय। अगर हम इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो सिनेमा व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा।

इतना ही कहकर मैं बिल का हार्दिक समर्थन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर देर करना उचित नहीं है, इसके अतिरिक्त आशा करता हूँ कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर वित्त मन्त्री महोदय विचार करेंगे और मान्य सदस्यगण इस बिल को पारित करेंगे।

३.१ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि अन्त में बोलने वाले माननीय सदस्य अगर पहले बोल लेते तो मैं समझता हूं दूसरे माननीय सदस्यों को बहुत

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

से भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे स्वयं सिनमा संस्था के अनुभवी हैं, उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है और कई उपयोगी सुझाव भी दिये हैं; इसके बाद मैं नहीं समझता कि इस बिल को जो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का सुझाव दिया है उसको माना जाय। माननीय सदस्यों को यह सोचना चाहिये कि यह बिल कोई ऐसा बिल नहीं है जो अचानक लाया गया हो, यह नया बिल नहीं है। इसके पीछे इतिहास है। सरकार ने मानमाने ढग से बनाकर इस चीज को सदन के सामने नहीं रखा है जिसको देखकर आपको चौकन्ना या डरने की आवश्यकता हो। टैक्स जो लग रहा है उसमें किसी प्रकार की कमी हो या वेसी हो, कहीं तो म्युनिसिपेलिटी वसूल करती है, कही सरकार वसूल करती है। इसको आप देखेंगे तो मालूम होगा कि कई जगह तो यह एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लागू ही है, जहां कुछ जगहों पर नहीं है वहां यह लागू हो जायगा। यह कोई नया टैक्स नहीं और न नया बिल ही है जिसके लिये सिलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता हो।

इसके अलावा व्यवस्था के बारे में भी कुछ सुझाव दिये गये हैं। मैं भी मानता हूँ कि व्यवस्था इसी प्रकार की होनी चाहिये जिससे जन-साधारण को कम से कम कष्ट हो। सामाजिक दृष्टि से और व्यवस्था की दृष्टि से भी वह आवश्यक है इतनी डिटेल में जो बातें कही गई हैं उनके लिये प्रावधान रख दिया है। इसमें सरकार को यह अधिकार दिये जा रहे हैं कि वे नियमावली बनायें। जिस समय नियम बनायें जायेंगे इन सब बातों को ध्यान में रखा जायगा, सरकार की तरफ से कोशिश की जायगी कि इन सब सुझावों को ध्यान में रखे। व्यवस्था में सरकार इस बात का भी ध्यान रखेगी, जिसमें सिनेमा देखने वालों को कम से कम कष्ट हो।

दूसरी बात यह है, इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि जो भी टैक्स सरकार निर्धारित करेगी वह एसेम्बली सेशन में रखी जायगी, उसमें सदन यदि कोई दुरुस्ती करना चाहे तो भी कर सकता है इसलिये कोई चिन्ता की बात नहीं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी फरमाया कि सरकार की तरफ से ऐसा कदम न उठाया जाय जिससे जनता में क्षोभ हो, जनता को वास्तविक हानि भी न हो और क्षोभ भी न हो, ऐसा कार्य किया जाना चाहिये। मैं यह मानता हूं कि जनता के लिये ऐसा काम न होना चाहिये जिससे उनको वास्तविक हानि हो, किसी वर्ग को भी न हो। हमारे देखने का काम सिर्फ यह है कि किसी को हानि न हो। हानि न हो फिर भी यदि क्षोभ किसी को होता है तो इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। हमारी कई मजबूरियां हैं, जिनके कारण जनता को क्षोभ हो जाता है और वाजिब तौर से हो जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता कि इस बिल के अन्दर ऐसी कोई बात है जिससे सिनेमा देखने वालों को इससे क्षोभ हो। आपके द्वारा जो इतनी अपीलें सद्भावना के साथ की गईं, मैं ऐसा आदमी नहीं जो आपकी अपील को, सद्भावनापूर्ण की गई अपील को नहीं मानता। सब लोग इस भावना की कद्र करेंगे। अगर बिल्कुल वाजिब बात हो तो उसकी कद्र की जाय और उसी के अनुसार निर्णय किया जाय।

एक बात विशेष तौर से जो कही गई वह यह कि यह बिल जो लाया गया है

Page No.76

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उसमें बजट में जो मनोरंजन के सिलसिले में दो लाख की बचत का अनुमान किया गया है, उसी के लिये यह बिल लाया गया है। यह बात नहीं है। यह बिल समान दर करने के लिये, जो अलग-अलग जगह अलग-अलग दरें हैं, उनको एक करने के लिये यह लाया गया है लेकिन यह जरूर हमने माना है कि इस उलट-फेर के अन्दर दो लाख रुपया सरकार को मिल जायगा। दो लाख रुपया जबर्दस्ती लाने के लिये यह बिल नहीं लाया गया है। इसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

रेट्स के हिसाब के लिये मैं कहूँगा कि वह पर्सेन्टेज के हिसाब से निश्चित होती है, सरकार जब रेट्स लगायगी पर्सेन्टेज का ध्यान रखेगी।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि गांवों के लिये एग्ज़ेम्प्शन्स दिये जाने चाहिये। शिक्षा-प्रसार के लिये, स्वास्थ्य प्रसार के लिये, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो भी खेल होंगे चाहे वे शहरों में हों या गांवों में हों या कस्बों में हों उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एग्ज़ेम्प्शन्स लेने के लिये पहले एग्ज़ेम्प्शन लेना पड़ेगा। इस बारे में किसी को डरने की जरूरत नहीं।

ब्लेक मार्केट आदि की बातें माननीय सदस्य ने सुझाई उन पर भी विचार नियम बनाते वक्त किया जायगा। इस विषय में मैं माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा कि वे सुझाव लिखकर भेज दें ताकि उस समय उस पर विचार कर लिया जाय।

कुछ सुझाव सिनेमाओं के सुधार के बारे में आये थे। जहां तक सिनेमाओं के सुधार का प्रश्न है हम भी मानते हैं कि इसमें सुधार होने चाहिये। आज कल इस ओर प्रगति हो रही है, शिक्षा प्रद चित्र आने लगे हैं। इसके अतिरिक्त भी काफी सुधार की आवश्यकता है, मैं यह कह देना चाहता हूँ, हालांकि इस टैक्स बिल से इसका कोई संबन्ध नहीं; लेकिन मैं इसकी भावना से सहमत हूं।

श्री सम्पतराज जैन : देहातों को क्या छूट दी गई है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : (जारी रखते हुए) : मैंने आपसे निवेदन किया कि धार्मिक दृष्टि से या शिक्षाप्रद चित्रों का कहीं भी प्रदर्शन होगा, चाहे वे गांवों में हों या शहरों में, ऐसे सिनेमाओं पर टैक्स नहीं लिया जायगा; इनको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है टैक्स से, बशर्ते कि वे एग्ज़ेम्प्शन की कार्यवाही पूरी कर लें। उसके लिये पहले प्रमाण-पत्र लेना होगा।

इतने स्पष्टीकरण के बाद, मैं समझता हूं माननीय विरोधी दल के सदस्य कम से कम इस बात के लिये सहमत हो जायेंगे कि इस बिल को सर्व सम्मति से पास कर दिया जाय और सिलेक्ट कमेटी में भेजने का आग्रह न करें। मुझसे आपने इतनी अपीलें की हैं, कम से कम मेरी एक अपील पर तो आप इसको सर्व सम्मति से पास करें।

श्री भैरोसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, सदन के वयोवृद्ध वित्त मंत्री जी ने जो मुझसे अपील की मैं समझता हूं उनकी ओर से अपील का शब्द मेरे लिये कोई विशेष शोभाजनक हो, ऐसी कोई चीज

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है। लेकिन उन्होंने यह बात कही कि उनकी अपील मैं सुनता हूं इसलिये मेरी अपील भी वे सुनें और इस बिल को सर्व सम्मति से पास करें। मुझे इसमें कुछ सन्देह है और यह सन्देह माननीय वित्त मंत्री को भी है। मेरी ही नहीं इस पूरे विरोधी दल की अपील तक नहीं सुनी गई। लेकिन खैर, उनकी ओर से जिस प्रकार का सुझाव हमारे सामने आया है उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। सभापति महोदय, मैं समझता हूं मैंने जो दलील इस सदन में प्रस्तुत की थीं, उनका माननीय वित्त मन्त्रीजी की ओर से कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान की कई नगरपालिकाओं में यह टैक्स लगता था, कई नगरपालिकाओं में यह टैक्स नहीं लगता था और इस टैक्स के वसूल करने के लिये अलग अलग कानून बने हुए थे। इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था होगी कि कानूनों का एकीकरण हो जावे और सब स्थानों पर यह टैक्स लागू कर दिया जावे। मैं समझता हूँ कि सदन में इस बात का विरोध न तो मैंने किया था और नहीं इस सदन के विरोधी दल के अन्य किसी सदस्य ने किया था। यदि विरोध भी हुआ तो कोटा की ओर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने यह बात कह कर विरोध किया था कि ग्रामीण जनता को इससे मुक्त किया जावे। एक माननीय सदस्य ने कुछ और बात कह कर भी इस बिल का विरोध किया था। जोधपुर के एक सिनेमाचालक महोदय ने सिनेमा के सम्बन्ध में जो कई दिक्कतें उनके सामने आती हैं उनको दूर करवाने की माननीय मन्त्री जी से अपील की और सम्बन्धित महोदय की मुझे खुशी है कि दिक्कतों को माननीय मन्त्री जी ने महसूस भी किया और उनको दूर करने का आश्वासन भी दिया। वह एक सिनेमा की दिक्कत थी और मेरी दिक्कत हैं म्युनिसिपैलिटी........

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : अपने सिनेमा की ही नहीं, सारे राजस्थान के सिनेमाओं की दिक्कतें बताई हैं मैंने।

श्री भैरोंसिंह : चलो पकड़े गये। आपका सवाल तो ठीक है। इसके पकड़े जाने की बात नहीं है। मैंने कहा प्रश्न केवल एक है। यह टैक्स वसूल करने का अधिकार सरकार का होना चाहिये या नगरपालिकाओं का ? मैं समझता हूँ सरकार का कोई भी सदस्य उधर बैठने वाला सदस्य केवल यह बात समझ कर कि ऐसा सुझाव विरोधी दल की ओर से आया है इसलिए हमें उसका विरोध करना है केवल इस दृष्टि से विरोध करें तो बात दूसरी है, वरना स्वायत्त शासन मन्त्री यहां होते, जो नगरपालिका अजमेर के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनको नगरपालिका का प्रत्यक्ष अनुभव है, उनसे अगर राय ली जाती या मेवाड़ से आने वाले सदस्य, वह भी मैं समझता हूँ वित्त मन्त्री जी के पास जाकर दो-तीन दफा उनकी भावना को सदन में रक्खे जाने के कारण मुमकिन है उन्होंने इस विचारधारा का विरोध किया हो, पर उनके दिल में भी यह बात है कि म्युनिसिपैलिटीज़ के अधिकारों पर आघात नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूं कि वे इस बात से सहमत थे, और हैं। और बाकी के सदस्य भी चाहें इसका विरोध करें चाहें इसका समर्थन करें, किन्तु सब इस बात के समर्थक हैं कि सरकार इस टैक्स की वसूली न करे।

सभापति महोदय, मेरा एक ही प्रश्न था

(श्री भैरोंसिंह)

और इसमें जो बात साफ थी वह भी स्पष्ट रूप से कह दी वित्तमन्त्री जी ने। मैं उनकी स्पष्टवादिता की दाद देता हूं फिर चाहे वह उनके लिये नुकसान देह हो जावे। इस सारे आदन-प्रदान में म्युनिसिपैलिटीज़ से कर सरकार वसूल करेगी इस सारे सौदेबाजी में राजस्थान सरकार को दो लाख रुपया मिल जावेगा। मैं समझता हूं, मेरा तो यह शंका ही थी। पर वह शंका नहीं निकली, वास्तविक तथ्य निकला। इन दो लाख रुपयों का मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, राजस्थान की नगरपालिकाओं की स्थिति आज जिस प्रकार की है उसको देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण जनता की सेवा ठीक प्रकार से होती हो और जब सेवा ठीक प्रकार से नहीं होती तो नगरपालिका की ओर से सरकार के सामने मांग की जाती है कि सरकार हमको मदद करे। लेकिन सरकार की ओर से जो उनकी उचित मांग है, जो उनकी उचित रकम है उस पर हमला किया जाता है और यह कहकर कि हमें यह टैक्स के रूप में, आदान-प्रदान के रूप में दो लाख की वसूली करनी है। पर फिर भी सभापति महोदय, यह सोचना पड़ेगा कि आज सदन में जिस प्रकार से किसी माननीय सदस्य ने इस बात की ओर संकेत किया था कि हमें सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है और जो हमारा प्रजातन्त्र का आधार है उन आधारों को पनपाने की चेष्टा करनी है, तो या तो यह चीज हो कि नगरपालिका इसे वसूल नहीं कर सकती इसलिए सरकार वसूल करेगी। पर मैं समझता हू कि मन्त्री जी यह नहीं कह रहे हैं। वे सहर्ष स्वीकार करते हैं कि नगरपालिका को अधिकार दे दिया तो वह वसूली कर सकती है। अगर गलत है तो वे कन्ट्राडिक्ट कर दें इसी समय, ताकि मेरा भ्रम अगर हो तो वह दूर हो जाय। पर यह बात नहीं है। वह अच्छी तरह से वसूल कर सकती है। बात यह है कि सरकार हर चीज को अपने नियन्त्रण में रखना चाहती है। मैं समझता हूं कि सरकार के खर्चे, सुविधा और शासन व्यवस्था की दृष्टि से भी उचित है कि यह नगरपालिका के द्वारा ही वसूल कराया जावे और इसके आगे जो सबसे मोटा राज–रहस्य छिपा हैं उसको जान बूझ कर छिपाया है ऐसी बात भी नहीं है। वह उनकी समझ के बाहर की चीज थी इसलिये सदन में प्रकाश नहीं डाला इस पर। इसमें कम्पेन्सेशन देने का तरीका रक्खा है, पिछले तीन साल की आमदनी का एवरेज निकाला जावेगा। मैंने उस समय भी अर्ज किया था कि यह एक इन्क्रीजिंग टैक्स है, लाइबिलिटी है और म्युनिसिपेलिटीज़ के लिये इन्क्रीजिंग असेट है। ऐसी सूरत में हम कोई इस के लिये फिक्स्ड रेट कम्पेन्सेशन की तय नहीं कर सकते। पर इस कानून में व्यवस्था है। अगर यह कहा जावे कि आज इस वर्ष में कानून लागू हुआ तो पिछले तीन वर्षों का एवरेज निकाला जावेगा और २ वर्ष आवेगा तो दो वर्ष का, बीच का एवरेज निकाला जावेगा। अगर ऐसी व्यवस्था सरकार कर देगी तो भी कम होगा। इनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ेगी। तो इस वृद्धि के कारण जो टैक्स की वसूली से म्युनिसिपैलिटी की बढ़ी हुई आमदनी हो सकती थी, वह बढ़ेगी नहीं बल्कि पिछले तीन साल के ऐवरेज के कारण जो कम है, आज के मुकाबले में या भविष्य में होने वाली संख्या से कम है तो उसका एवरेज निकाला जाकर म्युनिसिपैलिटी

Page No.79

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ धोखा किया जायेगा।

माननीय वित्त मन्त्री जी को जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान की नगरपालिकाओं की हालत अच्छी नहीं है। नगरपालिका जहां भी टैक्स लगाती है वे वहाँ अपने काम को ठीक ढंग से चलावें तब तो बात ठीक है, पर सरकार की ओर से स्वीकृति मिलती नहीं। आगे चल कर नगरपालिका को अधिकार हो सकता है। सड़कों पर चलने वाले, सड़कों के लिए मोटर गाड़ियों पर इन सारे के सारे ट्रान्सपोर्ट का टैक्स है वह म्युनिसिपैलिटी को मिले, पावर हाउसेज का चार्जेज उसे मिले वाटर वर्क्स से जितना फायदा मिलना चाहिये वह उसे मिले और कोई आमदनी हो, पर उस पर न मालूम क्यों आज सरकार अधिकार करने को चेष्टा करती है। मैं पूछूंगा, क्या यह स्टेट टैक्स है ?

तो जो स्टेट टैक्स नहीं है तो उसको रखने के लिए सरकार की ओर से कोई व्यवस्था न हो, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस प्रकार का टैक्स लगाने की व्यवस्था आदि नगरपालिका की ओर से होनी चाहिये।

अब प्रश्न यह आता है कि इसकी वसूली करने से और सरकार द्वारा करने से नगरपालिका के सामने किसी प्रकार की पेचीदगी हो सकती है। मैं समझता हूं कि कइयों ने इस पर प्रकाश डाला है। कई तो विरोधी दल के हाथों में है। आज कई नगरपालिकाओं में कांग्रेस में भी एक नया विरोधी दल निर्माण हुआ है। स्वार्थमय भावना और फूट के कारण, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना के कारण कई बातें सदन के बाहर कहते हैं और उनकी प्रेरणा से जो दल बना है उसके भी दल के कई म्युनिसिपल बोर्ड हैं, उनको भी सहायता नहीं मिलती।

श्री भैरोंसिंह : अभी अभी अलवर में हुआ है। अलवर की नगरपालिका में समय की वृद्धि के प्रश्न को लेकर सारी नगरपालिका को भंग कर दिया, तीन नगरपालिकाओं में एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर दिये। अलवर की नगरपालिका में पहले के जो सदस्य थे उनमें से चार को लेकर एक एडहॉक कमेटी बना दी। यदि सरकार का दृष्टिकोण सही था, अगर नगरपालिका का काम अच्छा नहीं था, समय पर चुनाव नहीं हुए हैं; उसको अगर भंग करना आवश्यक है, तो जो व्यवहार तिजारा की नगरपालिका के साथ किया गया है, जो व्यवहार राजगढ़ नगरपालिका के साथ किया गया है, जो व्यवहार लछमनगढ़ की नगरपालिका के साथ किया गया है, उसी प्रकार का व्यवहार अलवर की नगरपालिका के साथ भी होना चहिये था। लेकिन अलवर की नगरपालिका में स्वायत शासन मंत्री के साथी हैं, जहां पहले वे स्वयम् थे। आज उस साथ को निभाने के लिए एडहाक कमेटी बनाई जाय और बाकी की नगरपालिकाओं को सुपरसीड करके वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिये जायं, यह इस बात का द्योतक है, कहा यह जाता है कि उनके साथ ज्यादती नहीं करते हैं, किन्तु वहां कांग्रेस का बहुमत नहीं हो सका इसलिए उसके साथ ज्यादती की गई। सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले यह चर्चा हुई थी ....

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Chairman.

मैं समझता हूं, माननीय सदस्य नगरपालिकाओं की वास्तविक स्थिति को बता रहे हैं

(श्री जनार्दनराय नागर) .

और जिस बात का उत्तर देने के लिए खड़े हुए हैं उससे वह प्रासंगिक नहीं है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अप्रासंगिक न होकर जो सजेक्ट मेटर है उसी पर बोलें।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, यह सब्जेक्ट मेटर है। यदि विरोधी दल की नगरपालिका हो गई तो क्या एन्टरटेनमेन्ट टैक्स सही समय पर मिल जायगा ? मैं समझता हूँ, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा तो यह आवश्यक है कि विरोधी दल की नगरपालिका को सरकार देखेगी कि यहाँ किस प्रकार के सदस्य हैं ! मैंने मावली के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री जनार्दनराय नागर : मावली में है ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका नहीं है तो ग्राम पंचायत है।

सभापति महोदय, मैं छोटा सा उदाहरण देकर बता रहा हूं और उससे सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी हो जायगी कि जहां विरोधी दल की नगरपालिका होती है तो उसका क्या हाल होता है ? जिस नगरपालिका का चुनाव दस महीने पहले होगा। १५, २० दिन में नाम गजट में आ जायं और उन व्यक्तियों को चार्ज दे दिया जाय, लेकिन झुंझुनू की नगरपालिका में बहुमत, कांग्रेस में जो विरोधी दल है उसका हो गया इस कारण से हमारे स्वायत शासन मन्त्री जी ने, जो खुद करते हैं या दूसरों के इशारों पर करते हैं, उन्होंने सभापति महोदय, प्रेस में नाम छपने को गजट के जाने थे वे नहीं निकाले। आखिर झुंझुनू की नगरपालिका ने कोशिश की, उनको सेक्रेटेरियेट से निकलवाया और प्रेस में भिजवाया, लेकिन वे डेढ़ महीने तक प्रेस में पड़े रहे और उस वक्त निकले जब इलेक्शन कमीशन में पिटीशन्स का फैसला हो गया। दो आदमियों को पृथक कर दिया स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने, फैसला कर दिया गया। अपने आदमियों का बहुमत देख कर, अपनी पार्टी का बहुमत देखकर गजट में छपने दिया। चुनाव की व्यवस्था की जा रही है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि एक विरोधी दल की नगरपालिका होती है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। या तो चुनाव होते नहीं और यदि चुनाव होते हैं तो व्यक्तियों को लेकर ऐसा व्यवहार होता है। तो मैं समझता हूँ कि जहां पैसा देने का विषय आयगा उस समय राजस्थान सरकार इस बात में कोई कर नहीं छोड़ेगी कि यह विरोधी दल की नगरपालिका है…………

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार का राजनैतिक दलबन्दी से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सुना नहीं, एक दफा और बोल दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार का राजनैतिक दलबन्दी से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार राजनैतिक दल की है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार को राजनैतिक दलबन्दी से कोई मतलब नहीं है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सरकार एक दल की है यह जरूर है लेकिन और जगह भी सरकारें हैं वे सब शासन करने के लिए बनी हैं, न कि राजनैतिक दलबन्दी के लिए ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सर्वोदय नेता के ऐसे विचार हैं । विचार हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में उनको कार्य रूप में परिणत करना कठिन है और मैं समझता हूँ वे स्वयं भी इसको महसूस करते हैं ।

तो वैसी सूरत में सभापति महोदय, यह कह कर इस चीज़ को टलाया नहीं जा सकता कि राजनैतिक दलबन्दी के कारण यदि कहीं विरोधी दल की नगरपालिका है तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ । माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि वे परिचित हैं, मैं समझता हूँ कि शायद वे अपरिचित हैं और यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा । मैं आपको एक और नगरपालिका का उदाहरण दूं कि किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है । अभी अभी माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा नगरपालिका ने विचार किया, भीलवाड़ा की जनता ने यह विचार किया कि वहां पर प्रताप जयन्ती का आयोजन किया जाय । नगरपालिका ने १५० रु० की मन्जूरी की और कह दिया कि प्रताप जयन्ती की व्यवस्था जनसंघ की पार्टी के द्वारा की जायगी । नगरपालिका ने जो व्यवस्था कर दी वह सरकार को ठीक नहीं लगी । म्युनिसिपैलिटी का प्रस्ताव पास हुआ, उसको स्वायत्त शासन विभाग में भेजा गया । प्रताप जयन्ती का दिन निकट आयगा और कई दिनों तक इन्तजार देख कर सरकार से जनता ने रिक्वेस्ट की कि १५०) की मन्जूरी भेज दी जाय । अधिकारियों को यह कहते सुना है कि १५०) रुपया जन संघ वालों के हाथ में पहुँच जायगा, यह नहीं दिया जायगा, नहीं दिया । इसलिए आप जो यह कह रहे हैं कि राजनैतिक विरोधी दलों के साथ में अन्याय नहीं होता है, वह बे बुनियाद है । राजस्थान सरकार तो इस बात में सिद्धहस्त हो गई है और यह साबित हो गया है । लेकिन मैं कहूँगा कि विरोधी दल को पनपाने की शक्ति आपकी सरकार के हाथ में नहीं है ।

अगर इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द नहीं किया गया तो सभापति महोदय, एक दिक्कत आयगी । माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने फरमाया कि सरकार को रूल्स बनाने का अधिकार दिया है । यह अधिकार आज ही नहीं दिया गया है । जब कोई कानून बनता है, चाहे छोटी बात हो या मोटी बात हो, जिनका सदन में केवल एक विश्वास के तौर पर सदन के नेता की ओर से या प्रस्तुत करने वाले मन्त्री की ओर से सदन को विश्वास दिलाया गया हो कि इस प्रकार के रूल्स बनाने का अधिकार दिया जाय तो अधिकार दिया गया । रूल्स बनेंगे भी, जो इस कानून से सम्बन्धित हों । लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि रूल्स बनाने का जो अधिकार दिया गया है उसका दुरुपयोग होता है । पंचायत एक्ट में भी इसी प्रकार अधिकार दिया गया उसका दुरुपयोग किया, लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी अधिकार दिए गये उसका दुरुपयोग किया, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में भी ऐसे अधिकार दिये गये उनका भी ऐसा दुरुपयोग किया । उससे ऐसा सबक मिलता है कि अगर सरकार को कोई ऐसे अधिकार दिये जायं तो बहुत सोच–समझ कर अधिकार देने की बात हो । इसमें तो मोटा प्रश्न आता है कि टैक्स कितना लगे ? माननीय वित्त मन्त्री

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय ने बताया और कई माननीय सदस्यों ने बताया कि टैक्स लगेगा वह दो आने पर एक पैसा, चार आने पर दो पैसा और आठ आने पर ४ पैसा; इस तरह से एक स्केल बताया। लेकिन वह स्केल राजस्थान सरकार को एक समान रूप से निर्धारित करना है और जब तक कैसा भी टैक्स, कोई भी टैक्स लगे उसके लगाने के पहले इस सदन को स्पष्ट रूप से नहीं बताये कि नगरपालिका इतना टैक्स लगाती है, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि यह बिल बिलकुल अधूरा है और इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले सरकार को चाहिये कि वह रेट बतावे कि कितने रुपयों पर किस तादाद में लगाना चाहती है। इसकी घोषणा सदन में करे और जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक मैं कहूंगा कि आप यह चाहते हैं कि ब्लेन्क पेपर पर हम दस्तखत कर दें, यह उचित नहीं है। मैं यह मान कर चलता हूं कि इस पर वित्त मन्त्रीजी ने विचार नहीं किया है। जिस तरह से अजमेर में कानून बनाये जाते थे, वहां पर थोड़े सदस्य थे, आपस में बैठ कर तय कर लेते थे, उसी तरह से राजस्थान विधान सभा में भी चेष्टा करते, आपस में बैठ कर विचार करते तब तो दूसरी बात थी। लेकिन उन्होंने देखा कि बिल सदन में पेश कर देंगे, एक दिन उस पर बहस होगी और अपने पास बहुमत है ही, उसके बल पर कानून बना लेंगे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि केवल यह कह कर कि विरोधी दल के सदस्य विरोध करने के लिये ही बात कहते हैं, इसलिये उस पर ध्यान नहीं देने की कोशिश करेंगे और सरकार समय पर यदि उसे ठीक नहीं करेगी तो उसको पछताना पड़ेगा।

इसके जो दो मुख्य अंग हैं उन पर आघात किया जाता है और यह कह कर टालना चाहते हैं कि रूल्स में इनका समावेश करेंगे। ऐसी स्थिति में मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूंगा कि वे चाहे स्वयं एन्टर्टेनमेंट के पक्ष में नहीं हों, उनके लिये आज शायद एन्टर्टेनमेंट वाजिब नहीं है लेकिन दूसरे आदमियों पर एन्टर्टेनमेंट टैक्स बढ़ाने से असर पड़ता है। मैं मानता हूं कि वित्त मन्त्रीजी की उम्र किसी भी प्रकार के एन्टर्टेमेन्ट से प्रभावित होने वाली नहीं है, लेकिन जो एन्टर्टेनमेन्ट में भाग ले सकते हैं और जो एम्यूजमेन्ट में भाग ले सकते हैं उनको केबिनेट में आप रिप्रेज़ेन्ट नहीं कर सकते, उनको शायद यह पता नहीं है कि आज नवयुवकों की किस तरह की ओपीनियन है। आपकी राय में तो आप सिनेमा को लग्ज़री समझते होंगे। जिन चीजों को आप लग्ज़री गुड्स में लेते हैं उसी तरह से सिनेमा को भी लग्ज़री में शुमार करते हैं, यह उनकी गलती नहीं है क्योंकि जिस जमाने में वे पले हैं और उन्होंने जिस जमाने में अनुभव प्राप्त किया है उस जमाने में मुमकिन है इस प्रकार की चीज को लग्ज़रियस कहा जाय, लेकिन आज समय पलट रहा है। हमें यह देखना है कि सिनेमा देखना किस हद तक लग्जरी है? अपने अनुभव के आधार पर टेक्स की सीमा निर्धारित करें तो यह उनके लिये वाजिब है। लेकिन पहले जो चीज लग्ज़री में आती थी वह आज लग्ज़री में नहीं आती। उस पर क्यों एन्टर्टेन्मेन्ट टेक्स लगाया जाय, उसकी रेट नहीं, उसकी तादाद नहीं, ऐसी स्थिति में हर तरह की अनिश्चितता का यह द्योतक है। इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिये यह सदन वैसे ही कॉम्पीटेन्ट है, आज परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यदि उन परिस्थितियों पर विचार करने के लिये

(श्री भैरोंसिंह)

सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय तो मैं समझता हूं कोई ज्यादती नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य ने महिलाओं के लिये कहा कि उनको बेकवर्ड क्लासेज में शामिल करने का कह कर अन्याय किया है। जहां तक मुझे याद है, मैंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था कि महिलाओं को बेकवर्ड क्लासेज़ में शामिल किया जाय, लेकिन इन बातों को याद दिलाने के लिए जो कि बेकवर्ड क्लासेज कमीशन ने कही हैं मैंने उनका जिक्र किया था। उक्त कमीशन ने कहा है कि महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, स्कूल और कॉलेजों में उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन महिलाओं का अधिकांश भाग आज भी अशिक्षित है, सिनेमा वगैरह से अपरिचित हैं और उसने यहां तक लिखा है, और खास करके राजस्थान के बारे में लिखा है कि वहां की अधिकांश महिलाओं ने रेलगाड़ी भी नहीं देखी है। जहां रेलगाड़ी का प्रश्न आता है वहां हम यह मानकर भी चलते हैं कि महिलाएं मिनिस्टर भी बनाई जा रही हैं इसलिये वे बेकवर्ड क्लासेज़ में नहीं हैं। यह इस प्रकार का दृष्टिकोण है जिस पर सहानुभूति से विचार नहीं किया गया है। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि इस पर विचार करना चाहिये और इसी प्रकार के विचार मैंने शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट के लिये रखे थे। उस समय भी कई सदस्यों ने यह कह कर दरगुजर करने की कोशिश की है कि यह एक प्रकार की लग्ज़री है और इसमें यदि हरिजन और शिड्यूल्ड कास्ट के लोग शामिल होते हैं तो उन पर बोझ आयेगा। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने प्रोहिबिशन के लिये यह लगा रखा है, शराब की कीमत बढ़ाने से शराब कम पी जायगी लेकिन यदि इस प्रकार की व्यवस्था सिनेमा पर चलाई गई तो जो सिनेमा देखने वाले व्यक्ति हैं वे चाहे कितना ही टैक्स दें, अवश्य जायेंगे, उनको रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार की चोट होने पर भी वे रोज देखेंगे और आर्थिक दृष्टि से उनको नुकसान होगा; यह दलील मेरे समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि यदि एन्टरटेनमेन्ट पर टैक्स लगाते हैं तो नगरपालिकाओं के बारे में स्पष्ट घोषणा करें कि उनका एक पैसा भी नहीं कटेगा। यदि उनको कम्पेन्सेशन देते हैं तो कलेक्शन का अधिकार नगरपालिकाओं के पास होना चाहिये। अकाउन्ट बुक में एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। वित्त मंत्री जी उस पर अपनी मुहर लगाना चाहें या उस पर अपने दस्तखत करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनको यह अधिकार होना चाहिये कि नगरपालिका ही वसूल करें और नगरपालिका के काम में ही खर्च करें और बुकएडजस्टमेन्ट का नक्शा वित्त मंत्री जी के सामने रखना हो तो रख दें। जरूर नगरपालिका वालों को मुहर लगाने के लिये जयपुर आना पड़ेगा लेकिन उनका किराया वसूल कर लिया जायगा। इस टैक्स में से सरकार यदि कुछ भी लेना चाहेगी तो यह अनुचित चीज होगी। इन तथ्यों को सामने रख कर मैंने सदस्यों से अपील की है कि यह सदन इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दे। मैंने पिछली बार कहा था और अब भी कहता हूं कि यदि ५ बजे विचार करना हो तो वित्त मंत्रीजी सदस्यों को बुला लें, इस पर विचार करके निर्णय लिया जा सकता है और यदि कल चाहें तो कल किया जा सकता है। इसके पीछे यह दृष्टिकोण नहीं है कि सदन का समय लिया जाय या इसमें

Page No.84

(श्री भैरोंसिंह)

देरी की जाय। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अभी हाउस को एडजोर्न किया जाय और एक-दो घंटे तक एक टेबल के सामने बैठ कर वित्त मंत्रीजी या तो हमें कन्विन्स कर दें कि नगरपालिका के कोष पर किसी प्रकार का आघात नहीं होगा; तो हम एक प्रकार का एडजस्टमेन्ट कर सकते हैं। आज यह देख कर कि बहुमत हमारे पीछे है इसलिये प्रस्ताव को ठुकराना है और नगरपालिका के अधिकारों पर अनुचित हस्तक्षेप करना है, उनकी आमदनी को सरकार की आमदनी करना है तो इसका कलंक राजस्थान सरकार पर नहीं लगेगा, लेकिन वित्त मंत्री जी पर अवश्य लगेगा। यह इस प्रकार का कलंक है जिससे राजस्थान की सारी नगरपालिकाएं प्रभावित होती हैं। इसलिये मैं दुबारा निवेदन करूंगा कि इस कानून को पास करने का सौभाग्य मिला है; मैं सौभाग्य नहीं कहता, राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य ही है कि राजस्थान के वित्त मंत्री जी....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किसी भी वित्त मंत्री को, चाहे वह इधर का हो या उधर का, यह तो करना ही पड़ता है, भाई।

श्री भैरोंसिंह : यही तो दुर्भाग्य है। इस सूरत में दुर्भाग्य के कारण को वे अपना गौरव मानते हैं; तो यह और भी दुर्भाग्य है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कर्त्तव्य है, गौरव नहीं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) यह कर्त्तव्य भी दुर्भाग्य का कारण है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की जो कार्यवाही हो रही है उससे कम से कम वित्त मंत्रीजी तो बचें। वे एन्टर्टेनमेन्ट के मामले पर टेक्स लगा रहे हैं वह नगरपालिका का अधिकार है, यह मान कर चलें और उसे सुरक्षित करने के लिये इन कोर्पोरेट करें जिससे नगरपालिका की आमदनी उसी रूप से चलती रहे जैसी कि पहले चल रही थी और आगे के लिये भी व्यवस्था करें। वित्त मंत्रीजी इस पर गौर करेंगे, आज शाम तक का प्रश्न है। कल सुबह या सोमवार को जब हाउस मीट करे उस दिन कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में कानून बनाने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित रूप से वह अधूरा कानून होगा; नगरपालिका और सरकार के बीच में संघर्ष होगा और डिसइन्ट्रेस्टेड पर्सन्स आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। वित्त मंत्रीजी को दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति से निकालने के लिये इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें ताकि इस कानून को सही रूप में बनाया जाय और इस दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति से वित्त मंत्री जी को बचाया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि भैरोंसिंह जी ने जो प्रस्ताव किया है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय वह स्वीकृत हो।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता। क्या आप डिवीजन चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह : आप देख लीजिये, हम कितने बैठे हैं और उधर कितने बैठे हैं।

श्री सभापति : आप जानते हैं, जो उधर बैठे हैं उनके पीछे कितने हैं। वित्त

Page No.85

(श्री सभापति)

मन्त्रीजी बोल रहे हैं, उनके पीछे कितने बैठे हैं ?

आप डिवीजन चाहते हैं ?

(विभाजन घन्टी के पश्चात्)

Ordr please ! प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंहजी ने राजस्थान एन्टर्टेनमेंट (टैक्स) बिल, १९५७ को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव किया है, वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

बिल विचारार्थ लिया जाता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूँ इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभापति : बिल विचारार्थ लिया जाय, पारित उसके बाद में होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल को (खण्डशः) विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : क्लॉजेज़ २ से १३।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉ- जेज़ २,३,४,-५,६,७,८,९,१०,११,१२ व १३ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड २ से १३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १४, श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय : खण्ड १४ में मेरा संशोधन है, खण्ड १४ है : "Payment of subsidies to local authorities by way of compensation........."

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय चेयरमेन, यह संशोधन सर्कुलेट नहीं हुआ है, हमारे पास नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : संशोधन सर्कुलेट होते हैं, लेकिन आप पढ़ते नहीं; यह बद-किस्मती है।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए सूचित कर दूं कि यह अमेन्डमेन्ट २२ तारीख को सर्कुलेट हो गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आ गया है सबके पास।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय चेयरमेन, सबसे पहले मैं मूल क्लॉज़ को पढ़ कर सुना दूं :

"From the proceeds of the tax collected under this Act every year, there shall be paid to each local authority which was in receipt of an income from a tax levied by it in respect of admission to entertainment under any enactment amended by section 2 during

(श्री दयाकृष्ण विजय)

any part of the three years preceding the commencement of that Section, a sum equivalent to the average net annual income derived by such local authority during these three years from the tax so levied."

मेरा संशोधन इसमें इस प्रकार है :

"All the proceeds of the tax collected under this Act every year, shall be paid to each local authority, which was in receipt of an income from the tax levied by it in respect of admission to an entertainment."

श्री भैरोंसिंह : यहां जोर जोर से बात कर रहे हैं। माननीय मन्त्रियों को यह आदेश दिया जाय कि जोर से बात न करें।

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं कि सदन की कार्यवाही जब चल रही हो उस वक्त यदि बात करने की आवश्यकता हो तो इतनी जोर से बात न करें कि सदन की कार्यवाही में विघ्न पड़े।

श्री दयाकृष्ण विजय : (जारी) माननीय सभापति, जैसा कि माननीय वित मन्त्री ने कहा कि इस बिल को यहां रखने का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि नगरपालिकाओं का पैसा हड़पना चाहते हों और बाद में उन्होंने कहा कि हम दो लाख रुपया लेना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान के अन्दर कुछ नगरपालिकाओं के द्वारा मनोरंजन कर लिया जाता है और आज भी लेते हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जहां मनोरंजन-कर की जरूरत भी नहीं पड़ी। उदाहरण स्वरूप कोटा की ओर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने रखा था कि आज गांवों के अन्दर ऐसा कर नहीं लगाया जाता. लेकिन जब राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत मनोरंजन कर पारित करते हैं तो यह निर्विवाद रूप में गांवों के ऊपर लगता है जब कि पहले यह कर केवल कुछ क्षेत्रों में था जहां नगरपालिकायें थी, उसका क्षेत्र सीमित था। लेकिन अब इनका असर उन मनोरंजन के साधनों पर पड़ेगा जो नगरपालिका के क्षेत्र में होंगे। वे मनोरंजन के साधन, चाहे वे मूविंग हों या स्थिर हों, सब पर इसका असर पड़ेगा। पहले जब मनोरंजन के साधन, सिनेमा आदि गांवों में जाते थे तो उन्हें पंचायतें आमन्त्रित करती थीं। तो कभी वे टैक्स ले लेती थीं और अगर नगरपालिका के क्षेत्र में नहीं होते थे तो उन पर टैक्स नहीं लगाना पड़ता था। लेकिन आगे से यह अनिवार्य रूप से टैक्स हो गया है और जिससे जनता को एक भारी परेशानी, जैसी कि पहले टैक्स लगने के वक्त हुई थी, उठानी पड़ेगी। अब इसका सम्बन्ध केवल नगरपालिका से ही नहीं है, सबसे सीधा सम्बन्ध है। जितने भी साधन हैं मनोरंजन के, उन पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट कहती है कि नगरपालिकायें हमारे प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी हैं, ग्राम पंचायतें हमारे प्रजातन्त्र को मजबूत करने वाली चीज हैं। जब हमारी नगरपालिकाओं को, ग्राम पंचायतों को, स्थानीय निगमों को हम मजबूत बनाना चाहते हैं, तब जो इस प्रकार का कर केवल नगरपालिकाओं की सीमाओं में लगने वाला कर है, उनके अधिकार क्षेत्र का कर है, उनको अपने हाथ में लेकर अपने द्वारा नियंत्रण-करके, उनके जो आर्थिक साधन हैं उनको सर्वथा छीन लेना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर देना चाहते

Page No.87

(श्री दयाकृष्ण विजय)

हैं। यह सबसे बड़ी चीज इस बिल में विरोध करने की है। क्लॉज १४ में दिया है कि गुजरे तीन सालों का, जब से कि कानून लागू हुआ है, एवरेज निकाल लिया जायगा और वह एवरेज आयन्दा पंचायतों में इस प्रकार दिया जायगा :

"equivalent to the average net annual income derived by such local authority during these three years from the tax so levied."

तो "थ्री ईयर्स" के एवरेज के मुताबिक दिया जायगा, पर जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया यह टैक्स बराबर बढ़ने वाला है, एक तरह से स्थिर नहीं है, हर तरह की प्रदर्शनियां एग्जीबीशन्स होने वाली हैं, न मालूम कितनी हो जायं, यह हम नहीं कह सकते। तो यह तो बराबर बढ़ने वाला टैक्स है। पर नगरपालिकाओं के क्षेत्र के अन्दर अपनी मेहनत से जो पैसा वे एकत्रित करती हैं और राज्य सरकार को देती हैं, उनके इस अधिकार को छीन लें, यह न्यायसंगत नहीं होगा। आज नगरपालिकाओं से या जनता से इसके बारे में मत लिया जाय तो नगरपालिकाएं कभी इस प्रकार का समर्थन नहीं करेंगी, वे तो पहले से ही पैसे के लिए तरसती हैं और पैसे के लिए सरकार से प्रार्थनाएं किया करती हैं। आज नगरपालिकाओं को अपने अपने क्षेत्र में पानी, बिजली, सफाई और सड़कों आदि के प्रबन्ध के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है पहले बजट के वक्त में श्रीमन् राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में इस पर काफी विचार हो चुका है कि कस्बों में पानी, रोशनी सड़कों, बिजली, सफाई आदि का प्रबन्ध नहीं है; कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं सड़कें हैं ही नहीं, कहीं पानी का प्रबन्ध नहीं है, कहीं रोशनी का इन्तजाम नहीं है, कहीं वाटर वर्क्स बनाना है तो कहीं पावर हाउस बनाना है। इस प्रकार की नगरपालिकाओं को आवश्यकताएं हैं और वे यह सब करने के लिये अपने साधनों के श्रोतों की अपेक्षा करती हैं। उनके इस श्रोत को सरकार द्वारा छीन लेना कहाँ तक उचित होगा? आज हमें आवश्यकता है कि हमारे प्रान्त की उन्नति के लिये हमारे प्रान्त की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो नये-नये साधन-श्रोत हैं उनकी खोज करें, पर हम आज उन नये साधन-श्रोतों की खोज के स्थान पर जो साधन-श्रोत नगरपालिकाओं के पास और ग्राम पंचायतों के पास हैं उन्हीं को छीन कर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आज कस्बों में सड़कों का प्रबन्ध नहीं है, बिजली का प्रबन्ध नहीं है, कहीं सड़कों पर रात-रात भर अंधेरा रहता है, कहीं पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। इन सब आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये। बहिनें पानी के लिये घंटों भांडे लिये बैठी रहती हैं, पानी का इन्तजाम नहीं, यह सब इन्तजाम कस्बों में नगरपालिकाओं को करना है। ऐसी सूरत में नगरपालिकाओं को और पंचायतो को इस प्रकार का कर वसूल करने का अधिकार है जिसे छीने नहीं। उनके क्षेत्र में इस प्रकार का कर वसूल करने का उनका अधिकार जो है उसमें हम हस्तक्षेप न करें।

मेरा संशोधन है कि इस प्रकार का जो कर नगरपालिकाओं और पंचायतों के क्षेत्र में आता है वह सारा का सारा उन्हीं को दिया जाय। कई सदस्यों ने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है, उधर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने भी समर्थन किया है; अगर नाम चाहें तो नाम बता सकता हूं। उन्होंने, उनमें

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से कइयों ने तो इस बात का अच्छी तरह से साफ तौर से समर्थन किया है कि जितने मनोरंजन के टैक्स नगरपालिकाओं के क्षेत्र में वसूल किये जाते हैं वे उन नगरपालिकाओं को ही दे देने चाहिये। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इसे जरूर स्वीकार करेंगे। जैसा कि मेरे एक मित्र ने उनके सम्बन्ध में सर्वोदय की भावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि वे यह चाहते हैं कि शासन को ऊपर से न थोपें, तो इतने उदार हृदय वाले व्यक्ति इस प्रकार का कठोर-कानून, जिससे ग्राम पंचायतों की कमर टूट जायगी और नगरपालिकाएं कमजोर हो जायंगी, इस प्रकार का कठोर कानून पास नहीं करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री रामकरण सिंह (कोट पुतली) :—माननीय सदस्य ने क्लॉज १४ पर जो अमेंडमेंट पेश किया है, माननीय चेअरमैन महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान उसके सम्बन्ध में उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह अमेंडमेंट रखा गया है उसका केवल विरोधी दल वालों ने ही नहीं उधर बैठे हुए कई माननीय सदस्यों ने भी समर्थन किया है और दल के रूप में इकट्ठे होकर आते हैं तो उनके विचार दब जाते हैं। इसके सम्बन्ध में हर एक की व्यक्तिगत राय ली जाय तो वे सब चाहेंगे कि लोकल बॉडीज के अधिकार जो इस प्रकार छीने जाते हैं, वह नहीं छीने जायं बल्कि लोकल बॉडीज को और अधिकार दिये जायं। इसके अतिरिक्त, भली प्रकार विदित होगा कि सुबह से इस पर विचार हो रहा है, पर शायद ही कोई माननीय सदस्य ऐसा होगा जिसने कि इसका विरोध किया हो, सब चाहते हैं कि लोकल बॉडीज को अधिकार दिये जायं, इसलिये कि लोकल बॉडीज हर तरह से निगाह रखते हुए भली प्रकार इस तरह के कर को वसूल कर सकती है और अगर इसे राजस्थान सरकार को दिया गया तो राजस्थान सरकार न तो इसे अच्छी तरह से वसूल ही कर सकेगी, उल्टे इसे वसूल करने के लिये नई मशीनरी लगानी पड़ेगी और उस मशीनरी पर व्यर्थ में खर्चा बढ़ेगा और साथ ही भ्रष्टाचार भी फैलेगा। इसलिये सरकार को चाहिए कि इसके बारे में पूरी तरह से सोच-समझकर, विचार करके, जो इस पर अमेंडमेंट आया है, उसे स्वीकार करे।

कोटपुतली म्युनिसिपैलिटी का इसी प्रकार का ढंग है। इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं......

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) :—माननीय सदस्य इसका समर्थन करते हैं या कोट पुतली म्युनिसिपलिटी की बात रखते हैं?

श्री रामकरण सिंह : (जारी) पक्षपात होता है, इसके आधार पर यही अर्ज करना चाहता था। इसके लिये इजाजत नहीं देते हैं तो दूसरी चीज कह दूंगा।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जैसे लोकल बॉडीज को सरकार की ओर से ग्रान्ट इन एड दी जाती है, इनके लिये सरकार रुपया सेंक्शन करती है और इधर यह जो कर वसूल करने का उनका अधिकार है वह अधिकार अपने हाथ में लेकर सब रुपया आप लेना चाहती है, तो यह तो सीधे रास्ते से आने वाली चीज को चुनना नहीं हुआ यह तो उसी प्रकार हुआ कि एक आदमी को आप एक रोटी देना चाहते हैं, उससे आप दो रोटी लें और उसमें से एक रोटी वापिस दे दें, इससे तो अच्छा है कि डाइरेक्टली जो कु

Page No.89

(श्री रामकरणसिंह)

तत्काल फायदा पहुंचा सकें वह पहुंचायें, इस तरह के इन्डाइरेक्ट वे में कोपरेशन में पड़ना, वर्किंग सिस्टम का ऐसा ढंग बनाना कि कागजी कार्यवाही के लिये डिले होती रहे, यह कोई उचित तरीका नहीं है। इसलिये वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि यह कर डाइरेक्ट लेने की सरकार जो कोशिश कर रही है उसे न करके लोकल बोडीज़ के हाथ में ही ये अधिकार रहने दें ताकि लोकल बोडीज अपने-अपने क्षेत्र में सड़क, सफाई, पानी, बिजली आदि का प्रबन्ध कर सकें, कन्स्ट्रक्टिव वर्क कर सकें।

इसलिये दुबारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोकल बोडीज को जो एड दी जाती है वह न दी जाकर इस तरह के अधिकार दे दिये जायं कि वे टेक्सेज वसूल करें। गवर्नमेंट को ज्यादा झंझट न हो, इसलिये मैं कहना चाहता था कि ये अधिकार लोकल बोडीज को दे दिये जायं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, जिस समय इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव पर इस सदन द्वारा विचार किया जा रहा था, उस समय इस पहलू पर मैंने विस्तृत रूप से कुछ बातें सदन के सामने प्रस्तुत नहीं की थी। उसका कारण यह था कि मैं यह मान कर चल रहा था कि मेरे प्रस्ताव का विरोध किया जावेगा और प्रवर समिति के सुपुर्द यह बिल नहीं किया जावेगा और ऐसी सूरत में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक संशोधन प्रस्तुत किया है उस पर सदन को विचार करने का अवसर मिलेगा। माननीय सभापति, वह संशोधन इस समय सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। प्रश्न यह है कि यह आमदनी सीधी नगरपालिका को मिलनी चाहिये या सरकार का उसमें हस्तक्षेप होना चाहिये। इस सदन में इस विषय पर पहले भी सदन के कई माननीय सदस्यों ने सहानुभूति प्रकट की थी कि यह सब नगरपालिका के द्वारा होना चाहिये। उस समय माननीय वित्त मन्त्री जी यह कह कर आगे निकल गये कि यदि विरोधी दल की ओर से कोई वाजिब सुझाव आयेगा तो उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होगा। सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि उस समय उनका यह आश्वासन राम बाण की तरह से काम कर गया। सदन के कई सदस्य उनके इस आश्वासन से प्रभावित होकर इस बात की आशा लगाये बैठे थे कि आगे चल कर चाहे उनका यह आश्वासन झूठा सिद्ध हो जाए, चाहे वित्त मन्त्री जी अपने दिये गये आश्वासन पर कार्य नहीं करें, मगर १५ मिनिट पहले जो आश्वासन दिया उसके प्रतिकूल कोइ कार्य नहीं करेंगे। आश्वासन इस बात का था जैसा कि अभी आपने बताया कि विरोधी दल की ओर से कोई वाजिब सुझाव आएंगे तो सरकार निःसंकोच उनको स्वीकार करने में नहीं डरेगी। मैं समझता हूं कि वह वाजिब सुझाव था। वे खुद इस बात को स्वीकार करेंगे। जब जब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं तो वे सिर हिला कर अनुमति प्रदान करते हैं और माननीय सभापति महोदय, हमको उनसे प्रेरणा मिलती है कि जो बात हम कह रहे हैं वह वाजिब है और आगे........

श्री हरिभाऊ : वाजिब से प्रश्न को अलग रख दें तो आपकी शैली भी अच्छी हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यह कह कर नहीं टाल देना चाहिये कि केवल दो लाख रुपयों का प्रश्न है। सरकार यह रकम नगरपालिका की जो आमदनी है उसमें से लेना चाहती है। मैं यह चाहता हूँ कि सरकार और किसी प्रकार के टैक्स लगा दे, मगर म्युनिसिपलिटी की आमदनी में से कुछ न ले। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको दूसरे प्रकार के टैक्स और भी लगाने पड़ेंगे। यदि आपको किसी प्रकार से व्यवस्था करनी है और पैसा लेना है तो मैं आपको दूसरा उपाय बताऊंगा; लेकिन आप किसी तरह से नगरपालिका के जो अधिकार हैं उन पर हस्तक्षेप न करें और नगरपालिका की सारी अर्थ व्यवस्था को खराब न करें और जो नगरपालिका की आमदनी का एक आधार है उस पर आघात न करें। यदि वे यह चाहते हैं कि बजट में किसी प्रकार से, एन्टर्टेनमेंट के नाम से रकम की व्यवस्था की है तो आपको इसके पूरा करने के लिये दूसरा उपाय बताता हूं कि इस आमदनी की पूर्ति दूसरे प्रकार से की जा सकती है। इसका सबसे बड़ा इलाज यह होगा कि राजस्थान के पंचायत विभाग और डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के विभाग को एक कर दिया जावे और इसके अन्तर्गत जो खर्चा होता है वह कम कर दिया जावे। मैं समझता हूं कि इसकी कमी को, इस प्रकार के खर्चे को कभी का रोक दिया जाना चाहिए था मगर अभी तक नहीं रोका गया है, इसको अब रोकने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार बराबर यह कह कर कि इस पर निकट भविष्य में निर्णय लेगी, कभी यह कह कर कि भारत सरकार से परामर्श लिया जा रहा है हमेशा टालती रही है। जो वाजिब काम है उनको करना चाहिये मगर वे नहीं होते और मैं समझता हूँ कि इस सदन में किसी भी माननीय सदस्य ने इस बात का विरोध नहीं किया होगा कि पंचायत विभाग और लोकल बॉडीज को एक नहीं करना चाहिये। लेकिन बावजूद इसके कि इसका सदन में कोई विरोध नहीं, फिर भी सरकार इसको करने के लिए तैयार नहीं। इस खर्चे को पूरा करने के लिए नगरपालिका के जो अधिकार हैं उनको छीनना चाहती है और उनको छीनने की कोशिश की जा रही है। माननीय सभापति, मैं आपके मारफत माननीय वित्त मंत्री को सलाह के तौर पर बता दूं कि नगरपालिका इसका कभी भी स्वागत नहीं करेगी, मगर विरोध करेगी और जिस तरह से आपने सेल्स टैक्स के द्वारा राजस्थान की पब्लिक से पैसा लेने की व्यवस्था की है उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं कि यहां पूर्ण हड़ताल है और आपको (इस सदन में) आने के दर्वाजे बन्द करने पड़े। आप उन दरवाजों से आ नहीं सकते और आपको दूसरे रास्तों से आना पड़ा। राजस्थान के मन्त्रियों की हिम्मत नहीं कि वे पब्लिक के सामने जाकर उनसे कुछ कहते। राजस्थान की भाषा में जिसको चोर गली कहते हैं उसमें से होकर आप आते हैं। यह सब हमारे लिए शोभा की बात नहीं। इसके लिये हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा और जब हम इसके मूल में जावेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो टैक्स हम लगाने की व्यवस्था करते हैं वह मूलतः सिद्धान्तों पर नहीं होता क्योंकि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि नगरपालिकाओं की हालत खराब है और दूसरी तरफ आप यह कहते हैं कि नगरपालिका टैक्स का पैसा भी न लें, वह पैसा भी सरकार ले ले जो कि म्युनिसिपलिटी का अधिकार है। यदि सरकार की जगह कोई व्यक्ति होता तो मैं यह समझ सकता था कि

(श्री भैरोंसिंह)

वह अपना खजाना भरने के लिए ऐसा करता है मगर यहां कोई व्यक्ति तो है नहीं। जन-तन्त्र में सरकार की यह नीति उचित नहीं।

माननीय सभापति, मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री की यह इच्छा है कि इस कर पर म्युनिसिपलिटी का ही अधिकार होना चाहिए और उसका उपभोग भी उन्हीं को करना चाहिए। अगर उनको यह भय है कि अगर वे ऐसा करेंगे तो अजमेर की पब्लिक उनका स्वागत नहीं करेगी। राजस्थान की पब्लिक उनका स्वागत करनेवाली नहीं, लेकिन उसके विरोध में लाजमी तौर से संघर्षमय स्थिति बनाएगी। नगरपालिका ने जो मांग की है, वाटरवर्क्स, पॉवर हाउस, जमीन को बेचने की व छोटे-मोटे कुटीर उद्योग चलाने की पावर उनको दी जावे ताकि म्युनिसिपलिटी अपने आपको सेल्फ सपोर्टिंग बना सके। लेकिन मैं समझता हूं कि उनको ये अधिकार नहीं दिये जाते, जो अधिकार हैं उनको भी दबाया जाता है। अगर नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना है तो कल ही मैंने एक किताब में पढा था, नगरपालिकाओं के लिए फ्रांस की म्युनिसिपलिटीज़ के बारे में। उसमें लिखा है कि वहां पर कोई ऐसी नगरपालिका नहीं जो सेल्फ सपोर्टिंग नहीं हो। वहां पर जितना भी ट्रान्सपोर्ट का सिस्टम है वह किसी व्यक्ति को परमिट के रूप में नहीं दिया जाता। उसकी जितनी भी आमदनी आती है नगर-पालिका की होती हैं और परमिट किसी एक व्यक्ति को न दिया जाकर म्युनिसिपलिटीज़ को दिया जाता है। जितना कोऑपरेटिव सोसाइ-टीज़ के नाम पर काम होता है वह सब म्युनिसिपलिटीज़ द्वारा होता है। लेकिन हमारे यहां यह बात नहीं है। वित्त मन्त्री के पास यह नगरपालिका का विभाग नहीं है और इस कारण से मैं समझता हूँ कि उनको कोई अनुभव ही नहीं है कि उनकी स्थिति किस प्रकार की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज भी तमाम म्युनिसिपलिटीज़ को सरकार सब-सिडी देती है और अगर नहीं दे तो सारी नगरपालिकाओं का काम ठप्प हो जाए। उसका कारण मैंने यह अनुभव किया कि परेशान करने की गर्ज से जो सबसिडी मिलती है वह समय पर नहीं मिलती है और समय पर सब-सिडी न मिलने पर इसका असर यह होता है कि नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती और इस कारण से नगर के कर्मचारी प्रदर्शन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं और उसके द्वारा नगर-पालिकायें जिन व्यक्तियों के द्वारा चलती है उनको बदनाम किया जाता है। तो यह बदनाम कराने का जो जरिया है वह हमारी सरकार के हाथ में रहेगा।

आज ऐसा भी हो सकता है कि जयपुर में नगरपालिका के पास पैसा नहीं है और वह यह क्लेम करती है कि राजस्थान सरकार पर हमारा पैसा बकाया है और दूसरी ओर राजस्थान की सरकार भी क्लेम करती है कि नगरपालिका पर उसका पैसा बकाया है। तो इस तरह से एक दूसरे की आमदनी के लिए दोनों को संकोच है। अभी तक दोनों यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि किसका बकाया किस के ऊपर है। इसी प्रश्न को लेकर पिछले कुछ दिनों से जयपुर की जैसी दुर्दशा हो रही है वैसी मैं समझता हूं कि राजस्थान के किसी और नगर की नहीं होगी। आप किसी जगह चले जाइये, किसी गली में चले

(श्री भैरोंसिंह)

जाइये, किसी सड़क पर चले जाइये, किसी मकान में चले जाइये, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोई गरीब आदमी वहां भले ही रह रहा होगा और अगर हमारे सर्वोच्च नेताओं को वहां ले जाया जाय तो उनको तो वहां छींक आयेगी। तो मैं तो कहे बिना नहीं रहूंगा कि राजस्थान की राजधानी की जनता एक प्रकार के नर्क में रह रही है और उसको फिर वैसे ही बनाये रखने की सरकार तजबीज़ करे, बड़ी मजे की बात है। सभापति महोदय, जरा समझने की बात है, विचार करने का प्रश्न है कि जयपुर की नगरपालिका को आज यह कहा जाय कि जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स अब तक वह वसूल करती थी वह अब नहीं करेगी बल्कि उसमें से कुछ कटौती की जायेगी। तो मैं आज भी मानता हूं कि जयपुर की नगरपालिका की स्थिति ठीक नहीं है, उसको सहायता देने की आवश्यकता है। सहायता देने की जगह आप उसकी आमदनी में कटौती करें तो नगरपालिका आज नर्क के अन्दर चली जायेगी। हमारे मंत्रियों के कमरों के अन्दर बिजली के पंखे लगे रहें, अच्छा पानी मिलता रहे और दूसरी ओर राजस्थान की राजधानी में सात बजे बाद खारा पानी आता है और रात को आठ बजे बाद फिर मीठा पानी आयेगा। मीठे पानी पीने की आवश्यकता हमारे मन्त्री महोदयों को है और गरीबों को पिलाने के लिए मीठा पानी नहीं है, सड़कें साफ करवाने की आवश्यकता नहीं है, गलियां साफ करवाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि जो शहर पहले से ही नर्क-कुण्ड हैं उनको वैसे ही रहने दिया जाता है। सरकार कहती है कि हमारा बकाया नगरपालिका पर है, इस बकाया का फैसला ही नहीं होता है। बल्कि नगरपालिका, जिसको एन्टर्टेमेन्ट से आमदनी होने वाली है, उस पर भी आघात किया जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं आपको पहले कह दूं कि अजमेर की नगरपालिका की हालत भी आज बहुत खराब है। अजमेर के लोग कह रहे थे कि जिस समय मत देने की बात आई तो हमारे प्रतिनिधियों ने कहा कि निश्चित रूप से अजमेर की नगरपालिका को सहायता दिलायेंगे। लेकिन अजमेर की शुरू से ही बदकिस्मती है, न मालूम ऐसा क्यों है? अजमेर के प्रतिनिधि, वित्त मन्त्री, की ओर से अजमेर की जनता के ऊपर सेल्स टैक्स लागू किया गया। मैं समझता हूँ कि लोग तैयार तो जरूर हुए हैं और क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि जो कल सेल्स टैक्स का एक्ट पास हुआ है, अजमेर की जनता अपने प्रतिनिधि को बताने वाली है लेकिन जब तक वह इनको नतीजा न बता दे मैं उसकी पहले ही सूचना दूंगा कि मेरी उनके प्रति हमदर्दी है इसलिए मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि यह टैक्स जो नगरपालिका वसूल करने का हक रखती है वह टैक्स सरकार के खजाने में रखवाया तो केवल अजमेर की ही नगरपालिका नहीं बल्कि जयपुर की नगरपालिका भी आपके काम में मुश्किलात पैदा करेगी। इसलिए मैं कहूँगा कि आपका काम निष्कंटक होकर चलता रहे, ऐसी सूरत में यह आवश्यक होता है कि इस प्रकार के व्यक्तियों को लोकप्रिय होने की आवश्यकता है कि जो यह कह कर कि मैं सरकार का वित्तमन्त्री हूं, कानून बनाने का मेरा कर्तव्य है और टैक्स लगाने का भी मेरा कर्तव्य है और इसलिए मैं टैक्स लगाता हूँ, मैं समझता हूं कि आपका यह कर्तव्य जरूर है लेकिन यह भी आपको देखना होगा कि लोगों के खजानों में कितना पैसा है, दूसरों का खजाना किस प्रकार से सुरक्षित है, इस प्रकार का

(श्री भैरोंसिंह)

ज्ञान होना आवश्यक है ? केपेसिटी लोगों की क्या है, इस बात का भी परिणाम निकालो और उसके बाद में देखो कि किस प्रकार की परिस्थिति चल रही है ? मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से आज जयपुर की जनता तकलीफ उठा रही है और उनको सुबह से शाम तक खारा पानी मिलता है उसी तरह से हमारे वित्त मन्त्रीजी घोषणा कर दें कि यदि जयपुर के नगर में पानी मिलता है तो हमारे मन्त्री महोदय भी खारा पानी पीयेंगे। अगर इस प्रकार की घोषणा करेंगे तो मुझे संतोष होगा। अगर ये बातें आज होती हैं तो मैं व्यवस्था में कमी मानता हूँ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, खारी पानी कई किस्म का होता है; शायद माननीय सदस्य उस पानी के आदी हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह दूसरी किस्म का पानी तो आपको मिलता है।

तो मैं सभापति, यह निवेदन कर रहा था कि खारा पानी का प्रश्न नहीं है और काले पानी का भी प्रश्न नहीं है और दूसरे प्रकार के पानी का भी प्रश्न नहीं है। यह पानी केवल वह है जो हमेशा हम पीते हैं और उस पानी के मिलने के अन्दर यदि कोई असुविधा है तो उस असुविधा को दूर करना चाहिये, लेकिन वह दूर नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं जिस जगह रहता हूं, जयपुर में, वहां एक दिन काफी आदमी एकट्ठे होकर मेरे पास आए और उन्होंने यह कहा कि सबसे पहले यह चाहिए कि जनता के जितने भी प्रतिनिधि हैं वे सारे के सारे जितने भी खारे पानी की नल हैं उन सब को बन्द करायें। तो खारे पानी के नल बन्द कराने के बाद में प्रश्न यह आता है कि पानी की व्यवस्था कैसे होगी ? तो इसका उपाय उन्होंने बताया कि 'सी' स्कीम के जितने भी बंगले हैं, जहां पीने के काम में मीठा पानी आता है, धुलाई में मीठा पानी काम में लिया जाता है, सिंचाई में मीठा पानी काम में आता है, इस पानी को बन्द किया जाय और जनता को जो खारा पानी दिया जाता है उसको मीठा पानी दिया जाय। जयपुर की जनता चिल्ला कर रह गई और अब कुछ परिस्थिति ऐसी बन रही है कि आज जुलूस निकले, प्रदर्शन हुए और यहां का जलेबी चौक का दरवाजा बन्द हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में ही नहीं जयपुर में भी अपने इतिहास में कभी दरवाजे बन्द नहीं हुए हैं। जब दरवाजे बन्द करते हैं तो किसी की मौत होती है या सरकार के ऊपर आपत्ति आती है ! लेकिन हमारी सरकार तो मौत से भी परे है। मामूली सी बात के ऊपर दरवाजे बन्द हो जाते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसके अन्दर जिन्दगी और मौत का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हम मनोरंजन कर पर डिस्कस कर रहे हैं, न कि नगरपालिका की अवव्यवस्था पर।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको यह सूचना दे रहा हूँ कि आप जो कानून बना रहे हैं उसके द्वारा जो नगरपालिकाओं की आमदनी है वह भी सरकार की होगी और चूंकि यह आमदनी सरकार की होगी इसलिए नगर-पालिकाओं के हाथ बन्द हो जायेंगे और

Page No.94

(श्री भैरोंसिंह)

उसके बन्द होने के कारण जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान की सभी नगरपालिकाओं के सामने परिस्थिति पैदा होगी और इसी तरह के प्रदर्शन होंगे और दरवाजे भी बन्द होंगे। इसलिए मैंने यह बात कही थी कि जिस समय मौत होती थी तो दरवाजे बन्द होते थे। लेकिन आज तो सभापति महोदय, जिन्दगी और मौत के प्रश्न पर कहूँ कि जिन्दे ही मरे हैं तो सभापति महोदय कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमें यह सोचना चाहिए कि इस तरह की परिस्थिति में नगरपालिकाओं की यह आमदनी यदि सरकार के हाथ चली जाती है तो उन नगरपालिकाओं की हालत क्या होगी? मैंने अपने पिछले भाषण पर सदन का ध्यान इस बात पर दिलाया था कि राजस्थान सरकार राजनैतिक दल की सरकार है, राजस्थान में विरोधी दल हैं, कांग्रेस में भी विरोधी दल हैं तो जहां विरोधीदलों के साथ उसी प्रकार से व्यवहार किया जायगा, जिस तरह से अपने आदमियों के साथ किया जाता है। जिला सीकर में दांतारामगढ़ की एक दांतारामगढ़ नगरपालिका है। इसके चैयरमेन महोदय, ने वहां की गरीब जनता का करीब चार–छः लाख रुपया हजम कर लिया। उसके बारे में शिकायत की गई लेकिन........

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना समय इस अमेन्डमेन्ट के सम्बन्ध में खर्च करें तो उचित होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह बता रहा था कि पक्षपात कितना किया जाता है?

श्री सभापति : Yes, carry on.

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा सा उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि एक नगरपालिका का चेयरमेन इतना रुपया हजम कर जाये, उस पर ४२ मुकदमे बने लेकिन एक सजा देकर उनको यह कह दिया कि या तो इस्तीफा देकर चले जाओ नहीं तो मुकदमा बनेगा। उसने देखा कि मैं ही अकेला क्यों जाऊं, उचित समय आ गया कि दो-तीन आदमियों के और रेजिग्नेशन मंजूर कर लिए। किसी को सहायता नहीं सरकार को और नगरपालिका कानून की तामिल नहीं। वैसी सूरत में मैं समझता हूं, इस सरकार द्वारा यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि समय पर जो आमदनी होगी वह नगरपालिका को मिलती रहेगी।

माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है, "All the proceeds of the tax collected under this Act every year shall be paid to each local authority which was in receipt of an income from the tax levied by it in respect of admission to an entertainment."

सभापति महोदय, इससे दो समस्याओं का हल निकलता है, एक समस्या यह कि हम एवरेज इनकम देना चाहते हैं। इन्क्रीजिंग टैक्स है वह नगरपालिका से मुक्त रखना चाहते हैं इससे चिंता नहीं रहेगी। टैक्स की जो आमदनी होगी वह आमदनी नगरपालिका को मिल जायगी। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया सरकार केवल अपना कन्ट्रोल रखे और बुक एडजस्टमेंट की व्यवस्था कर दे। टैक्स जमा करने का अधिकार नगरपालिका को होना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह मेरी समझ में उचित है। अगर आप इसको नहीं स्वीकार करते हैं तो मैं समझता हूं कि कुछ देर पहले जो बात आपने कही थी कि मैं उचित बात स्वीकार

(श्री भैरोंसिंह)

करने को तैयार हूँ वह बात सिर्फ कहने केलिए ही थी, वास्तविकता उसमें नहीं थी। इतने ही शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करें। अगर माननीय वित्त मन्त्री जी इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो आप इस संशोधन के पक्ष में वोट देकर इसको पारित करें।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय सभापति महोदय, जब हम किसी बिल पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यह होता है कि हम यह देखें कि किस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। सारे बिल को देखने से साफ विदित होता है कि यह टैक्स इन्टरटेमेन्ट टैक्स जो कि म्युनिसिपेलिटी द्वारा वसूल किया जाता था अब सरकार अपने हाथ में ले रही है। इतने दिन जिसकी आमदनी म्युनिसिपलिटी ले रही थी उसकी आमदनी अब सरकार में निहित हो जायगी और इस तरह से म्युनिसिपलिटियों को जो हानि होगी उसको तीन साल का एवरेज निकाल कर कम्पनसेट किया जायगा। इस सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखा है अगर वह मंजूर कर लिया जाता है तो इसका साफ मतलब यह होगा कि सरकार केवल म्युनिसिपलिटी के टैक्स वसूल करने वाली एक एजेन्ट के तौर पर रहेगी, टैक्स वसूल करने की सारी एजेन्सी सरकार रखेगी और वसूल होने पर वह सारा टैक्स म्युनिसिपलिटी को दे देगी। अगर टैक्स म्युनिसिपलिटी को ही देने की बात होती तो इस प्रकार के बिल के लाने की आवश्यकता ही क्या थी? हमें इसमें इन चीजों को देखना है इसलिये मेरा ख्याल है कि जो संशोधन लाया गया है उसको मन्जूर करना ठीक नहीं रहेगा, इससे सारे बिल का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। इसके साथ साथ यह भी बात जरूरी है कि गत तीन वर्ष के अन्दर जो आमदनी हुई है उसका एवरेज निकालकर मुआवजे के रूप में दिया जायगा। इसका मतलब यह हुआ कि आगे जो बढ़ने वाली आमदनी है उसे सरकार अपने पास रखेगी। यह बाया मिडिया की तरह से प्रावधान रखा गया है। पहले तीन वर्ष की औसत निकाल कर मुआवजा दिया जाय, इससे इन्क्रीजिंग जो आमदनी होगी वह सरकार की होगी, इसके अन्दर जो एतराज के लायक चीज है वह यह है कि जहां जहां बड़ी बड़ी म्युनिसिपलिटियां हैं या कार्पोरेशन्स हैं वहां तो इस प्रकार मुआवजा दे दिया जायगा, लेकिन मान लीजिये जिन देहातों में अभी सिनेमा नहीं है जहां एन्टर्टेमेन्ट का जरिया नहीं वहां आगे अगर सिनेमा-घर खोले जायेंगे तो छोटी म्युनिसिपलिटियों को मुआवजा देने का कोई जरिया नहीं रहेगा। आज हमारे यहां ऐसे कस्बे भी हैं जहां पांच हजार, छः हजार की आबादी है वहां म्युनिसिपलटियां हैं............

श्री सभापति : आप इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन का तो विरोध करता हूँ किन्तु कुछ सजेशन भी देना चाहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : विरोध का नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी सब कुछ विरोध कर रहे हैं।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : सभापति महोदय, जो संशोधन यहां रखा गया है माननीय सदस्य, द्वारा मैं उसका विरोध करता हूँ और क्लाज १४ जो रखा गया है उसका भी

Page No.96

(श्री श्रीमानसिंह)

विरोध करता हूँ । पहले मैं वित्त मन्त्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूँ ।.... ...

श्री सभापति : आप क्या इसका विरोध कर रहे हैं या आप नये सुझाव पेश कर रहे हैं ?

श्री श्रीमानसिंह: नया और बिल्कुल नया सुझाव पेश कर रहा हूं । जहां वित्त मंत्री ने इस बात को कहा कि यह टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी के सिफारिश के अनुसार यह बिल लाया गया है और उसी की रिकमन्डेशन के मुताबिक यह क्लाज़ १४ रखा गया है, मगर टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी में जो बातें कही गई उसमें यह भी कहा गया है कि चार-पाँच साल के बाद इससे आमदनी होने लगेगी तब स्टेट गवर्नमेंट इसको ले सकती है । जहां तक टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है उसमें यह नहीं है कि एकदम इसको वित्त मन्त्री महोदय गवर्नमेंट के नीचे ले लें । मगर फिर भी क्लॉज़ १४ का विरोध मुझे यों भी करना है । जब हम म्युनिसिपैलिटीज़ को नेट एन्युअल इनकम पर कम्पेन्सेट करते हैं तो मेरा यह मानना है कि कम्पेन्सेशन का जो अधिकार होना चाहिये वह निश्चित स्केल पर होना चाहिये या म्युनिसिपैलिटी के एक्सपेन्डीचर के मुताबिक, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, जितना टैक्स आप कलेक्ट करें उतना पे कर दें । उसका यह आधार नहीं होना चाहिये । नेट इनकम का तीन साल का एवरेज़ केलकुलेट करेंगे और उसी के आधार पर मुआवजा देंगे । आखिर टैक्स का किस प्रकार डिस्ट्रीब्युशन हो, इसका भी एक आधार हमें सामने रखना चाहिये । स्टेट यूनियन्स और लोकल बॉडीज़ टैक्सेज़ के बारे में लिखित सिद्धान्तों को हम यहां नहीं मानते हैं । जैसे एक टैक्स लोकल इन्सीडेन्स का है, जितना एन्टर्टेनमेंट टैक्स का लोकेलाइज्ड इन्सीडेन्स है उतना किसी टैक्स का इन्सीडेन्स नहीं । माननीय सदस्य ने जैसा कि सुझाव दिया कि स्टेट गवर्नमेन्ट इस प्रकार के टैक्स को कलेक्ट कर ले और फिर म्युनिसिपैलिटी को दे दे, इस तरह से तो सरकार एक प्रकार से कलेक्टिंग एजेन्सी हो गई । अगर हम टैक्सेज़ के डिस्ट्रीब्युशन का कोई आधार या सिद्धान्त कायम नहीं करते हैं तो वैसी सूरत में यह भी हो सकता है, शायद कभी स्टेट गवर्नमेन्ट कलेक्टिंग एजेन्सी ही हो जाय ।

क्लॉज़ १४ के अन्दर गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड मुकर्रर करना चाहिये । जो म्युनिसिपैलिटी तीस हजार रुपया टैक्स का लेती है और अगर उसकी नीड ज्यादा है तो उसको ज्यादा नीड दी जानी चाहिये । मान लीजिये भरतपुर में सिनेमा घर है । पहले तीन सालों में वह झोंपड़े में चलता था और अब मान लीजिये उसके लिये पक्का मकान बन गया है तो आपके पास तीन साल तक के एवरेज निकालने का क्या आधार है, क्या आप नेट इनकम पर एवरेज निकालेंगे या किस प्रकार उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे; इसमें आपकी मर्जी होगी उतना डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे । इससे हमारे दिलों में कुछ शक होता है ।

मान लीजिये किसी स्थान पर ऐसी म्युनिसिपल कमेटी है जो गवर्नमेन्ट की फेवरेबल नहीं है, उसको मदद देने का सवाल आयगा तो आप उसके लिये तीन साल का एवरेज़ निकालेंगे या जितना कलेक्ट उस जगह से

Page No.97

(श्री श्रीमानसिंह)

हुआ उतना ही देंगे, अगर उतना देते हैं तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। इस-लिये मेरा यह निवेदन है कि गवर्न-मेंट को यह क्लॉज़ १४ ऐसा रखना चाहिये, हमें एक आधार कायम चाहिये, एक सिद्धान्त कायम करना चाहिये; नीड्स का और एक्सपेन्डीचर का। जो चीज हम चाहते हैं उसको स्पेसिफिक तौर पर रखें। हम जितना लें एन्टर्टेनमेंट टैक्स उतना ही उनको दे दें जिससे पब्लिक को म्युनिसिपैलिटी और वह सहूलियत हो। सिनेमा की ठीक तौर से देखभाल करे सिनेमा वालों से टैक्स कलेक्ट करे और फायदा उठाये गवर्नमेंट, यह आधार ठीक नहीं है। जैसे मेंटेन तो करूं मैं और फायदा जाय स्टेट गवर्नमेंट को, यह ठीक नही है। मैं समझता हूँ हमारे वित्त मंत्री महोदय ने टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ा नहीं। उसमें साफ लिखा है कि शायद चार-पांच साल के बाद जाकर यह स्थिति आ सकती है कि इसमें आमदनी हो सकती है, तब स्टेट गवर्नमेंट इसको होल्ड करे। अभी जो रेट्स हैं उन रेट्स पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है उसका कलेक्शन भी ज्यादा होगा फायदा कुछ नहीं होगा। टैक्स लेते हैं उसका फायदा अगर नहीं मिलता है तो उसको लेने से क्या फायदा? यह हर तरह से उसको बेनीफिट हम नहीं देते परन्तु वित्तमंत्री महोदय ने लोकल टैक्सेशन के प्रिन्सिपल को माना नहीं और न लोकल ग्रान्ट के प्रिन्सिपल को माना। उनको तो अपनी आमदनी बढ़ानी है। पर मैं कहता हूं इसके और भी जरिये हैं। यह क्लॉज १४ ठीक आधार नहीं है। जहां सिनेमा आज खुलता है वहां तीन साल की इन्कम का प्रोपोरशन किस प्रकार से वर्क करेगा। इसके अनुसार तो फिर नगरपालिका को कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे का पूरा बेनिफिट मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो इन बातों को देखते हुए एक सही आधार बनाना चाहिये, जैसे आप दस हजार कलेक्ट करें तो उसमें से कुछ रखकर आप बाकी म्युनिसि-पैलिटी को दें। अब सब का सब दें। यह भी मैं उचित नहीं मानता, सरकार उसमें कलेक्शन में खर्चा भी करेगी, और भी स्टाफ का खर्चा होगा: तो इसलिये इस संशोधन का तो मैं विरोध करता हूं और क्लॉज १४ जो है इसमें भी मैं चाहता हूँ कि इसको आधार बताया जावे। नेट इन्कम का आधार सारे राजस्थान में एप्लाई नहीं करता है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति महोदय.... ....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : एक सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री मोगजी (बांसवाड़ा) : जो सुझाव रक्खा है उसका समर्थन करते हुए मैं सब सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो आज के समय में म्युनिसिपैलिटी के अधिकार हैं........

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मान-नीय सदस्य समर्थन कर रहे हैं अमेंडमेंट का या विरोध कर रहे हैं?

श्री मोगजी : समर्थन कर रहा हूँ।

(जारी) टैक्स कलेक्शन करने का अधि-कार म्युनिसिपेलिटी का होना चाहिये। उसका यह अधिकार सरकार अपने हाथ में लेकर अन्याय कर रही है। सरकार इस पैसे को वसूल करके अपने कब्जे में रखना चाहती है। यह उचित नहीं है।

(श्री भोगजी)

जहां जहां की जो जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वे वहां के लोगों के लिए, उन की सफाई की व्यवस्था आदि करती हैं और वे और भी टैक्स लोगों से वसूल करती हैं और कई तरह के टैक्स वसूल करने के उनको अधिकार हैं और इन टैक्सों को वसूल करने में सरकार उनकी राय मानती है तो फिर यह टैक्स सरकार स्वयं क्यों वसूल करने जा रही है ? यह समझ में नहीं आता । आज म्युनिसिपैलिटीज़ को बहुत घाटा है, उनको पूरा पैसा नहीं मिलता । यह सिनेमाओं को काफी अच्छी आमदनी है । इससे उनका काम अच्छा चल सकेगा । इसलिये यह कर भी वसूल करने का अधिकार उनके हाथों में होना चाहिये ।

सरकार एक तरफ स्वायत्त शासन की बात करती है और दूसरी तरफ म्युनिसिपैलिटीज़ की आजादी जो है, जो उसके अधिकार हैं उनमें हस्तक्षेप करके टैक्स वसूल करने की; उनकी आजादी छीनना चाहती है । यह बहुत बड़ा अन्याय है ।

ये मनोरंजन के साधन आज कुछ बड़े बड़े शहरों और कस्बों में ही हैं । ये आगे और बढ़ने वाले हैं और गावों में भी फैलेंगे । तो भविष्य में ग्राम पंचायतों के लिये भी यह एक मनोरंजन की चीज बन सकती है ! तो आगे चल कर ग्रामपंचायतों के साथ भी यह सरकार यही अन्याय कर सकती है ! इस अन्याय से जनता में असन्तोष बढ़ेगा । सरकार इस आय का उनका साधन अपने हाथ में लेकर उनको हमेशा के लिए मोहताज रखना चाहती है । उन सब को यह सरकार अपनी मर्जी माफिक चलाना चाहती है । यह एक गलत तरीका है । वहां की व्यवस्था करने का अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ को है, सरकार को नहीं है । सरकार अब उन म्युनिसिपैलिटीज़ की देख-रेख रख सकती है, उनके काम ठीक करने न करने की जांच कर सकती है और जरूरत हो तो मदद भी करना उसका फर्ज हो जाता है, पर इस तरह से उसके अधिकार को हनन करना और उनको मोहताज बनाये रखना और अपनी मर्जी माफिक चलाना गलत तरीके की बात है । यह आगे चल कर बड़ी घातक चीज हो जावेगी ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कर वसूल करने का अधिकार म्युनिसिपैलिटीज़ के अधिकार में दे देना चाहिये ! साथ ही यह भी व्यवस्था रहे कि पुलिस भी रखने का अधिकार उनके हाथ में रहना चाहिये । हम समाजवादी समाज की व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो उनके हाथ में पूर्ण अधिकार भी होने चाहिये ।

(हंसी)

और उन अधिकारों का जो दुरुपयोग करे उन पर नियन्त्रण करना हमारी सरकार का फर्ज है । पर इस तरह से उनकी आमदनी का एक जरिया उनसे छीन लेना बहुत बड़ी खतरनाक चीज है । उनको इस तरह से तो मोहताज बनाना है और पार्टीबाजी को पनपाने का भी यह एक तरीका है । इस ढंग से जनता में कभी कोई सन्तोषजनक चीज बन नहीं सकती है और वहां की जनता इस कानून का कभी स्वागत नहीं करेगी, इसके विरोध में हो जावेगी ।

मैं समझता हूं कि आज के जमाने में ग्रामपंचायतों को हमने बहुत बड़े अधिकार दे रक्खे हैं ! इसी माफिक नगरपालिकाओं को

Page No.99

(श्री मोगजी)

भी दे रक्खे हैं। तो वहां की व्यवस्था बनाये रखने के लिए जनता के हाथों में सत्ता का अधिकार हो।....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : यहां अधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री मोघ जी : सरकार टैक्स वसूल कर के आमदनी पर कब्जा करना चाहती है तो वहां की जनता के लिए क्या सत्ता रहेगी? वहां व्यवस्था रखने के लिए, वहां सफाई का पूरा पूरा प्रबन्ध करने के लिए उनको रुपये की जरूरत है। वह रुपया सरकार खुद अपने हाथ में लेना चाहती है, तो यह ठीक नहीं है। यह आमदनी तो उनको देनी चाहिये। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह का गलत कानून हमें नहीं बनाना चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जावे। यही मेरी प्रर्थना है।

श्री पी. के. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता था।....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय........

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि कोई सदस्य अगर दस-पन्द्रह मिनिट बोलना चाहें तो उनको बोलने दिया जावे।

(श्री पी० के० चौधरी से) आप अपना भाषण जहां तक हो संक्षेप में करें, ज्यादा समय लेने की कोशिश न करें।

श्री पी. के. चौधरी :-सभापति महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं।

(घंटी)

श्री सभापति : You will keep to the subject matter only.

श्री पी. के चौधरी (कुलेग) : Of course. साथ ही साथ मैं यह भी समझता हूं कि जो क्लॉज़ १४ है वह डिफेक्टिव है, इस ख्याल से कि जैसा एक सदस्य ने बताया उसके अन्दर नहीं बताया गया है। मैं यह समझता हूं कि यह जो कम्पन्सेशन है, है वह यह है कि आज तक म्युनिसिपैलिटीज को जो एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की इन्कम मिलती थी आयन्दा भी उतनी ही उनको मिलता रहेगी, यह इसका मतलब है। आज हर एक सिनेमा हाउस में एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स लिया जाता है। आज एक जगह एक सिनेमा घर है तो कल दो, तीन, चार हो सकते हैं, क्योंकि सिनेमा गोइंग की हेबिट बढ़ती जा रही है। एन्टेनमेन्टटैक्स से इस हिसाब से आगे जाकर गवर्नमेंट को फायदा पहुंचेगा। आज आप एक स्टेटिक कम्पन्सेशन लेकर चलते हैं। म्युनिसिपैलटीज़ ने जो कर लगाया है उसका आप एक एवरेज निकाल कर देते रहेंगे। लेकिन इसमें यह ख्याल नहीं रखा गया है कि अगर इस साल ३ सिनेमा हाउस और बन जाते हैं, सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ने से तो उस हालत में एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स में बढ़ोतरी होगी और उसका जो फायदा है वह म्युनिसिपैलटी को नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से यह जो क्लॉज़ है वह क्लॉज इक्विटी की दृष्टि से नहीं है। अब अगर चार सिनेमा हाउस बढ़ जाते हैं, लोगों की सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ जाती है तो उसके लिए म्युनिसिपैलिटीज़ को कुछ सर्विसेज़, और प्रोवाइड करनी पड़ती है।

(श्री पी० के० चौधरी)

म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज, उसके फन्क्शन्स बढ़ जाते हैं, वह पहले से ज्यादा काम करती है। तो उसके लिए कम्पेन्सेशन का इसमें कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। यह तब ही मिल सकता है जब कि सरकार ऐसा कोई क्लॉज इस बिल में रखे क्योंकि यह जो टैक्स केलकुलेशन है उसमें म्युनिसिपैलिटी को सब्सिडी देने का कोई डाइनेमिक सजेशन होना चाहिए। आपने तो इसमें एक स्टेटिक रेशियो बना दिया कि तीन साल में जो मिलता था वही मिलेगा, लेकिन इसने यह नहीं देखा गया है कि आज जहां सिनेमा हाऊसेज की संख्या कम है लेकिन भविष्य में जाकर अधिक हो सकती है और उस कारण से एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स में ज्यादा आयगा। म्युनिसिपैलिटीज को ज्यादा खर्चा करना पड़ा अधिक सिनेमा हाऊसेज खुलने की वजह से, म्युनिसिपैलिटीज को इसके लिये अधिक सर्विसेज देनी पड़ी उसके लिए कोई डाइनेमिक कन्सेप्शन रखा जाय। ऐसा कोई कन्सेप्शन इसमें नहीं रखा गया है। इक्विटि की दृष्टि से भी यह क्लॉज डिफेक्टिव है। आपने यह सोचा नहीं है। आप स्टेटिकल कन्सेप्शन का ही आइडिया लेकर इसमें चले हैं। एक सिनेमा हाउस एक शहर में है. २००) रु० उसका एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स आता है। आयन्दा और बनेंगे, एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स और आयगा लेकिन वह म्युनिसिपैलिटी को मिलेगा नहीं। आज जो हम ट्रेन्ड (trend) देखते हैं वह यह है कि लोगों की सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ रही है और जब सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ती है, तो आज दो सौ जाते हैं तो कल ज्यादा जावेंगे और उसके लिए म्युनिसिपैलिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब म्युनिसिपैलिटी का खर्चा बढ़ जाता है, इधर सरकार को एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स में वृद्धि हो जाती है लेकिन वह सरकार उस म्युनिसिपैलिटी को देगी नहीं, म्युनिसिपैलिटी को कोई कम्पेन्सशन उसका नहीं मिलेगा। यह जो क्लॉज है इक्विटि की दृष्टि से इनइक्वीटस है, इक्विटी की दृष्टि से जायज नहीं है। हम पूछते हैं कि हम जो कानून बनाते हैं, कम से कम इतना खयाल रखें कि इक्विटी उसमें मेन्टेन हो। जस्टिस का खयाल रख कर कोई कानून बनाना चाहिए, यदि ऐसी बात खयाल में आती है, कोई सदस्य उसको पोइन्ट आउट करता है कि यह इनइक्विटेबिल है तो उस क्लॉज को रिकन्सीडर किया जाय। यह मैं वित्त मंत्री महोदय के सामने रखता हूँ।

दूसरा यह पॉइन्ट आउट करना चाहता हूँ कि तीन साल का जो रखा है। उसमें यह सुझाव रखा है, दूसरे माननीय सदस्य ने रखा है आपको ऐसा क्लॉज रखना चाहिए कि जितने दिन से सिनेमा घर चालू हुआ है उसके एवरेज से म्युनिसिपैलिटीज को कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। दूसरा कन्सेप्शन है वह डाइनेमिक कन्सेप्शन है। इसका ताल्लुक एन्टर्टेनमेन्ट रेट्स है। मैं जानता हूं कि आप इसको बढ़ायेंगे नहीं तो सरकार इसको क्या करती है ? यह तो कोई काम नहीं है जितना वैसा वह करती थी, वैसा वह करती है। यदि इस पर कब्जा रखती है तो सरकार इसको जरूर बढ़ायेगी, नहीं तो चौन के बलद करते हैं ऐसा काम होगा। रेट्स बढ़ाकर भी म्युनिसिपैलिटी को पहले जितना मिलता था उतना ही सरकार देगी। जो भी रेट्स आप फिक्स कर देते हैं, जितना कलेक्ट हो सकता है किसी शहर से वह तो कराया जायगा; जैसे हजार रुपया कलेक्ट होता है, म्युनिसिपैलिटी को ८००) रु० मिलता था पहले, तो म्युनिसिपैलिटी को तो आप ८००) रु० ही देंगे।

(श्री पी० के चौधरी)

२००) नोट बचता है सरकार को। आगे जाकर सिनेमाघर ज्यादा बढ़ जाने से, लोगों की सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ जाने से आपको टैक्स की आमद डबल हो जायगी तो फिर क्या आप म्युनिसिपैलिटी को देंगे ? इस क्लॉज़ से तो नहीं देंगे। टैक्स का रेट बढ़ जाने से २००) रु० आपको ज्यादा मिलता है वह ले लेंगे। आगे जाकर सर्कमस्टान्शियल इन्कम बढ़ जायगी। सरकार की मनोवृत्ति से नहीं, लेकिन ऐसी सरकमस्टान्सेज़ पैदा हो जावेंगी, लोगों की एजुकेशन वगैरह बढ़ जायगी, सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ जायगी, उसका क्या प्रोपोर्शन म्युनिसिपेलिटीज़ को मिलेगा, यह तय करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह बिल इक्विटी का नहीं है, स्टेटिकल ही रहेगा और स्टेगनेन्ट ही रहेगा।

यह बात मैंने मानी कि इम्प्रूवमेन्ट टैक्स लगाते हैं, ओब्जेक्ट वेलिड है, टैक्स लेवी किया गया है, हाऊसस ओनर है उस पर,

(घंटी)

प्रोपर्टी होल्डर है उस पर, लेकिन सरकमस्टान्सेज़ चेन्ज होने की वजह से जो अनएक्सपेक्टेड इन्कम इन्क्रोज़ होती है, म्युनिसिपैलिटी रास्ता ले जाने की वजह से, बिजली ले जाने की वजह से, लैंड वेल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से टैक्स लगाती है म्युनिसिपैलिटी टैक्स लेती है प्राइवेट इन्डवीजुअल से। यह नेचुरल है कि जब प्राइवेट इन्डीविजुअल से लेती है, सर्कमस्टान्सेज़ की वजह से, इन्कम बढ़ जाती है उसकी वजह से लेती है, इन्डीविजुअल से लेती है तो सरकार से क्यों नहीं लो, उस पर लगना चाहिए। मेरे लिए एक प्रिन्सिपल और सरकार के लिए सरकार के लिए अलग प्रिन्सिपल।

(घंटी)

मैं यह पोइन्ट आउट करता हूँ कि यह जो क्लॉज़ है वह डिफेक्टिव है, इनइक्विटेबिल है इसमें और इसमें डाइनेमिक कन्सेप्शन नहीं है। जैसी मैंने मिसाल दी कि वगैर किसी मेहनत के सरकार हजार रुपये में से २०० रुपया रख लेती है और ८००) रु० दे देती है म्युनिसिपैलिटी को सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ने से, सिनेमा हाऊसेज़ बढ़ने से और अगर एक हजार के बजाय दो हजार की आमदनी हो गई तो फिर म्युनिसिपैलिटी को क्या देंगे ? सब का सब ले जावेंगी। सिनेमाघर बढ़ जाने से, लोगों की सिनेमा गोइंग हेबिट बढ़ जाने से भी जो म्युनिसिपैलिटी के फन्क्शन्स हैं वे बढ़ते जावेंगी; जैसे सफाई का काम है, इन्तजाम का काम है लेकिन उसको इस एक्स्ट्रा मेनेजमेन्ट का कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापतिजी, कोई अमेंडमेंट रखा नहीं। कैसे डाइनेमिक बनाना चाहिए। कोई सुझाव हो तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री पी. के. चौधरी : सुझाव हम देते हैं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : (श्री मिर्धा के खड़े रहने पर) Order please !

श्री पी. के. चौधरी : मेरा छोटा सा....

श्री सभापति : इन्होंने नया पोइन्ट आपके सामने रखा है और उस पर विचार करने के लिए एक नया पोइन्ट आपके सामने लाये हैं।

Page No.102

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सभापतिजी, वह व्यू पोइन्ट ठीक है, वह धीरे २ समझ में आ रहा है, क्या वर्डिंग्स चाहते हैं, कैसा डायनेमिक बनाना चाहते हैं। अमेंडमेंट आज तक आया नहीं, उस पर विचार कैसे होवे ? टाइम उसमें नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : उसके अगेन्स्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। He wants to municipalise the rules. इस फोर्मूले के अगेन्स्टप्रोटेस्ट कर रहे हैं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : It is with the Hon'ble Minister who may agree and bring amendment in the light of the suggestion offerd by the Hon'ble member.

(घंटी)

(शोरगुल एव बाधाएं)

श्री सभापति : You continue pleae.

Order please.

श्री पी. के. चोधरी : मुझे खेद है....

श्री सभापति : You continue on the subject please.

श्री पी. के. चौधरी : मैं सब्जेक्ट पर आता हूँ।

(जारी) मैं समझता हूं मैं एक प्रिन्सिपल की बात कह रहा हूँ। सारी बातें बताई। क्लॉज़ में डिफेक्ट है। टेक्नीकल बातें उठा कर आप रखना चाहते हैं, हमारी बातें सुनना नहीं चाहते, यह गलत है। टेक्नीकल बातें नहीं होनी चाहिये। दो शब्दों में मैं अपना सुझाव रख देता हूं सरकमस्टान्सेज़ चेन्ज होने की वजह से आपको जो एक्सट्रा इन्कम मिलेगी उसका अमुक परसेन्टेज फिक्स कर दीजिये ४० परसेन्ट या ५० परसेन्ट आपको मिलेगा वह आप देंगे if you have got any sense of equity and justice.

इतना कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री बहादुरसिंह : माननीय सभापति महोदय,.......

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : अब समय नहीं रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : You should better persuade our orthodox Finance Minister that there should be no cinemas.

कई माननीय सदस्य : १० मिनिट अभी तक हैं।

श्री सभापति : आपने जो कुछ कहा उसका उत्तर वित्त मन्त्रीजी को देने दीजिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, मैंने बड़े ध्यान से इस संशोधन के पक्ष में जो बातें कही गई उनको सुना। लेकिन मुझे दुःख है कि बावजूद उनके इस संशोधन को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

पहली बात तो यह है कि मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, टैक्स लोकल बोडीज़ से हटा कर स्टेट टैक्स इसे बनाया जा रहा है। ऐसी दशा में म्युनिसिपैलिटी को वसूल करने का अधिकार देने का प्रश्न रहता नहीं, फिर यह केवल एक सुविधा का प्रश्न है। अभी भी म्युनिसिपैलिटीज़ को सरकार सबसिडी के रूप में या लोन के रूप में जगह जगह सहायता देती है।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

इसमें भी उनको कम्पेसेशन देने का प्रावधान है। इस कम्पेनसेशन के प्रिंसिपल के बारे में भी अलग अलग राय और सुझाव हैं लेकिन कम्पेन्सेशन देने का प्रोविज़न है। जो नई म्युनिसिपैलिटीज़ बनेगी या जो अभी है, जिनको साल ६ महीने हुये हैं उनके लिए भी किया जा सकता है। ३ साल का एवरेज, ३ साल से चलने वाली म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये और जिनकी एक साल की उम्र है उनके लिये एक साल की आमदनी देखकर कम्पेन्सेशन तय कर दिया जाय। अब नई म्युनिसिपैलिटोज़ जो आगे बनेगी उनके लिये समस्या उपस्थित होगी तो जैसा और म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये प्रावधान किया गया है वैसा उनके लिये भी किया जा सकता है। इसके लिये चिन्ता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी बताया गया है कि म्युनिसिपैलिटीज़ की आर्थिक हालत खराब रही है और सरकार द्वारा हर जगह हर म्युनिसिपैलिटीज़ को मदद दी गई है। आगे भी जब म्युनिसिपैलिटीज़ का सवाल उपस्थित होगा, यह समझने का कारण नहीं कि सरकार अपने रुख को बदल देगी। इसलिये यह चिन्ता नहीं रहनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ को लेकर म्युनिसिपैलिटीज़ की अव्यवस्था की तरफ ध्यान दिलाया। यदि म्युनसिपैलिटीज़ में अव्यवस्था है तो आप उसको मिटाइये लेकिन इस कर का उस पर क्या असर पड़ता है? इस कर का इतना ही असर है कि उनकी आमदनी जाती है लेकिन उसके बदले में कुछ मिलती भी तो है। मुमकिन है कम मिले, ज्यादा मिले। यदि आमदनी कम हुई तो कम मिल सकता है। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस अव्यवस्था से उसका क्या सम्बन्ध है? आज भी मनोरंजन कर मौजूद है और अव्यवस्था थी तो थी और यदि यह जारी रहा तो क्या आप मानते हैं कि अव्यवस्था नहीं रहेगी हो सकता है, इसके कई दूसरे कारण हों। यह कर म्युनिसिपैलिटीज को देने से अव्यवस्था मिट जायगी, यह मैं नहीं मानता हूं। इसलिये जो संशोधन उपस्थित किया गया है उसको मानने में असमर्थ हूं और मैं आशा करता हूं कि सदन भी इसे नामन्जूर करेगा।

श्री भैरोंसिंह : एक बात बता दीजिये कि इस आमदनी में से कितना पर्सेन्ट सरकार अपने पास रखेगी और कितना पर्सेन्ट म्युनिसिपैलिटीज़ को देगी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने बताया कि ३ साल का एवरेज़ निकालेंगे और जितना एवरेज आयेगा उतना पूरा देंगे।

श्री भैरोंसिंह : टैक्स में आगे इन्क्रीमेंट होगा उसमें से क्या मिलेगा?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें से मिलने का सवाल नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आगे और भी क्षेत्र हैं जो म्युनिसिपैलिटीज़ का नहीं है स्टेट टैक्स लगने के बाद म्युनिसिपैलिटीज़ से उसका तालुक नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना संशोधन वापिस लेना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं?

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, जो मैंने संशोधन रखा था इसके पीछे जो भावना थी और जो महत्त्व छिपा था उसके बारे में यहां भाषणों से और

Page No.104

(श्री दयाकृष्ण विजय)

लोगों की प्रकृति से यह दिखाई दे रहा था कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा। अमृत की घूंट की तरह से लिया जा रहा था। अन्त में लोगों ने इस प्रस्ताव को ठुकराने का प्रपोज़िशन रखा लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में यह कर दिया जाता है उसका फल, जो कर देते हैं उनको मिलना चाहिये। इसका अधिक से अधिक लाभ उनको मिलना चाहिये जिनकी जेब से यह जाता है। नगरपालिका इसे वसूल करती है और चाहे राज्य सरकार अपने अधिकार में ले या केन्द्र सरकार अपने अधिकार में ले, लेकिन जिनकी जेब से यह पैसा आया है उनको अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिये।

इसको नगरपालिका के क्षेत्र से निकाल कर सरकार स्टेट टैक्स बना रही है और नगरपालिका की आमदनी को छीन रही है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूँ। आप नगरपालिकाओं की अर्थव्यवस्था को देखें और फिर इस पर विचार करें। आप उसके आर्थिक श्रोत को सुखाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। यदि यही आप की मंशा है तो मैं अपना संशोधन किसी भी प्रकार से वापिस लेने को तैयार नहीं हूं। इसलिये सभापति महोदय, मैं सदन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संशोधन मैंने रखा है उस पर विचार किया जाय और जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने बताया....

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय टाइम हो गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना जवाब जल्दी समाप्त करें।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैंने इसे रखा है, इसका समर्थन केवल विरोधी दल वालों ने ही नहीं किया है बल्कि कांग्रेस बेन्चेज वालों ने भी किया है। इसलिए मैं अपना संशोधन किसी भी प्रकार वापिस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : दो शब्दों में कह दीजिये न।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज़!

प्रश्न यह है कि श्री दयाकृष्ण विजय ने क्लॉज़ १४ पर जो संशोधन पेश किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता।

श्री भैरोसिंह : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : ना पक्ष जीता, संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज १४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

५ म० प०

श्री भैरोसिंह (श्री माधोपुर) : टाइम हो गया साहब।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई अमेंडमेंट नहीं है।

Page No.105

श्री भैरोंसिंह : अमेंडमेंट नहीं है, बोलना तो है।

श्री सभापति : अमेंडमेंट बगैर कैसे बोलेंगे, तब बोलने का प्रश्न कैसे पैदा होता है ? डिबेट कर चुके हैं। इस बिल के प्रिन्सिपल पर बोल चुके हैं, अमेण्डमेंट पर बोल चुके हैं।

श्री श्रीभानसिंह : I rise on a point of privilege. It is five' oclock. Time is over.

श्री सभापति : It is just five. It is not pastfive The Assembly should have passed this Bill. प्रश्न यह है....

श्री श्रीभानसिंह : II to 5, this is the time.

श्री सभापति : Let me speak out please.

प्रश्न यह है, (माननीय सदस्यों द्वारा बाधा) आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !! प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १५, १६....

श्री भैरोंसिंह : क्लाज १५ का विरोध करना है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : सभापति महोदय, रूल्स ऑफ प्रासीजर को देखेंगे तो उसमें ऐसा है कि जब क्लॉज स्वीकृत हो चुका है; संशोधित रूप में स्वीकृत होती है, तो चेयरमेन या स्पीकर को कहना पड़ता है : "This clause, as amended, is passed." and I think this procedure is not being followed, which is technically wrong. It should not be done.

श्री सभापति : The Hon'ble Member is aware that this clause has not been amended. It is in its original form. Therefore, that expression was not necessary.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Mr. Chairman.......

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, इस बिल के क्लॉज १५....

श्री श्रीभानसिंह : टाइम हो गया है तो माननीय सदस्य कैसे बोल रहे हैं, आपकी आज्ञा के बगैर ?

श्री भैरोंसिंह : क्लाज १५ पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : क्लाज १५ में आपका कोई अमेण्डमेन्ट है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेयरमेन महोदय, आपने दूसरे लोगों को बोलने का मौका इस बात पर दिया था कि बाद में थोड़ी देर में बिल पास हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : सभापतिजी, टाइम की लिमिट न लगाई जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप को मौका मिलेगा। सदन आगे चला रहे हैं, आपको बोलने का मौका मिलेगा।

(हंसी)

श्री सभापति : समय तो हो गया है, यह सदन का अधिकार है कि समय के बाद बैठें या न बैठें। मैं पूछना चाहूंगा कि सिर्फ पांच मिनट चाहिये, इसके लिए सदन की इच्छा

(श्री सभापति)

हो तो पांच मिनट और बैठक कर इस बिल को सम्पूर्ण रूप से पास कर दिया जाय तो इसकी कन्टीन्युटी है, वह ब्रेक नहीं होगी। सदन की मर्जी नहीं है तो नहीं बैठे। यह सदन का अधिकार है कि पांच बजे के बाद बैठें या न बैठें। मैं जानना चाहता हूं कि सदन की क्या इच्छा है ?

कई माननीय सदस्य : हम बैठने के लिए तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि वे बैठने को तैयार हैं तो हम बोलने को तैयार हैं।

श्री सभापति : बोलने का प्रश्न दूसरा है। मैं समझता हूँ, सदन की इच्छा है कि इस बिल को पास कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जो १५ क्लॉज विचारार्थ लिया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ।

श्री सभापति : क्या इस पर कोई संशोधन है ?

श्री भैरोंसिंह : क्लॉज का विरोध कर सकते हैं।

श्री सभापति : क्लॉज़ का विरोध थर्ड रीडिंग में कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सेकिंड रीडिंग है, इसलिए विरोध करता हूँ।

श्री सभापति : थर्ड रीडिंग में नहीं विरोध कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : थर्ड रीडिंग में कर सकते। क्लॉज़ १५ में व्यवस्था की जा रही है. . .

(करतल-ध्वनि)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !! मैं समझता हूं कि हाउस इस मूड में नहीं है कि इस बिल को आज पारित किया जाय।

ऐसी हालत में यदि इसे मूव किया गया और पास करने के लिए कहा गया तो शायद वे विरोध में बोलने का प्रयत्न करेंगे और ज्यादा टाइम खर्च होगा। मैं समझता हूँ कि समय हो गया है इसलिए कल ११ बजे. . ,

कई सदस्य : कल छुट्टी है।

श्री सभापति : I am sorry, सोमवार तक ११ बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही सायंकाल ५ बजकर पांच मिनट पर, सोमवार, दिनांक, २७ मई, १९५७ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला भीलवाड़ा में माइनिंग हेतु रामप्रसाद फर्म को दिया गया क्षेत्र।

बाडमेर जिले के उत्तर-पश्चिम में मीलों लम्बा जंगल लगाना।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में शिड्यूल्ड कास्ट की अध्यापिकाएं।

सीकरी बंध की नहरों को साफ करने सम्बन्धी योजना।

धौलपुर-बाड़ी बसेड़ी के पुल का जीर्णोद्धार।

राजस्थान नहर का कार्य करने का मुख्य कार्यालय।

कृषि अनुसन्धान शाला प्रारम्भ करने की योजना।

राजस्थान की बन्द ग्लास फैक्ट्रियों को पुनः चालू करने की योजना।

झील राजसमन्द में नौका-नयन की व्यवस्था।

कला-संस्थान, जयपुर में पढ़ाये जाने वाले विषय।

राजस्थान में राजनैतिक पीड़ितों को प्रदान की गई सहायता।

नई पाठ्य पुस्तकों की घोषणा एवं प्रकाशन।

भूतपूर्व किलेजात व तोपखाना विभाग के कर्मचारियों को रिवाइज्ड पे स्केल्स।

तिलवाड़ा पशु-मेले में इस वर्ष पहले से अधिक वारदातें।

उदासर, बीकानेर सागर व नापासर स्टेशन से कस्बे तक की सड़कें।

कामां से पहाड़ी तक की सड़क का जीर्णोद्धार।

जोधपुर से राजबाग तक बिजली की लाइन।

पीपाड़ सिटी से मेड़ता तक फेयर वेदर रोड का निर्माण।

अध्यापकों के फिक्सेशन की जिलेवार सूची।

एमर्जेंसी आर. ए. एस. की भर्ती में शिड्यून्ड कास्ट के अभ्यर्थी।

मंडोर (त० जोधपुर) में अफोरेस्टेशन के लिये तार खींच कर गोचर भूमि कब्जे में लेना।

राजस्थान में अनुसूचित जाति के पुलिस सब इन्सपेक्टर्स।

जोधपुर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग स्कूल खोलने की योजना।

आर. ए. सी. की एक

और नई बटेलियन की भर्ती।

समदड़ी से करनावास (जि० बाड़मेर) तक सड़क निर्माण की योजना।

कृषि अनुसन्धान में शिक्षा हेतु गत पांच वर्षों का बजट।

समदड़ी (जि० बाडमेर) में भेड़ पालन हेतु आदर्श केन्द्र खोलने की योजना।

त० शेरगढ़ व फलोदी के माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय।

छांरेलू कलां गांव (त० चाक्सू) में स्कूल खोलने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र।

अतारांकित प्रश्न

राजस्थान नहर सिंचाई योजना के निर्माण कार्य की तिथि।

लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर (बीकानेर) का बड़ा हौज तैयार करने की योजना।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में परिवर्तित सहकारी समितियें।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री सरकार के हाथ में लेने की योजना।

बीकानेर ग्लास फैक्ट्री के मालिक द्वारा सुविधाएं देने हेतु प्रार्थना-पत्र।

राज्य के अध्यापकों में अनुसूचित जाति के व हरिजन अध्यापक।

बीकानेर डूंगर कॉलिज में उपयुक्त स्थान व फर्नीचर के अभाव की पूर्ति।

नावां तहसील में चूने के कंकर खोदने व पत्थर निकालने का ठेका।

राजस्थान रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेडनेस बिल, १६५७

उक्त बिल पर आज पुनः खण्ड ८ से खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ। खण्ड ८ से २५ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। अनुसूची एवं खंड १ इत्यादि भी स्वीकार किये गये। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट्स टैक्स बिल, १६५७

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पृथक राजस्व मन्त्री, द्वारा उक्त बिल को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किये जाने पर श्री भैरोंसिंह (२४) ने इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर निम्नांकित सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये:—

१. श्री तनसिंह

२. श्री दयाकृष्ण विजय
३. श्री भीमानसिंह
४. श्री अर्जुनदास
५. श्री सोहनलाल भटनागर
६. श्री रामकरणसिंह
७. श्री शंकरलाल
८. श्री रामचन्द्र
९. श्री मदनसिंह
१०. श्री जनार्दनराय नागर
११. श्री बहादुरसिंह
१२. श्री सम्पतराज
१३. श्री नाथूलाल
१४. श्री सूबेदारसिंह
१५. श्री गिरधारीलाल
१६. श्री नरेन्द्रसिंह
१७. श्री जगदीशप्रसाद माथुर
१८. श्री आनन्दसिंह

श्री हरिभाऊ उपाध्याय के उत्तर दिये जाने के बाद श्री भैरोंसिंह (१४) द्वारा प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाकर विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ। खंड २ से १४ बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

२७ मई, १९५७ की कार्य सूची

१. राजस्थान इन्डियन मेडीसिन्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५७, (पुरः स्थापन)

२. राजस्थान पुलिस बिल, १९५७ (प्रवर समिति को)।

३. राजस्थान एन्टर्टेनमेंट्स टैक्स बिल, १९५७ (अग्रेत्तर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या–३५१ का उत्तर देखिये)

राजस्थान की ग्लास फैक्ट्रियों की तालिका

क्र० सं०	फैक्ट्री का नाम	स्थान	बन्द है या चल रही है	बन्द होने के कारण
१.	श्री जीत ग्लास फैक्ट्री, कोटा	कोटा	बन्द है	कोटा में ग्लास फैक्ट्री के स्किल्ड लेबर का अभाव और मालिकान ग्लास फैक्ट्री के पास ग्लास सैन्ड की खान (माईन्स) न होने के कारण इस फैक्ट्री का चलना अनइकार्नोमिक था; इस ही कारण यह फैक्ट्री नहीं चल सकी ।
२.	जयपुर ग्लास एन्ड पोटरीज़ वर्क्स लिमिटेड	जयपुर	बन्द है	यह फैक्ट्री अनइकोनोमिक प्रोडक्शन और शेयर होल्डर्स के आपसी झगड़ों के कारण व स्किल्ड लेबर के अभाव के कारण बन्द हो गई ।
३.	बीकानेर ग्लास फैक्ट्री	बीकानेर	बन्द है	मील मालिकों के आपसी झगड़े व स्किल्ड लेबर के अभाव के कारण बन्द है ।
४.	भरतपुर ग्लास वर्क्स	भरतपुर	बन्द है	यह फैक्ट्री आर्थिक संकट, स्किल्ड लेबर के अभाव, कच्चे माल का नजदीक उपलब्ध न होना व शुरू में फरनेस (भट्टी) आदि के फट जाने के कारण बन्द हो गई ।
५.	धौलपुर ग्लास वर्क्स	धौलपुर	चालू है	

३६६३

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३५४ का उत्तर देखिये)

सूची

निम्नलिखित १६ राजनीतिक पीड़ितों को राजस्थान राजनीतिक पीड़ित सहायता नियम, १६५६ के लागू होने से पूर्व सहायता प्रदान की गई :

१. श्री हरिश्चन्द्र शास्त्री, जयपुर को पांच हजार की एक मुश्त सहायता।
२. श्रीमती हीरादेवी बेवा श्री सागरमल गोपा, निवासी जैसलमेर को २५ रु० मासिक।
३. श्रीमती जमना देवी पुत्रवधु श्री मीठालाल व्यास को ३० रु० मासिक।
४. श्री जैनारायण व्यास पौत्र श्री मीठालाल व्यास को बालिग होने तक २० रु० मासिक।
५. श्री शिवदयाल दवे की बेवा को ३००० रुपये की एक मुश्त सहायता।
६. श्रीमती नारायनी देवी की पुत्री श्रीमती कमला देवी की शादी के लिये २००० रु० की एक मुश्त सहायता।
७. श्री शिवदयाल दवे की माता श्रीमती गुलाब बाई को २५ रु० मासिक।
८. श्री शिवदयाल दवे की धर्मपत्नि श्रीमती नारायणीदेवी को २५ रु० मासिक।
९. श्रीमति कमला बाई पुत्री श्री शिवदयाल दवे को २५ रु० मासिक।
१०. श्री कैलाशबिहारी माथुर, निवासी अलवर को रु० १०० मासिक अथवा उसके सबसे बड़े लड़के के कमाने योग्य होने तक। कैलाश बिहारी जब तक जीवित रहें उन्हें जीवन निर्वाह के लिये २५ रुपये मासिक।
११. श्री अम्बालाल पुत्र स्वर्गीय श्री सागर मल गोपा को बालिग होने तक २० रुपये मासिक या प्रथम डिग्री परीक्षा पास होने तक, जो भी पहिले हो।
१२. बेवा श्री रमेश स्वामी, निवासी भरतपुर को ३० रुपये मासिक।
१३. श्रीमती धीसी बेवा श्री प्रेमचन्द, निवासी बेगूं को २० रुपये मासिक या पुनः विवाह होने तक।
१४. श्री क्रांतिचंद्र पुरोहित निवासी किशनगढ़ को २००० रुपये की एक मुश्त सहायता व ५० रुपये मासिक।
१५. श्री हकीकतउल्ला खां, निवासी जोधपुर को ३० रुपये मासिक।
१६. श्रीमती जानकी देवी बेवा श्री विजयसिंह पथिक, निवासी उदयपुर को एक मुश्त २००० रुपये की सहायता।

निम्नलिखित ५ राजनीतिक पीड़ितों को राजस्थान राजनीतिक पीड़ित सहायता नियम, १६५६ लागू होने के बाद सहायता प्रदान की गई :

१. कैप्टिन मथुराप्रसाद, निवासी भरतपुर को ५० रुपये मासिक।
२. श्री हरनाथ, निवासी डिस्ट्रिक्ट गंगानगर को १५ बीघा नहरी जमीन।
३. श्री ओंकारसिंह निवासी करौली को ४० रुपये मासिक।
४. श्रीमती केवलकंवर बेवा श्री अभयमल जैन निवासी जोधपुर को बोनस व ब्याज के २१८.४.० जब्त किये हुये वापिस लौटाये गये।
५. श्री जेठाराम रांकावत निवासी जोधपुर को २० रुपये मासिक।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३७२ का उत्तर देखिये)

अधिकारी तनख्वाह मिलने की तारीख की तालिका

वीरा स्कीम	रिसर्च असिस्टेन्ट	मार्च ५६ से जुलाई ५६ तक की तनख्वाह अगस्त ५६ को मिली।
वीट स्कीम	वीट बोटेनिस्ट	मार्च ५६ से सितम्बर ५६ तक की तनख्वाह अक्टूबर ५६ को मिली।
	रिसर्च असिसटेन्ट	अक्टूबर ५६ से नवम्बर ५६ तक की तनख्वाह दिसम्बर ५६ को मिली।
मेज़ स्कीम	रिसर्च असिस्टेन्ट	मार्च ५६ से सितम्बर तक की तनख्वाह अक्टूबर ५६ को मिली।
		अक्टूबर ५६ से दिसम्बर ५६ तक की तनख्वाह फरवरी ५७ को मिली।

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर देखिये)

सूची " अ "

नम्बर	गांव जहां का ठेका दिया गया है	नाम ठेकेदार	किस ता० से	किस ता० तक	किसका ठेका	किस किस्म का	क्षेत्रफल	कैफियत
१.	करकेडी मंगलपुरा-बीव पांचवा छापरी	श्री बदरी नारायण S/o शि.वबक्स	१.११.५४	३१.१०.५७	पत्थर	पत्थर खोदने व रोयल्टी	इन गांव का पूरा क्षेत्रफल जो लैंड	
२.	भीलाल जीजोट लम्बा कोरना कोटना	श्री देवीलाल	१.४.५५	३१.३.५८	„	वसूल करने डाइरेक्ट वर्किंग	रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट मुकर्रर करें	
३.	पांचोटा	M/S मोहनलाल हरकचंद	१.११.५५	३१.१०.५७	„		„	
४.	राजावास–खारडीया–मीठरी नावा मारोट गोविन्दी	भैरू सिंह	७.१.५७	३१.३.५८	„	„	„	
५.	घाटवा हुडील	श्री मोवनलाल	२२.२.५६	२१ २.५८	„	„	„	
६.	इन्डाली	देवीलाल नारायण	१.६.५६	३१.५.५६	„	„	„	
७.	इन्दोका–काकरीया–भूनी	„ „ „	१.६.५६	३१.५.५६	„	„	„	
८.	कुचामण की खानियो (सिवाय देवडुगरी कांला कीला गणेश डुगरी शामिल नहीं है) मोजे जसराना सरगोट तीरसीगीया की भाकरी व पलाड़ा की भाकरी	श्री अहमत अली खां	७.१.५६	३१.३.५८	„	„	„	
९.	हुडील घाटवा–जीजोट लालावास खोरड़ी टोडीवास	श्री मोहनलाल	१.१.५६	३१.१२.५७	कंकर	„	„	„
१०.	कुचामण–खारीया अनंदपुरा पांचवा बगेरा व नाथजी के आसन से आठ माइल के रेडियस में आने वाले समस्त गांव	श्री दराब खां	१.३.५६	२८.२.५७	„	„	„	
११.	नावा गुड़ा–डाटोकावास नासीया–पाचोटा–खारड़ीया मठड़ो–डालोटा मोवनपुरा	श्री बोदुलाल	७.१.५७	३१.३.५८	„	„	„	

सूची 'ब'

नम्बर	नाम जहां का ठेका दिया गया है	इकरारनामा हुआ या नहीं	रकम जमानत	तारीख जमा
१.	करकेड़ी मंगलपुरा, सीव, पांचवा, छापरी	हां	३०)	१-१०-५४
२.	भीलाल, जीजोट, लम्बा, कोरना, कोटना	नहीं	२४०)	२०-१२-५४
३.	पाचोटा	नहीं	नहीं	
४.	राजावास, खारड़ीया, मीटड़ी, नावा, मारोठ, गोविंदी।	हां	नहीं	
५.	घाटवा, हुड़ील	नहीं	नहीं	
६.	इन्डाली	नहीं	नहीं	
७.	इन्दोका, काकरीया, भूणी	नहीं	नहीं	
८.	कुचामन की खानीयों (सिवाय देव डूंगरी काला किला गणेश डूंगरी शामिल नहीं है) मोजे जसराना, सरगोट, तीर सीगीया की भाकरी, व पलाड़ा की भाकरी	हां	नहीं	
९.	हुड़ील, घाटवा, जीजोट, लालावास सोरड़ी, टोड़ीवास	नहीं	नहीं	
१०.	कुचामन, खारीया, अनंदपुरा पाचवां नगेरावनाथजी के आसन से आठ माइल के रेडियस में आने वाले समस्त गांव	नहीं	३१२५)	१६-७-५६
११.	नाथा गुड़ा, डाटो का वास नासीया पाचोटा, खारड़ीया, मीठड़ी डालोटा मोवनपुरा	हां	नहीं	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, शुक्रवार, दिनांक २४ मई, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३७५५	१	तरंकित प्रा ेश्नत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३७९७	१	[३७६	[३७९७
३८००	अन्तिम से द्वितीय पंक्ति	श्री दामादरलाल व्यास	श्री दामोदरलाल व्यास
३८०२	१	रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चर	रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल
३८०३		–२३ मई, ५७–	–२४ मई, ५७–
३८१३	३	अमाउन्ट के नाम पर।	अमाउन्ट के नाम पर,
„	२४	उन्हें वह अपने में ले	उन्हें वह अपने अधिकार में ले
३८१७	१७	पड़ेगा और वे जावेंगी	पड़ेगी और वे जावेंगी
३८१९	२	मानने लिये के तैयार हूं	मानने के लिये तैयार हूं
३८१९	अन्तिम से तृतीय पंक्ति	एन्टर्टेनमेण्ट टैक्स को भी	एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स को भी
३८२०	१	राजस्थान एन्टर्टमेंट	राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट
„	२७	इसके एडमिनिस्टेट टिवरीजंन्स	इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स
३८२३	१७	संस्थाओं से दे दे	संस्थाओं से ले ले
३८२६	१३	जो छोटी ि कायें है	जो छोटी निकायें हैं
३८३४ व ३८३६	१	राजस्थान एन्टर्टमेण्ट टैक्स	राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट टैक्स
३८३४	२७	ट्रेजेर बेंचेज पर	ट्रेजरी बेंचेज पर
३८३५	१०–११	इसे समझो की कोशिस	इसे समझने की कोशिश
३८३७	१	३८३	३८३७
„	२३	लिमिट रखी है।	लिमिट रखी है........
३८३८	२५–२६	गवर्नमेण्ट कलेक्ट कलेक्ट करे या म्युनिसिपेलिटी !	गवर्नमेण्ट कलेक्ट करे या म्युनिसिपेलिटी ?
३८४०	१	रजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स	राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट्स टैक्स
३८४१	१४	श्री तनसिंन	श्री तनसिंह
३८४८	१	राजस्थान एन्टर्टमेन्ट	राजस्थान एन्टर्टेनमेंट
३८४९	२४–२५	understard wheether	understand whether
३८५२	१	राजस्थान एन्टर्टमेण्ट	राजस्थान एन्टर्टेनमेण्ट
३८५४	२	(श्री सोहनलाल भटनागर)	(श्री रामकरणसिंह)
„	अन्तिम पंक्ति	करके रूप में लाया	करके अच्छे रूप में लाया
३८६३	२२	भेजने की पूराजोर माग रखी है	भेजने की पुरजोर मांग रखी है

१	२	३	४
३८७४	२६	मुक्त कर दें। बरी कर दें	मुक्त कर दें, बरी कर दें
३८८०	१८	श्री सभापति : Order, please	श्री सभापति : Order please !
३८८१	८	of order, है।	of order.
,,	१०	पॉइन्ट ऑफ Privitege	पोइन्ट ऑफ प्रिविलेज है।
३८८७	१५	यहां सिनेमा में	यहां सिनेमाओं में
३९०१	४	श्री भैरोंसिंह : अभी अभी	अभी अभी
३९०५	२०	सदन के नेता की ओर से	सदन के नेता की ओर से
३९०७	२०	गलती नहीं है क्योंकि	गलती नहीं है क्योंकि
३९२९	२९	की अवव्यवस्था पर।	की अव्यवस्था पर।
३९३०	३	उसके बन्दे होने के कारण	उसके बन्द होने के कारण
,,	८	तो दहवाजे बन्द	तो दरवाजे बन्द
३९३३	५	उसका एवरेनिकालज कर	उसका एवरेज निकाल कर
३९३३	अन्तिम पंक्ति	और क्ला च १४ जो	और क्लॉज १४ जो
३९३४	११	वित्त मन्त्री ने इस बात को	वित्त मंत्री महोदय ने इस बात को
३९५७	१९	शिड्यूल्ड कास्ट के	शिड्यूल्ड कास्ट के
३९५९	१८	एवं खंएड १ इत्यादि	, खण्ड १ इत्यादि